हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जनवरी 1990

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सची

मंगलवार, 16 जनवरी, 1990

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)26
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(2)32
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	
हरियाणा के गांवों तथा शहरों में बिजली की कमी संबंधी	(2)33
वक्तव्य–	
सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण	(2)34
प्रस्ताव संबंधी नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव	(2)40
सरकारी संकल्प –	
संविधान (62वां संशोधन) विधेयक 1989 के अनुसमर्थन संबंधी	(2)41
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)68

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 16 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, अब सवाल होंगे।

Persons working in Cooperative Department

***100. Shri Rattan Lai Kataria :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the total number of persons working on daily wages, regular/ temporary basis in Cooperative Department and in the Cooperative Institutions separately at present in the State togetherwith the number of persons out of those referred to above belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) whether there is any backlog in the posts reserved for Scheduled Castes; if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to cear the same ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The Communication received from the Minister concerned in this connection reads as under

Interim reply

D.O. No. C-4-90/Spl. (1)

"DHIRPAL SINGH Minister of State for Cooperation

15th January, 1990

Dear Shri Chatha.

Kindly refer to Haryana Vidhan Sabha U.O.. No. 952, dated 8th January, 1990 regarding Starred Question No. 1001 relating to the number of persons working on daily wages, regular/temporary basis in Cooperative Department and in the Cooperative Institutions in the State. The question is fixed for reply on 16th January, 1990.

In this connection, I am to inform you that the desired information is being collected from the Cooperative Institutions located all over the State. The information is very voluminous and it is likely to take about two months to collect and complete the information . May I, therefore, request you to kindly grant an extension of two months for submitting the reply.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd./-

(DHIRPAL SINGH)

Sh. H.S. Chatha, Speaker,

Haryana Vidhan Sabha".

Expenditure incurred on New District

***1003. Shri Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total expenditure incurred on the creation of four new districts in the State?

Revenue Minister (Rao Ram Narain) : An amount of Rs. 1.00 crore has been sanctioned as contingent expenditure and Rs. 55.80 lakhs for staff of the new units of 'administration including the 4 new districts namely; Yamuna Nagar, Kaithal, Panipat and Rewari by the Revenue Department for the year 1989-90.

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो चार नए जिले बनाए गए हैं उनकी वजह से स्टेट ऐक्सचौकर पर सालाना रैगुलर कितना ऐक्सपैन्डीचर होगा ?.'

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में दो नए रैवेन्यू डिविजन्ज, चार नए जिले, पांच सब–डिविजन्ज, सात तहसीलें और 6 सब–तहसीलें क्रिएट हुई हैं। यह अंदाजा है कि इन पर पर–ऐनम 8 से 10 करोड़ रुपए तक नौन–रैकरिंग और 5 करोड़ रुपए रैकरिंग ऐक्सपैन्डीचर होगा।

श्री राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चार नए जिले

बनाए गए है क्या वे हरियाणा प्रान्त के कुल क्षेत्रफल को ध्यान में रख कर बनाए हैं या ऐसे ही बनाए हैं क्योंकि क्षेत्रफल

के हिसाब से कई जिले तो इतने छोटे हैं जिनके अन्दर केवल एक सब–डिवीजन ही है। क्या इस बारे में कहीं से कोई आकड़े मंगवाए गए थे?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, इस बारे में कहीं से कोई आकड़े नहीं मंगवाए गए। हरियाणा प्रान्त में नए जिले क्रिएट करने के लिये एक जिला पुनर्गठन कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने लोगों के विचार सुन कर और लोगों की ख्वाहिश देख कर रिकमैंडेन्शन की थी।

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास कहीं से ऐसी कोई शिकायत आई है कि इन चार नए जिलों को न बनाया जाए क्योंकि इनको बनाने से स्टेट ऐक्सचौकर पर बहुत खर्चा बढ़ जाएगा और ये सफेद हाथी बन जाएंगे? यदि ऐसी कोई शिकायत इनके पास आई तो उस पर क्या विचार किया गया?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, डिपार्टमेंट में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल में यह पूछा गया था कि चार नए जिलों के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है। मंत्री जी का लिखित जवाब है कि उन नए चार

जिलों के निर्माण पर वर्ष 1989–90 में आकस्मिक खर्चा करने के लिये एक करोड़ रुपए तथा अमले के लिये 55.80 लाख रुपये स्वीकृत हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो इन्होंने खर्चा बताया है यह साल का कुल व्यय है या अधूरा है यदि अधूरा है तो क्या इससे ज्यादा पैसा खर्च होने की संभावना है?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, जो खर्चा मैंने बताया है वह पहली नवम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक का मंजूर किया हुआ बताया है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि साल का कुल कितना खर्चा आएगा?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, इस बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए नौन–रैकरिंग और लगभग पांच करोड़ रुपए रैकरिंग खर्चा पर–ऐनम आएगा।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जिला पुनर्गठन कमेटी बनाई गई थी, क्या उसने यह सिफारिश की थी कि ये नए जिले बनाए जाएं?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, शुरू में तो उस कमेटी ने यह सिफारिश नहीं की थी लेकिन बाद में लोगों की

ख्वाहिश देख कर और लोगों के ऐक्सप्रैशन सुन कर इस बारे में विचार किया गया और नए जिले क्रिएट किए गए।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, जो चार नए जिले बनाए गए हैं उनमें ऐडीशनल सैशन कोर्टस बनाने के बारे में हाई कोर्ट ने फैसला किया है जिसके कारण वकीलों की हड़ताल चल रही है। हाई कोर्ट ने 8 लाख रुपए के हिसाब से चारों नए जिलों के लिये 32 लाख रुपए की मांग की है क्या यह पैसा उसी खर्चे में शामिल है या अलाहिदा है ?

Mr. Speaker : This is not a relevant supplementary.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो नए जिले बनाए गए हैं क्या उनके हैडक्वार्टर्ज पर स्थाई भवनों आदि की उचित व्यवस्था कर ली गई है, अगर नहीं की है तो कब तक कर ली जाएगी? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो पहले से सब–डिविजन्ज मौजूद हैं, क्या वहां पर एस० डी० एमज० की स्थाई बिल्डिंगों का कोई प्रावधान है, अगर नहीं है तो यह प्रावधान कब तक कर लिया जाएगा?

राव राम नारायणः हमें आपके लोहारू का पहले से ही ध्यान है। वहां पर जरूर बिल्डिंग बनाएंगे और दूसरी जगह भी बनाएंगे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, नए जिले बनाने से करोड़ों रुपये खर्च होंगे और फिर 8– 10 करोड़ रुपया

हर साल खर्च होता रहैंगा। हरियाणा मैं 12 जिले पहले से ही मौजूद हैं और जिले बनाने के लिये शायद यही क्राइटेरिया होता होगा कि जन विकास की और सहूलियतें लोगों को मिल सके। इसको ध्यान में रखते हुए ही ये कुल 16 जिले बनाये गए हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बगैर नए जिले बनाये ही लोगों के लिए जन विकास की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती थीं ताकि नए जिले बनाने पर जो खर्च आएगा उससे और दूसरे जन विकास के कार्य हो सकें?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, जैसा मैंने बताया है कि लोगों ने मांग की थी और उसी मांग को ध्यान में रखते हुए, ये चार नए जिले बनाए गए हैं।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि री–आर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से नए जिले बनाने की रिकमैन्डेशन नहीं थी बल्कि बाद में लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए ही ये चोर नए जिले बनाये गए हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हुं कि जबकि लोगों की नए जिले बनाने से संटिसफैक्शन नहीं हुई तो क्या पुनः लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर दौबारा गौर करने का कोई विचार है?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब चूंकि यहां डैमोक्रेटिक सैट–अप है इसलिए इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश रहती है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जब नए जिले बनाये जाते हैं तो वहां पर जिलाधीश के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भी नियुक्तियां करनी होती हैं। जैसे मैं शिक्षा विभाग. के बारे में कहना चाहती हूं। ये चार जिले बनाने से वहां पर चार जिला शिक्षा अधिकारियों की, जिनकी पोस्टें अभी तक सेक्शन नहीं हुई हैं, भी नियुक्तियां करनी होंगी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो खर्चा इन्होंने बताया है क्या इसमें सभी विभागों की पोस्टों का खर्चा शामिल है या नहीं?

राव राम नारायणः हरेक डिपार्टमैंट अपना. अलग–अलग खर्चा निकालेगा। जो खर्चा मैंने बताया है यह सिर्फ रैवेन्यू डिपार्टमैंट का ही है।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन जिलों में जो नई नियुक्तियां होनी हैं क्या वे हो चुकी हैं या नहीं। यदि नहीं हुई तो उनकी नियुक्तियों का क्या क्राइटेरिया है?

राव राम नारायणः जैसे पहले नियुक्तियां एस० एस० एस० बोर्ड या दूसरी एजेंसिज से होती हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी नियुक्तियां होंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराजः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जुवाब नहीं आया है। नए जिले बनाने पर इन्होंने अपने विभाग का

खर्चा बताया है, क्या मन्त्री महोदय अन्य विभागों का भी खर्चा बताएंगे कि एक जिला बनाने पर कुल कितना खर्च आएगा?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, यह बड़ा स्पैसिफिक सवाल है कि क्या रैवेन्यू मिनिस्टर बताएंगे कि जिला बनाने पर कितना खर्च आया। मन्त्री जी ने इसका व्यान तफसील से कर दिया है। अब ये सप्लीमैंटरी को बहुत दूर तक लेकर चले गए हैं। जरा ये सीमित ही रहैं तो अच्छा होगा। मैम्बर साहैंबान से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह केवल रैवेन्यू डिपार्टमैंट के ऐक्सपैन्डीचर का ही सवाल है।

श्री रतन लात कटारिया: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि नए जिले बनाने से कुछ ग्रामों को जो असुविधा हुई है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए इनको दुबारा री–आगेंनाइज करेंगे?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब तो उन्होने पहले ही दे दिया है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, अभी जो सवाल पूछा गया था वह सवाल खर्च के बारे में था कि टोटल खर्चा कितना हुआ है? मन्त्री महोदय ने चार जिलों का केवल रैवेन्यू डिपार्टमैंट का खर्चा बताया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सभी महकमों का कुल कितना खर्चा होगा?

राय राम नारायणः स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। किस महकमे का कितना खर्च होगा इसको अभी वर्कआउट किया जाना है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सारे पैसे का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है इसलिये वे इसे अभी बता नहीं सकते।

Non-Payment of Salary to the Employees of B. K. Hospital,

Faridabad

*** 1004. Shri Surrender Kumar Madan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Govt. is aware of the fact that any category of employees working in the B.K. Hospital, Faridabad are not being paid salary; if so, since when togetherwith the reasons thereof; and

(b) the action, if any, taken against the official responsible for non-payment of salary to the employees as referred to in part (a) above and the time by which the salary is likely to be disbursed to them ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओए प्रकाश चौटाला):

(क) बी० के० अस्पताल, फरीदाबाद में कार्यरत सभी वर्गो के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं, जिनको पिछले मास साल डेढ़ साल की इकट्ठी तनख्वाह दी गई है? यदि ऐसा है तो उन कर्मचारियों। को पिछले साल डेढ़ साल से तनख्वाह क्यों वहीं दी गई?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः सिवाय नेत चिकित्सा सहायक जिसे औपथैल्मिक असिस्टैन्ट भी कहते हैं, सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दी गई है। नेत्र चिकित्सा सहायक की पोस्टें ऐसी पोस्टें हैं, जिन्हैं छठी प्लान में केन्द्र सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाया करती थी। इन पोस्टों के सातवीं प्लान में आ जाने की बात थी और हमारे फाइनैन्स डिपार्टमैंट की ओर से इस पर आपत्ति थी इसलिए इसमें अड़चन और दिक्कत रही। स्टेट गवर्नमैंट से उन्हैं तनख्वाह बदस्तूर मिलती रही और 31– 12– 1989 तक सभी को सारी तनख्वाह मिल गई है तथा इन पोस्टों को अगले प्लान में शामिल कर लिया गया है।

Setting up of Woolen Mill at Loharu

***1007. Shri Hira Nand Arya : Will** the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Woolen Mill at Loharu; if so, the time by which it is likely to be set up ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): जी हां हम मिल की परियोजना कार्यान्वयन में लगभग दो वर्ष लगेंगे अगर किसी प्राइवेट पार्टी का सहयोग बतौर को–प्रोमोटर प्राप्त हो जाये।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इसके लिये हैफेड को एप्रोच किया है या उनसे बातचीत की है?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने तीन बार इसको ऐडवर्टाइज किया है लेकिन हमें कोई को–प्रोमोटर नहीं मिला। यदि हैफेड भी लगाना चाहें तो बकायदा उसको भी कहा जाएगा क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है। अगर वे लगाना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी और हम उनको इजाजत देंगे और मदद भी करेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि, क्या लोहारू में०न की मिल का किसी पिछली सरकार ने भी कभी नींव पत्थर रखा था या उद्घाटन किया था? यदि हां तो क्या यह मिल चालू हो गई हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: वे तो गाड़ी में पत्थर रख कर लाया करते थे और फैंक कर चले जाया करते थे। (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इसे हैफेड को दे दें। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने 1977 में और फिर दोबारा जब मुख्य मन्त्री बने

थे, लोहारू में पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया था कि इस मिल को पूरा करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके आश्वासन को पूरा करने के लिये आदरणीय मुख्य मन्त्री जी कुछ पग उठाएंगे? यदि वे इस बारे में कुछ कह पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी ताकि इस अधूरे काम को शीघ्र परा किया जा सके और निर्माण कार्य शुरू हो सके।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, चौधरी देवी लाल जी आज हमारे उप–प्रधान मन्त्री हैं और उस समय मुख्य मन्त्री थे। हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी हर बात को सर–अन्जाम दिया जाएगा। इस में हम प्रयास कर रहैं हैं और इसको बार–बार ऐडवर्टाइज कर रहैं हैं। जब हैम को को–प्रोमोटर मिल जाएगा, इस मिल को बाकायदा चालू किया जाएगा।

Encroachment on Strip Forests in Faridabad and Gurgaon Districts

***1011. Shri Parma Nand :** Will the Minister of State for Forests be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that any encroachment on the strip forests along with National Highways, State Highways and approach roads in Faridabad and Gurgaon districts has been made by the private colonisers and private persons; and

(b) if the reply to part (a) above be in the

affirmative, the steps, if any, taken or proposed to be taken to remove the unauthorised encroachment of the said strips ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect of this Question, which has been granted. The Communication received from the Minister concerned in this connection reads as under : —

अन्तरिम उत्तर

D.O. No. 268-व-3-90/12,

"Dr. Raghuvii Singh Minister of State for

M.Sc., LL B.. Ph.D. Jails & Forests, Haryana

Dated 15-1-90

विषय – श्री परमानन्द, एम० एल० ए० द्वारा पुछा गया तारांकित विधान सभा प्रश्न नं० 1011 जिला फरीदाबाद तथा गुडगांव में राष्ट्रीय, राज्य तथा

पहुँचायक सड्कों के साथ लगे पौधारोपण का अवैध कब्जा।

प्रिय श्री चड्ढा साहब जी,

कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान दें।

2. इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि श्री परमानन्द, एम ं एल० ए० द्वारा पूछा गया तारांकित विधान सभा

प्रश्न क्रमांक 1011, जो कि दिनांक 16– 1– 90 के लिये नियत है, इस प्रश्न के उत्तर बारे आवश्यक सूचना लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) से प्राप्त की जानी है जिसमें अधिक समय लगने की. संभावना है। इसलिये इसका उत्तर 16– 1– 90 तक दिया जाना संभव नही है।

3. मैं आभारी हूंगा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिये ''रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनैस इन दी हरियाणा विधान सभा'' के नियम 41 के परन्तुक (2) के अनुसार कम से कम एक मास का समय देने का कष्ट करें।

आदर सहित।

भवदीय,

हस्ता/–

(रघुवीर सिंह)

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ।''

Setting up of a 'Thermal Plant in Rewari District

***1016. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State whether there is

any proposal under consideration of the Government to set up a Thermal Plant in district Rewari ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : No, Sir.

Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the reasons for not establishing the thermal power plant at Rewari, which is connected by the railway line and is a railway junction also ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, थर्मल प्लान्ट ऐस्टेबलिश करते समय तीन चार बातों का ध्यान रखा जाता है। नम्बर एक पर यह देखा जाता है कि वहां लोड की कितनी ग्रोथ आने वाले सौलों में होगी। नम्बर दो वहां पर ब्रौडगेज लाईन की अवेलेबिलिटी है या नहीं। नम्बर तीन वहां पानी काफी मिकदार में अवेलेबल है या नहीं और नम्बर चार बिजली का वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं। रिवाड़ी में सब से बड़ा बौटलनैक ब्रौडगेज लाईन का न होना और पानी की उपलब्धि न होना है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कौन कौन सी जगह पर थर्मल पावर प्रोजैक्ट बनाये जा रहैं हैं? दूसरे टोहाना चूंकि सारी कन्डीशंज को पूरी करता है वहां पर पानी भी हैं, ब्रौडगेज लाईन भी है, लोड की ग्रोथ आने वाले सालों में भी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर भी वहां है, क्या वहां पर थर्मल प्लान्ट लगाने पर विचार करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, फिलहाल तीन थर्मल पावर प्लान्टस हिसार, पलवल और भिवानी की प्रोजक्ट रिपोर्ट सैन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथोरिटी को सबमिट की है।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद में गैस–बेस्ड थर्मल प्लान्ट लगना था, उसकी क्या प्रगति हुई है और कब तक वह लगाया जा रहा हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, बल्लभगढ़ में 216 मैगावाट का गैस–बेस्ड प्रोजैक्ट लगवाने की प्रोपोजल हम सबमिट कर चुके हैं लेकिन एन० टी० पी० सी० के भी अन्डर कंसीड्रेशन है कि 800 मैगावाट का गैस–बेस्ड प्रोजैक्ट वहां लगाया जाये।

श्री राम विलास शर्माः स्पीकर साहब, जो इलाके टेल पर हैं जैंसे महैंन्द्रगढ़, रिवाड़ी, कनीना और लोहारू आदि उनके बारे में पिछले दिनों बिजली विभाग ने क्या कोई सर्वे करवाया है कि महैंन्द्रगढ़ के आसपास सौर०र्जा केन्द्र लगाया जाये ताकि वहां के देहातों में जो बिजली की असुविधा है, वह कम हो सके? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, माननीय सदस्य का सवाल ठीक है। महैंन्द्रगढ़ जिले में सुचारू रूप से बिजली देने में पिछले दिनों से कठिनाई महसूस हो रही है। उसके. लिए कनीना में पावर

ट्रांसफार्मर लगा प्ले हैं और 15 फरवरी तक लगने की आशा है। उसके लगने के पश्चात आशा हैं कि उस इलाके में बिजली ठीक मिलेगी। बिजली बोर्ड जहां–जहां आवश्यकता महसूस करता है वहां साथ के केन्द्र से या तो औगमेंट कर देता है या नया केन्द्र स्थापित करने की हमारी योजना चालू रहती है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया था कि पलवल में थर्मल प्लान्ट लगाने की योजना है क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह कितने मैगावाट कौ योजना है, कब उसकीं शुरूआत होगी और उसके कब तक पूरे होने की संभावना है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चार मशीनों का 210 मैगावाट प्रति मशीन के हिसाब से प्रोजैक्ट सबमिट किया है। फिलहाल इस बारे में टाईम नहीं दिया जा सकता कि कब क्लियरैन्स होगी और कब यह लगेगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ताप संयन्त्रों के लिये प्रस्ताव अथौरिटी को भेजा है, क्या बिजली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह हरियाणा राज्य की जरूरत को पूरा कर सकेगा या इसके अतिरिक्त भी कोई योजना है जो सरकार के विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब बिजली की खपत प्रोसपैरिटी की निशानी है। मौजूदा सरकार तो चाहैंगी कि बिजली की खपत बढ़ती रहैं ताकि प्रदेश बहुत ही खुशहाल होता रहैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आजकल जो बिजली की कमी है, यह क्यों है और जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं क्या वे सुचारू रूप से काम कर रहैं हैं और पूरो प्रोडक्शन दे रहैं हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वैसे, स्पीकर सर, इस बारे में श्री राम बिलास शर्मा जी का एक काल अटैंशन मोशन भी आया हुआ है और मैं उस पर विस्तार से स्टेट मैंट दूंगा। यह तो अढ़ाई साल में पहली बार 15– 20 दिन के लिये लोगों को बिजली की कुछ कमी महसूस हुई है।

श्री हरनाम सिंहः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यमुनानगर थर्मल प्लांट जो काफी समय पहले क्लीयर हो चुका है, पिछले 6 महीने में वहां पर क्या प्रोग्रैस हुई है और हरियाणा सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, यमुनानगर थर्मल पावर स्टेशन हमने एन० टी० पी० सी० को दिया है। उस पर हरियाणा प्रान्त ने 25 प्रतिशत खर्च करना है जबकि वहां से लगभग 42–43 प्रतिशत बिजली हमें शेयर के रूप में मिलेगी। एन० टी० पी० सी० के चेयरमैन पिछले दिनों आये थे और मुख्य मन्त्री जी से मिले थे।

वह काम बहुत जल्दी ही शरू होने वाला है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ऐनर्जी मिनिस्टर से भी मिले थे और अब प्राईम मिनिस्टर से मुलाकात के लिये जल्दी ही तारीख आने वाली है। हम उनसे भी मिलने जा रहैं हैं। मैं इस हाउस को अश्योर कराना चाहता हूं कि सरकार की ओर सै बिजली और पानी लोगों को पूरा मिले, इसके लिये काम शुरू हुआ पड़ा है चाहैं वह एस०वाई० एल० हो चाहैं बिजली का मामला हो, मौजूदा सरकार ऐसे कामों को टौप प्रायरिटी पर रखेगी और पूरा बिजली और पानी लोगों को सप्लाई करेगी!

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय रिवाड़ी में बिजली की दिक्कत को देखते हुए, चूकि रिवाड़ी राजस्थान के नजदीक है, क्या वहां पर कोई गैस–बेस्ड थर्मल प्लांट लगाने जा रहैं हैं या कोई ऐसी प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, गैस बेस्ड प्लांट लगाने के लिये गैस की पाईप लाईन आना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल जो बातें हो रही हैं, यह तो फरीदाबाद की हो रही हैं। हां, भविष्य में उस के बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री हरि सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने हिसार में जो थर्मल प्लांट लगाने की बात बतायी है, क्या वह बतायेंगे कि वह कब तक शुरू कर रहैं हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, मैंने माननीय सदस्यों को बताया है कि प्रोजैक्ट रिपोर्ट हमने सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी को सबमिट कर दी है। इसमें अभी तो टाईम लगेगा!

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब यमुनानगर का प्रोजैक्ट बना था उस समय की प्रोपोजल के मुताबिक किस समय इसने कम्पलीट होना था? क्या वह प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक ही चल रहा है या उसमें समय आगे बढ़ाया जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, यह तो काफी डिले हो चुका है। डिले इसलिये हो गया कि केन्द्र की पूर्व सरकार हरियाणा प्रान्त के साथ बहुत ही सौतेली मां का व्यवहार करती रही है। आज से दों–अढ़ाई साल पहले जब चौधरी देजी लाल जी 1987 में मुख्य मंत्री बने तब से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। ईश्वर की दया से अब कुछ वातावरण बदला है। जो नई सरकार बनी है, उसमें चौधरी देवी लाल जी की काफी वरिष्ठ पोजीशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विकास कार्य तेज गति से चालू होंगे।

सरदार बूटा सिंहः क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरे हल्के में सीवन में 132 के० वी० का सब–स्टेशन बनाने के लिये क्या कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्षः 132 के० वी० का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो थर्मल प्लांट के बारे में सवाल है। आप बैठिये।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः क्या मन्त्री महोदय यह बताने कीं कृपा करेंगे कि सिरसा जिले में नाथू सिरी चौपटा गांव में जो एटौमिक पावर स्टेशन बनाने की प्रोपोजल थी, क्या उसको आगे परसू किया जा रहा है!

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, नाथू सिरी चौपटा के लिए तो कोई योजना है ही नहीं। एक गांव हमारे गृह मंत्री के हल्के में था जिसका नाम कुम्हारिया है, वहां पर इसे बनाने के लिये जगह ऐप्रूव की गयी थी लेकिन अब वह भी जेरेगौर नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, देश में बदले हुए राजनैतिक वातावरण को दृाष्टिगत रखते हुए और केन्द्र तथा राज्यों में किसान के हित को चाहने वाली सरकार के होते हुए और बिजली के जो दूसरे वैकल्पिक स्रोत हमारे सामने हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय किसी लम्बी योजना पर विचार करेंगे जिससे कि इस समय जो एक दूसरे राज्यों में बिजली की सप्लाई में गड़बड़ होती है और जिसके कारण कई–कई दिन तक बिजली नहीं आती, वह गड़बड़ न हो। देखने में आया है कि विदेशों में बीस–बीस साल तक बिजली की सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं आता। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस बारे में हरियाणा कोई पहल करने को तैयार है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सारे भारतवर्ष का सवाल है, वह तो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। केन्द्र की जुरिस्डिक्शन में आता है। उस पर केवल ऐनर्जी मिनिस्टर गौर करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रान्त में सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से पूरी बिजली मिले, इसके लिये हम सबस्टेशंज को औगमैन्ट करेंगे और नए सबस्टेशंज बनाएंगे। बाकायदा इसके लिए एक्शन प्लान बना हुकम है। उसके हिसाब से हम चलेंगे और हरियाणा प्रान्त में डौमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कौमर्शियल क्षेत्र में पूरी बिजली मित्ने, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखेगी।

श्री कैलाश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, नारनौल हल्के के एक गांव गोलवा जो नांगल चौधरी ब्लौक में पड़ता है, का ऐटौमिक ऐनर्जी प्लान्ट के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1981–82 में सर्वे कराया था। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसका क्या बना?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नही है।

Declaration of Radaur Sub-tehsil as an Industrially Backward Area

***1002 Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under

consideration of the Government to declare Radaur Sub Tehsil as an Industrially Backward Area; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

गृह मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) नहीं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, रादौर सब–तहसील में बड़ी भारी बेरोजगारी है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण तथा बढ़ते हुए परिवारों के कारण लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने आज राजस्थान की पगड़ी बांधी हुई है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि रादौर सब– तहसील में बड़ी भारी बेरोजगारी है। क्या इस बात को देखते हुए मन्त्री महोदय इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करने पर विचार करेंगे?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब का रादौर क्षेत्र इस समय यमुनानगर जिले में आता है। पहले यह कुरुक्षेत्र में आता था। उस वक्त केन्द्रीय सरकार को लिखा गया था

कि इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाए लेकिन अब यह यमुनानगर में आ गया है और यमुनानगर पिछड़ा हुआ जिला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया। एक बार ये अपने हल्के का दौरा कर रहैं थे मैं इनके साथ था। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं इस हल्के को तोशाम बनाना चाहता हूं। मैंने उसी वक्त कहा था कि यहां तो काफी गन्ना पैदा होता है इसमें बाजरा क्यों पैदा करवाते हो। लोगों ने भी उस समय कहा था कि इसको बैकवर्ड घोषित कराने की जरूरत नहीं है।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने किसी भी भाषण में यह नहीं कहा कि रादौर को तोशाम बनाना चाहता हूं। मेरे हल्के में 165 गांव हैं और उनमें से 65 गांव अब भी कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दिनों मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने प्रवास के दौरान सारे कुरुक्षेत्र जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री देवी दासः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में कितनी ऐसी सब–तहसील हैं जो औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल एक तहसील के बारे में था। अगर माननीय सदस्य किसी दूसरी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

Capt. Ajay Singh Yadav : Speaker, Sir, will the Minister be pleased to state whether Kosli is being declared as an industrially backward area ?

Mr. Speaker : No please, If you want to put supplementary, it should relate to Radaur only.

Capt. May Singh Yadav : Speaker, Sir

Mr. Speaker : It is not possible to reply this question off hand.

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बहुत काबिल हैं। सारी बातों का जवाब दे सकते हैं। मैं राजौंद के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मेन सवाल रादौर के बारे में है। राजौंद के बारे में ये जवाब कैसे दे सकते हैं?

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बहुत काबिल हैं, वे जवाब दे सकते हैं।

Mr. Speaker : I know, he is very intelligent. He is exceptionally intelligent but it is not possible for him to give reply to every question off hand.

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार रादौर सब तहसील का बैकवर्ड एरिया घोषित करना नहीं चाहती और न ही यह मामला अन्डर कंसिड्रेशन है। मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वे इस इलाके को तरक्की वाला क्षेत्र समझते हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, तरक्की वाला एरिया तो है ही लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए यह बता देना चाहता हूं कि जब जिलों की रि–आर्गेनाइजेशन हुई, उस वक्त भी हम ने इस बात का पूरी तरह से विचार किया था। बैकवर्ड एरियाज को भी हम देख रहैं हैं औंर जो–जो गांव इसमें आ रहैं हैं उनको बैकवर्ड एरिया घोषित करके ऐक्मोडेट किया जाएगा।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं. जिनको यह सरकार बैकवर्ड घोषित करने जा रही है?

Mr. Speaker : It is not possible.

श्री भगवान साहब रावतः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा राज्य में किसी जिले को या किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने का सरकार का क्या क्राईटेरिया है और सरकार इसके लिये क्या– क्या सुविधाएं प्रदान करती है? केन्द्र सरकार से जो इसके लिये

सुविधाएं मिलती हैं, उनमे और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में कितना अन्तर है?

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका क्राईटेरिया बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग द्वारा औद्योगिक पिछडा क्षेत घोषित करने बारे सुझाया गया मापदण्ड यह है कि जिले जो बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नगरों के 50 मील के दायरे, के बाहर हों। व्यक्तियों की निर्धनता जो कि कम प्रति व्यक्ति आय से प्रकट हो गई हो जोकि सब से कम प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्रों से शुरु होकर राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय से 25 प्रतिशत कम क्षेत्रों तक हो। उत्पादन के साधनों व रोजगार के अवसरों के मुकाबले घनी आबादी वाले क्षेत्र जोकि निम्न बातों से प्रकट होते हों आबादी का कम प्रतिशत व्यवसाय व अन्य कार्य में लगा हो। राज्य की औसत से 25 प्रतिशत कम को पिछड़ा माना जा सकता है। कम प्रतिशत आबादी को कारखानों में रोजगार उपलब्ध हो। राज्य की औसत 25 प्रतिशत से कम को पिछड़ा माना जा सकता है। आर्थिक व प्राकृतिक साधनों जैसे खनिज, वन इत्यादि को कम या उपयोग न करना। पर्याप्त माता में विद्युत शक्ति की उपलब्धि या इसके 1–2 वर्षों में उपलब्ध होने की सम्भावना हो। इसी तरह से संचार व परिवहन साधनों की उपलब्धि या इसका 1–2 वर्षों में उपलब्ध होना व पानी की पर्याप्त माता में उपलब्धि या 1–2 वर्षों में उपलब्ध होने की सम्भावना हो। इस

तरह ऐसी स्थिति वाले इलाकों को बैकवर्ड क्षेत्र घोषित किया जा सगता है।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, अभी –अभी मन्त्री महोदय ने रादौर क्षेत्र कों पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के बारे में यह कहा कि हम देख रहैं हैं और देखेंगे। मैं आप के द्वारा उनको यह कहना चाहता है कि पिछलें चुनाव में हमने देख लिया कि जो सरकार यह कहती थी कि हम देख रहैं हैं और देखेंगे, उनकी क्या हालत हुई है (हंसी) यह सब के सामने है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से इसके लिये कोई ठोस आश्वासन चाहता हूं ताकि जनता को उनके आश्वासन से कुछ भरोसा हो सके।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि हम देख रहैं है और देखेंगे इस तरह कहने वाली पिछली सरकार की जो हालत हुई है, वह सब लोगों के सामने है। मैंनें तो यह कहा था कि हम कर ने हैं और करेंगे।

Government College Loharu

***1008. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the construction work for the building of Government College, Loharu, Staff quarters, Students' Hostel and play grounds has been started; if so, the present stage of construction togetherwith the time by which these are likely to be completed ?

10.00 बजे।

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह): अध्यंक्ष महोदय, गवर्नमैंट कालेज लोहारू की बिल्डिंग के निर्माण का काम 1987– 88 में शुरू किया गया और वह काम तकरीबन पूरा हो चुका है व स्टाफ के लिये क्वार्टरों के निर्माण का काम व खेल के मैदान कौ समतल बनाने का काम अगले वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में लोहारू का क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लड़कियों की पढ़ाई की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। अभी मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि स्टाफ के लिये क्वार्टरों के निर्माण का काम व खेल के मैदान कों समतल बनाने का काम अगले वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है। मैं आपके माध्यम से उन से यह जानना चाहता हूं कि यह सारा कार्य इसी साल में क्यों नही किया जा सकता? आखिर सरकार को इसके लिये कौन सी विशेष दिककों आ रही हैं जिनके कारण इस काम को अगले साल में किए जाने की सम्भावना है? क्या मन्त्री महोदय, इस सारे काम को इसी वर्ष में पूरा करवाने की तकलीफ करेंगे ताकि लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर महोदय, यह प्रोजैक्ट 53.63 लाख रुपए का है और अब तक इस पर 26. 06 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसकी बिल्डिग आलमोस्ट पूरी हो चुकी है। थोड़ा चार दीवारी का काम रहता है। स्टाफ क्वार्टर्ज और मैदान को समतल करने का काम अगले साल कर दिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह निर्माण कार्य जिस समय प्रारम्भ हुआ था उस वक्त यह सारी योजना किस समय तक पूरी हो जानी थी और उसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया था। क्या उस योजना के हिसाब से इस कार्य में डिले नहीं हुई है?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर महोदय, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इसका ऐस्टीमेट 53. 63 लाख रुपए का था और इस पर 56.06 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। क्वार्टर्ज बनाने का और मैदान को समतल करने का काम अगले साल करवा देंगे।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि फाइनैशियल ईयर 1990–91 में हरियाणा सरकार ने कितने गवर्नमैंट कालेज मन्जूर किए हैं और वे कहां कहां पर हैं?

श्री अध्यक्षः यह बताना पौसिबल नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है कि जिस वक्त इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था उस वक्त सारा प्रोजैक्ट 180 लाख रुपए का मन्जूर किया गया था? पर पूरा पैसा कब तक लगना था, क्या वह निर्धारित समय के अनुसार लग रहा है या इसमें डिले हुई है?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर महोदय, इसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल 53.63 लाख रुपए की हुई थी, 180 लाख रुपए की नहीं हुई थी।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कालेजों, स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों की और कितनी बिल्डिंग्ज अधूरी पड़ी हैं? क्या उनके बारे में कोई सर्वे करवाया है, यदि हां, तो उनको कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्षः यह बताना पौसिबल नहीं है'।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, क्या करनाल प्रोपर के अन्दर..

श्री अध्यक्षः यह करनाल का सवाल नहीं है। हर जगह के बारे में ओफ हैंड बताना मन्त्री जी के लिए पौसिबल नहीं है। कृपया आप बैठें।

श्री राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1989–90 में इन क्वार्टर्ज के लिए कितना धन सैक्शन हुआ था और उसमें से कितना खर्च हो चुका है?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्टाफ क्वार्टर्ज अगले वित्त वर्ष में बनाने की सम्भावना है। 8789 में ऐजूकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक बिल्डिंग रिव्यू

कमेटी बनी और यह तय किया गया कि स्टाफ क्वार्टर्ज अगले साल बना दिए जाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि टोटल प्रोजैक्ट जिसमें लड़कियों का होस्टल, स्टाफ, क्वार्टर्ज और लड़कों का होस्टल आता है, के लिए कितना पैसा मंजूर किया गया था?

श्री हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट में यह सब कुछ नहीं था। जब मार्च, 1989 में मुख्य मन्त्री महोदय ने इसकी आधारशिला रखी उस समय यह ऐलान किया गया था कि यहां गर्ल्स होस्टल बना दिया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त में कितने गवर्नमैंट कालेजों की बिल्डिंग्ज बनाने की सैक्शन मिली और उनमें से कितने कालेजों की बिल्डिग बनाने का काम शुरू किया गया?

Mr. Speaker : It is not possible to reply this question.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्लान में बिल्डिंग्ज पूरी न होने की वजह से कितनी कौस्ट बढ़ जाएगी?

Mr. Speaker : It is also not possible to reply this question.

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितनी बिल्डिंग्ज बनाने के लिए सैक्शन मिली थी उन बिल्डिग्ज को बनाने में क्या रुकावट आ गई थी, उनको बनाने का काम पूरा क्यों नहीं किया गया?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, जिन बिल्डिंग्ज को बनाने का काम चल रहा था, वह पूरा हो गया।

ई० जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर सहिब, नारायणगढ़ में कालेज की बिल्डिंग बहुत पुरानी है। (शोर)

Mr. Speaker : Please do not talk about Naraingarh. Talk about the college in question.

Enhancement of Reservation Quota in Services for Backward Classes

***1012. Shri Parma Nand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the reservation quota in services for the persons belonging to Backward Classes in the State ; and

(b) if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री परमा नन्दः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले हरियाणा प्रान्त में पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन थी, किसने की थी और कब की थी?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, अनुसूचित जातियों के लिए श्रेणी 1,2,3 एवं 4 के पदों में 20 प्रतिशत रिजर्वेशन है। पिछड़ी जातियों के लिए श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4 के पदों में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी एक और 2 के पदों में 5 प्रतिशत रिजर्वेशन है। शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन और बहरों के लिए 3 प्रतिशत श्रेणी 3 एवं 4 पदों में रिर्जर्वेशन है यानी प्रत्येक वर्ग के लिए श्रेणी 3 और 4 के पदों में एक प्रतिशत रिजर्वईशन है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों। पर अनुसूचित जातियों के लिए श्रेणी 3 और 4 के पदों में 20 प्रतिशत रिजर्वेशन है, श्रेणी एक और 2 के पदों में कोई आरक्षण नहीं है। पिछड़ी जातियों के लिए श्रेणी 3 और 4 के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण है श्रेगी एक और 2 के पदों में कोई आरक्षण नहीं है।

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में 10 प्रतिशत

आरक्षण किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से मुख मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि हरियाणा प्रान्त में जो नायक जाति है जिसको हैंड़ी कहते हैं, क्या वह जाति इस पिछड़ी जाति की रिजर्वेशन में शामिल है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में वह जाति पिछड़ी जाति के रिजर्वेशन कोटे में शामिल नहीं है।

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए जो 10 परसैट रिजर्वेशन की हुई है यह किस मुख्य मंत्री ने की थी?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, जिस समय पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन की गई उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे। (तालियां)

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, पहले सत के दौरान सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि अनुसूचित जातियों को क्लास–एक और क्लास–2 में भी प्रोमोशन देने के लिए रिजर्वेशन करने पर विचार कर रहैं हैं। मैं मुख्य मंत्री जीं से जानना चाहूंगा कि उस आश्वासन पर सरकार ने क्या फैसला लिया है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम है, यह 10 प्रतिशत रिजर्वेशन 1979 में उस वक्त के मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी द्वारा नही की गई थी इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पुनः यह जानना चाहूंगा कि 10 प्रतिशत की यह रिजर्वेशन कब की गई थी और कौन से मुख्य मन्त्री द्वारा की गई थी?

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। आप कृ पया बैठें।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। दरअसल क्लास–एक और क्लास–2 की प्रोमोशन में 20 प्रतिशत ही रिजर्वेशन चाहिए, इससे ज्यादा नही। स्पीकर साहब, हरियाण। प्रदेश ही सारे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर क्लास–एक और क्लास–2 में रिजर्वेशन नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि सैन्ट्रल सर्विसिज और स्टेट सर्विसिज में क्लास–एक और क्लास–2 की पोस्टों में रिजर्वेशन करने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बाधा खड़ी नहीं कर रहा। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी' से जानना

चाहता हूं कि क्या इस पौलिसी को पुनः रिव्यू करेंगे और जो कमी है उसको दूर करेगे?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, रिजर्वेशन का मामला सारे देश में एकसा ही है और उसी आधार पर यह सारे देश में लागू है। यदि फिर भी कहीं कोई फर्क है तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री योगेश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, अब तो सैन्टर में भी और स्टेट में भी चूंकि एक ही पार्टी का राज है इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन को जाएगी क्योंकि देश के उप प्रधान मन्त्री ने भी अपने भाषण में यह कहा था कि देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होनी चाहिए। इस बारे में अब सरकार की क्या राय है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि देश के स्तर पर बढ़ा दी गई है। इस में सारे मुद्दे खुल कर सामने आए हैं। यह सैशन भी इसी रैटीफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जब इस रैटीफिकेशन पर बहस होगी तो उस समय सदस्यगण इस संबंध में अपनी तमाम बातें अच्छी प्रकार से कह सकते हैं।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस समय सारे देश में आरक्षण के मामले में शोर मचाया जा रहा है। इसलिए मैं मुख्य मंत्रो जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार ने

ऐसी कोई ऐक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो इस बात की छानबीन करे कि एक दफा नौकरी में आरक्षण मिलने के बाद फिर प्रोमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए या नहीं?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः ऐसी किसी कमेटी के बनाये जाने की जरूरत नहीं हैं।

श्री किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1987 में विधान सभा चुनावों के दौरान उस वक्त की लोकदल पार्टी ने अपने मैनीफैस्टो में रिजर्वेशन के बारे में लिखा थाकि यह रिजर्वेशन 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी जाएगी। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उस मैनीफैस्टो में की गई घोषणा के बारे में सरकार की क्या राय है?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैनीफैस्टो बनाने वाले हमारे साथी इधर–उधर बिखर गए हैं। जब ये इकटठे होंगे तब देखा जाएगा। (हंसी)

Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state the percentage of the posts filled in out of the reservation quota meant for Scheduled Castes, Backward Classes and Handicapped ?

श्री अध्यक्षः इन सब बातों का जवाब तो मुख्य मंत्री जी पहले ही दे चुके हैं।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्ष 1988 में जिस वक्त आदरणीय चौधरी देबी लाल जी मुख्य मन्त्री थे, क्या उस वक्त उन्होंने न्यायिक सेवाओं में पिछड़ी श्रेणियों के कोटे को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया था।

Mr. Speaker : This question is not relevant.

डा० मंगल सैन: स्पीकर सर, मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मैनिफैस्टो बिखर गया है या मैनिफैस्टो बनाने वाले बिखर गये हैं? (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मैनिफैस्टो बनाने वाले हमारे अच्छे साथी डा० पुनिया साहब ही थे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please let us not enter into this controversy and proceed further.

श्री किरपा राम पुनिया: .....

.

Mr. Speaker : Punia Sahib, this is not the question at issue. This will not be recorded. Please take your seat. (Noise and Interruptions).

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने महान सदन में बताया है कि आरक्षण का कोटा

50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जस्टिस फजल अली ने, जो सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, एक केस के फैसले में कहा है कि– the end should be legitimate.

Mr. Speaker : Kataria Ji. please take your seat. Next question.

Financial Acsistanee/Grant given to Municipal Committees

***1017.. Captain Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Local Government be pleased to state the details of financial assistance/grant given to Municipal Committees in the State during the last two years ?

स्थानीय शासन मंत्री (श्री सुभाष कटियाल): राज्य में नगरपालिकाओं को 1987– 88, 1988– 89 में दी गई सहायता अनुदान वित्तीय सहायता तथा 1989– 90 के बजट में जैसाकि व्यवस्थित है, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष		
		1987– 88	1988– 89	1989– 90
			(रुपये)	
1	शहरी गन्दी बस्तियों में	100 लाख	100 लाख	110 लाख

	पर्यावरण सुधार (प्लान)			
2.	राजस्व कमाने वाली तदर्थ स्कीम (प्लान)	75 लाख	75 लाख	75 लाख
3.	विकास कार्य (नान–प्लान)	50 लाख	48. 374 लाख	5 लाख + विशेष सहायता अनुदान के रूप में 190. 50 लाख
4.	बाढ़ राहत अनुदान	–	100 लाख (केन्द्रीय सहायता अनुदान)	–
	योग	225 लाख	323.374	लाख 425. 50 लाख

110 लाख रुपये पर्यावरण सुधार के लिये तथा 190. 50 लाख रुपये विशेष सहायता अनुदान के रूप में चालू वर्ष में रिलीज

किये जा चुके है/अन्य दो सहायता अनूदान को रिलीज करने का मामला चल रहा है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो राशि बताई है उसका वितरण क्या कमेटियों की कैटेगरीज के हिसाब से किया जाता है या किसी और हिसाब से किया जाता है और डिफरैंट कमेटियों को कितनी–कितनी राशि दी गई है?

श्री सुभाष कटियाल: अध्यक्ष महोदय, जो टोटल अवेलेबल ग्रान्ट होती है वह 82 नगरपालिकाओं और 83वी फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन को हिसाब से बांटी जाती यै।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ''ए'' क्लास, ''बी'' क्लास और ''सी'' क्लास कमेटी को किस प्रकार से राशि का वितरण किया गया है?

श्री सुभाष कटियाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो पैसा अवेलेबल होता है, उसके हिसाब से ही वितरित किया जाता है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हू कि इन्होंने क्लास ''ए'', क्लास ''बी'' और क्लास ''सी'' कमेटियों को कितनी–कितनी राशि दी है ?

श्री सुभाष कटियालः अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत लम्बी लिस्ट है। इसके पढ्ने में कम से कम एक घन्टा लगेगा। इनको बाद में मैं यह लिस्ट दिखा दूंगा।

श्री राम विलास शर्माः क्या मंत्री महोदय की जानकारी में ऐसी कोई बात आयी है कि म्यूनिसिपल कमेटियों के। जो राशि अनुदान के रूप में दी गई थी, वह जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं दी गई और उसका उपयोग भी हिसाब से नही किया गया। अगर यह बात इनके नोटिस में है और ऐसा हुआ है तो क्या इसे ये दुरस्त करने की सोच रहैं हैं?

श्री सुभाष कटियालः ऐसी कोई बात मेरी जानकारी मैं नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, क्या ए, बी और सी क्लास कमेटियो को जो ग्रान्ट दी गई है वह अलग अलग कैटेगरीवाइज तय करके दी गई है या अलग– अलग कमेटी को उसकी सुविधा और जरूरत के हिसाब से दी गई है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय हरियाणा में म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव 20 साल बाद हुए और म्यूनिसिपल कमेटियों के खर्चा चलाने के साधन भी 20 साल पुराने थे। हर म्यूनिसिपल कमेटी को खासी परेशानी है। इसीलिए उस वक्त के मुख्य मंत्री, आदरणीय चौधरी देवी लाल, ने अम्बाला की एक बहुत बड़ी रैली में अनूदान राशि के रूप में 'ए'

क्लास कमेटी को पांच लाख रुपये, 'बी' क्लास कमेटी को अढ़ाई लाख रुपये और 'सी' क्लास कमेटी को डेढ़ लाख रुपये देने का एलान किया था। लेकिन फिर जब उनके रास्ते में और दिक्कतें आयी तो सरकार ने 'ए' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी को तीन लाख रुपये, 'बी' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी को डेढ़ लाख रुपये और 'सी' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी को 89 हजार रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है।

श्री उदय भानः में मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह राशि ए, बी और सी क्लास सब म्यूनिसिपल कमेटियों को समान रूप से दी गई है या अलग–अलग से दी गई शै?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः यह तो समान' रूप से ही दी जाती है।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटियों को यह अनुदान राशि दिये जाने के बाद वहां सी० ई० ओ० की पोस्ट नहीं रही है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि इस राशि का सही उपयोग हो सके क्योंकि अश्व उसकी छानबीन करने वाला सी० ई० ओ० का पद वहां नही रहा हैं?

श्री सुभाष कटियालः स्पीकर साहब, अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां हैं।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, सन् 1988–89 में शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिए 100 लाख रुपया रखा था। मैं आपके द्वार। मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान रखा गया है?

श्री सुभाष कटियालः इस स्कीम के अन्तर्गत शहरी गन्दी बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति, बच्चों के पार्क, गलियों को पक्का करने, सामुदायिक शौचाल्य बनाने, गलियो में रोशनी, गन्दी बस्तियों में मल तथा बारिश के गन्दे पानी की नालियों आदि पर पैसा खर्च करते है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि राजस्व कमाने वाली तदर्थ स्कीम के तहत सन् 1988–89 में 75 लाख रुपया और सन् 1989–90 में भी 75 लाख रुपया दिया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके क्या रिजल्टस रहैं?

श्री सुभाष कटियालः इस स्कीम के तहत दुकानों आदि के निर्माण करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटियों को सहायता अनुदान दी जाती है ताकि वे अपनी नियमित आय में बढ़ौतरी कर सकें।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का मतलब यह आ कि राजस्व कितना बढ़ा है?

Shri Subhash Kayal : Mr. Speaker, Sir, this is not relevant.

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, शराब से जो रैवेन्यू आता है उसमें से कुछ शेयर नगरपालिकाओं को भी मिलता है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सभी म्यूनिसिपल कमेटियों को शेयर मिल गया है?

श्री सुभाष कटियालः कई जगहों पर मिल गया है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

अतारांकित एवं एवं उत्तर

ConstrueIon of Dadupur-Nalvi and Ladwa Canals

163. Shri Harnam Singh : Will **the Minister for** Irrigation and Power be pleased to refer to Unstarred Question No. 157 answered on 12th September, 1989 and to state—

(a) whether the approval of the proects have been received from 'Central Water Commission/Planning Commission, Government of India; and

(b) if so. whether the construction work of the Dadupur-Nalvi Canal and Ladwa Canal has been started; if not the reasons therefor ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (भी वीरेन्द्र):

(क) नहीं।

(ख) दादुपुर नलवी नहर व लाडवा नहर का निर्माण कार्य आरम्भ नही हो सका क्योंकि ये परियोजनाएं केन्द्रीय सिंचाई आयोग/योजना आयोग, भारत सरकार से अभी अनुमोदित होनी हैं।

Power Houses at Dhola Majra Pipli and Beejarpur

164. Shri Harnam Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up New Power houses at Dhola Majra (Shahabad), Pipli and Beejarpur (Shahabad); if so, the time by which the aforesaid Power houses are likely to be set-up ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): शाहबाद (ढोला माजरा) में एक 220 के० बी० सब–स्टेशन तथा नलवी (बीजडपुर) में एक 66 के० वी० सब–स्टेशन वर्तमान समय में निर्माणाधीन है जिनका धन की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए लगभग वर्ष 1990–91 के अन्त तक पूर्ण हो जाना सम्भावित है।

Regularisation of the Services of Adhoc Employees

165. Shri Hira Nand Arya : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of the adhoc employees who have completed two years of services in the State; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to materialize ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Loss/Damage of Stored Grain of Haryana Warehousing Corpora ion

166. Shri Hira Nand Arya : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any of the grain stored in Warehouses/godowns of the Haryana State Warehousing Corporation has been damaaged or any loss has been suffered in storage thereof during the last five years; if so, the quantity thereof together with the reasons therefor; and

(b) if the reply to part (a) above is in affirmative, whether any action has been taken or proposed to be taken against the officials of the aforesaid Corporation who have been found responsible for the said loss/damage of stored grain; if so, the details thereof ?

कृषि मन्त्री (श्री रणजीत सिंह):

(क) हरियाणा वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के वेयरहाऊसिज/गोदामों में रखे अनाज को पिछले पांच वर्षो में बहुत ही मामूली हानि हुई जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	हानियां		
	चोरी से	आग से	खराब होने से
			(संख्या क्विंटलों में)
1984–85	501.60	कोई नहीं	कोई नही
1985–86	252.80	कोई नहीं	कोई नहीं
1986–87	221 92	कोई नहीं	430. 50 (मण्डी में वर्षा से प्रभावित)
1987–88	222.65	कोई नहीं	9.20 (ओलावृष्टि से गोदाम की छत को नुकसान व वर्षा के पानी के गोदाम में प्रवेश के कारण खराब हुआ)
1988–89	86.71	कोई नहीं	44. 80 (तूफान के कारण गोदाम की छतों का उड़ना व वर्षा)

कुल खाद्यान्नों का भण्डारण 25 लाख क्विंटल से लेकर 75 लाख क्विंटल रहा।

(ख) कारपोरेशन के वेयरहाऊसिज / गोदामों में रखे अनाज को हुए नुकसान के लिए पाये गये जिम्मेदार कर्मचारियों का वर्ष–वार विवरण निम्नलिखित है –

1984—85

501.60 क्विंटल की कुल हानि में से 384.65 क्विंटल व 38.10 क्विंटल की कीमत क्रमशः बीमा कम्पनी व दोषी पाये गये कर्मचारियों से वसूल कर ली गई है। 78.85 क्विंटल की हानि की वसूली हैंतु सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

1985—88

निगम को हुए 207.20 क्विंटल नुकसान को बीमा कम्पनी से वसूल कर लिया गया है। शेष 45.60 क्विंटल की कीमत बीमा कम्पनी से आनी बकाया है जिसके लिए पत्र व्यवहार चल रहा है।

1986— 87

(अ) निगम को हुई 221.92 क्विंटल की हानि में से 105.02 क्विंटल की कीमत बीमा कम्पनी से वसूल कर ली गई है। 29 क्विंटल की कीमत बीमा कम्पनी से आनी शेष है तथा शेष 87. 90 क्विंटल की क्षति—पूर्ति के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(ब) 430.50 क्विंटल के खराब होने में जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

1987—88

(अ) कारपोरेशन ने 26.60 क्विंटल हानि की कीमत बीमा कम्पनी से वसूल कर ली है तथा अन्य 170. 40 क्विंटल का दावा बीमा कम्पनी के पास लम्बित है। बकाया 25.65 क्विंटल की हानि के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(आ) क्योंकि नुकसान प्राकृतिक विपदाओं के फलस्वरूप हुआ तथा इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं था अतः इस हानि को निगम ने स्वयं वहन किया है।

1988—89

(अ), चोरियों के कारण कारपोरेशन को हुये 86.71 क्विंटल के नुकसान से सम्बन्धित दावे बीमा कम्पनी के पास लम्बित हैं जिनको प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहैं हैं।

(आ) भारी तूफान के कारण गोदामों की छतों के उड़ने व तदोपरान्त वर्षा के परिणाम स्वरूप हुई हानि को निगम स्वयं वहन करेगा। इसके लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं था।

Anomalies in Pay-Scales of Engineers

167 Shri Hira Nand Arya : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether any representation/memorandum in regard to the anomalies in the pay-scales of Engineers/Diploma Engineers Association has been received by the Govt. during the year 1989 (to-date); if so, the action taken thereon ?

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दासगुप्ता): हां। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Land affected by War Logging in Sonipat and Rohtak Districts

167 Shri Hira Nand Arya : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the land adjacent to J.L.N. Canal in district Sonipat and Rohtak has become uncultivable and unfertile due to water logging; if so. the total area of land affected from water logging so far; and

(b) the steps, so far taken or proposed to be taken to control the water logging ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) जिला रोहतक में लगभग 1,900 एकड़ भूमि सेम से प्रभावित हुई (ख) इस समस्या के समाधान के लिए 122.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तीन स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इन स्कीमों के अनुसार भूमि के भीतरी जलस्तर को नीचा करने के लिए जे० एल० एन० नहर की दाई तरफ और भालोट सब ब्रांच की बाई ओर डिच ड्रेन बनाई जानी है। यह कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र को राहत दी जा चुकी है।

Construction of Roads in District Sirsa

169. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under

consideration of the Government to construct the following roads in district Sirsa during the year 1990-91 :—

(i) from Kariwala to Talwara Therh ;

(ii) from Nagrana Therh to Mohar Singh Therhi Road ;

(iii) from Hami II, to Hami III;

(iv) from Rania Jeevan Nagar Road to Rampur Theri Harijan Basti ;

(v) from Dhanur to Jhorar Nali ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज): प्रत्येक सड़क की स्थिति निम्न अनुसार है –

(1) तथा (2) सिद्धांत रूप में इन सड्कों के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है और इनके अनुमान तैयार किये जा रहैं हैंय

(3) इस सड़क की हाल ही में स्वीकृति दी गई है और कार्य वर्ष 1990– 91 में आरम्भ करने की सम्भावना हैय

(4) इस सड़क के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नही हैय

(5) इस सड़क के निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Setting up of Sugar Mill in District Sirsa

170. Shri Bhagi Ram : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill in district Sirsa; and

(b) if so, the time by which the said Sugar Mill is likely to be set up ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह):

(क) तथा (ख) प्रोजैक्ट की वायबिलिटी परीक्षणाधीन है। जैसे ही यह स्थापित हो जाती है, आगामी कार्यवाही की जायेगी।

Govt. College in Ellenabad Constituency

171. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Govt. College in the Ellenabad constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Upgradation of Schools in Ellenabad Constituency

172. Shri Bhagi Ram : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Primary School to Middle School at village Beharwala, Dhoepaliya. Poharka and Mauja Khera in the Ellenabad constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) नही।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, चुनाव के दौरान भिवानी और दूसरी कई जगहों पर गोली चली है इस बारे में मेरा एक काल अटैंशन मोशन है। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आपने कब दी हैं?

डा० मंगल सैन: दिन हो गये हैं और मैंने यह बाई–पोस्ट भेजी है।

Mr. Speaker : It is not on my list. Please give me ,time. I will check up.

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मेरा भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा के कर्मचारियों के बारे में है। पिछले कई दिनों से कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा है। उनकी कुछ दिक्कतें हैं जिसके बारे में हमारी सरकार फैसला भी कर चुकी है। उनकी कुछ मांगें ऐसी हैं जो जायज हैं और बड़ी अनियमितताएं भी हो रही हैं।

Mr. Speaker : I have called for the comments of the Government.

श्री राम बिलास शर्मा: सर, मेरा एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बिजली की कमी के बारे में भी है।

श्री अध्यक्ष: वह आज ही ले रहैं हैं।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, मैंने भी बिजली की कमी के बारे में काल अटैंशन मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष: वह भी राम बिलास शर्मा जीं के मोशन के साथ ही टेक–अप कर लिया जायेगा'।

श्री किरपा राम पुनिया: सर, डिटीरियोरेटिंग ला एंड आर्डर के बारे में मेरा भी एक मोशन है।

श्री अध्यक्ष: वह मेरे पास आया है। उसका ज्यादा हिस्सा सब–जुडिस है। I am sorry; I have rejected it.

डा० बृज मोहनः सर, मेरा जो सवाल नं० 1005 था, उसको क्यों कैसिल कर दिया गया है?

Mr. Speaker : The subject matter of the question pertains to the Govt. of India. Therefore, it has been disallowed.

श्री कैलाश चन्द शर्माः सर, मेरा भी बिजली की कमी के बारे में एक काल अटैंशन मोशन है।

श्री अध्यक्षः वह भी आज ले रहैं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा के गांवों तथा शहरों में बिजली की कमी सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. I from Shri Ram Bilas Sharma M.L.A., regarding shortage of supply of electricity in the villages and cities of Haryana. I admit it. On the same subject, I have also received notices of calling attention motion Nos. 4 and 6 from Sarvshri Parmanand, Lachhman Singh Kamboi & Muni Lal and Shri Kailash Chand Sharma, respectively. अपना नोटिस पढ दें और उसके बाद यदि सम्बन्धित मंत्री स्टेटमैंट देना चाहे तो दे दें। Thereafter concerned members will also be given opportunity to ask questions.

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले एक माह से हरियाणा के गांव एवम्

शहरों में बिजली की सप्लाई की स्थिति बहुत खराब है। वैसे तो सारे हरियाणा में यह स्थिति अच्छी नहीं है परन्तु खासतौर पर महैंन्द्रगढ़, सतनाली, नारनौल, कनीना, जाटूसाना, अटेली, रेवाड़ी, पटौदी, कोसली, दादरी और लोहारु में बिजली बहुत कम मिल रही है। जैसा कि इस क्षेत्र में ट्यूबवैलों द्वारा सिंचाई की जाती है इसलिए फसलों को बिजली कम मिलने से किसान बहुत नाराज हैं। अतः वह प्रार्थना करते हैं कि सरकार उक्त स्थिति पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बिजली की सप्लाई ठीक करके राहत प्रदान करे।

वक्तव्य–

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, 25 दिसम्बर, 1989 तक राज्य में बिजली की आपूर्ति स्थिति किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता पर बिना किसी कटौती लगाए सुविधाजनक थी, जबकि उत्तरी क्षेत्र का प्रमुख ग्रिड क्षतिग्रस्त हो गया। इस ग्रिड के क्षतिग्रस्त होने के बाद देहली सहित समस्त उत्तरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति स्थिति बिगड़ गई तथा इसका बुरा प्रभाव अगले 8 से 10 दिनों तक जारी रहा। तब से स्थिति अब स्थिर हो चुकी है, अब राज्य 200 से 210 लाख यूनिट बिजली प्रति–दिन आपूर्ति कर रहा है जिसमें से कुल उपलब्धि की लगभग

65 प्रतिशत बिजली कृषि को दी जा रही है। पिछले वर्ष इसी समय के दौरान बिजली की उपलब्धता लगभग 180 लाख यूनिट प्रतिदिन थी जिसमें से लगभग 90 लाख यूनिट कृषि क्षेत्र को दी जा रही थी जोकि कुल उपलब्धी का लगभग 50 प्रतिशत था। सर्दी के मौसम के दौरान होने वाली वर्षा न होने के कारण चालू सर्दी के लिए 'बिजली को अधिकतम माग में असाधारण वृद्धि हुई है। इसलिए सिंचाई के लिये ट्यूबवैलों को और अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ी तथा ठण्डी हवाओं के लगातार दौर के कारण पूरे उत्तरी क्षेत्र में बहुत ही अधिक घरेलू हीट लोड की आवश्यकता रही। इन्हीं कारणों से 25 दिसम्बर, 1989 को उत्तरी ग्रिड के बिजली में आशिक रूप से व्यवधान आया। इनके साथ–साथ ग्रिड की स्थिति अस्थिर होने के कारण विशेष कर प्रणाली की फ्रीक्वैन्सी पैरामीटर में बिजली स्थिति और अधिक जटिल हो गई। केन्द्रीय सरकार,०र्जा विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत उत्तरी क्षैत्र बिजली बोर्ड द्वारा यह फैसला किया गया कि प्रणाली के फ्रीक्वैन्सी पैरामीटर को सुरक्षा स्तर तक अवश्य ही बनाए रखा जाए जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड में फ्रीक्वैन्सी की सुरक्षा सीमाओं तक बनाए रखने के लिए अचानक बिजली कटौती लागू की जैसा कि अतीत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। उपरोक्त बाधाओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 4– 1– 1990 से बिजली नियमन उपायों को लागू करने का फैसला किया गया जिसे आगे और भी सुदृढ़ किया गया ताकि कृषि को कम से कम 14 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। फिर भी जिला महैंन्द्रगढ़

के विशेष खण्डों जैसे सतनाली, कनीना, भोजावास आदि जिनको महैंन्द्रगढ़ 132 के० वी० उपकेन्द्र से बिजली आपूर्ति दी जाती है, प्रणाली अवरोधों से स्थिति बिगड़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली आपूर्ति तीन समूहों में बांट दी गई है। इन क्षेत्रों को बिजली की कटौती करनी पडी, जब बी० बी० एम० बी० ने (लो फ्रीक्वैसी) कम आवर्ति के समय के दौरान अनिर्धारित कटौती लागू कर दी। इसलिए भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड से विशेष प्रार्थना की गई जोकि इस जिले में 220 के० वी० दादरी उप–केन्द्र से बिजली आपूर्ति नियन्त्रित करता है कि वह इस क्षेत्र में अनिर्धारित कटौती न लगाएं, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। महैंन्द्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव और रोहतक जिले के भी दूसरे एक फसली क्षेत्रों के सम्बन्ध में कृषि तथा लिफट सिंचाई योजना की मांग को पूर्ण करने के लिए आवश्यक लोड की उपलब्धता सुनिश्चित करने हैंतु विशेष ध्यान दिया गया था। 132 के० वी० उप–केन्द्र कनीना के चालू होने पर जो फरवरी, 1990 में चालू होना निर्धारित है, जिला महैंन्द्रगढ़ के उपरोक्त खण्डों में प्रणाली की बाधाएं आसान हो जाएँगी और बिजली आपूर्ति स्थिति पर्याप्त मात्रा में सुधर जाएगी।

राज्य सरकार राज्य मे उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को, विशेष कर कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मावा में बिजली आपूर्ति देने के कार्य को बहुत अधिक महत्व दे रही है। राज्य सरकार की बिजली के विषय में गम्भीरता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगी कि कृषि क्षेतूर का बिजली उपभाग पिछले चार दिनों

11 जनवरी से 14 जनवरी, 1990 तक पिछले वर्ष के इसी समय की अवधि के दौरान 77 लाख तथा 89 लाख यूनिट प्रतिदिन की अपेक्षा क्रमशः 123 लाख से 145 लाख यूनिट प्रतिदिन के बीच रही। इस वर्ष कृषि क्षेत्र की मांग में असाधारण बढ़ौत्तरी के बावजूद भी हमने नियमित साधनों को अपना कर मांग को पूरा किया है। कम पोन्डेज (जल का परिमाप) तथा कम बहाव होने के कारण भाखड़ा व्यास से हमें लगभग 22 लाख यूनिट प्रतिदिन कम बिजली की उपलब्धि हुई है इसके बावजूद भी पिछले वर्ष के इसी समय की अवधि की तुलना में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में अधिक बनाए रखा गया है। वर्तमान समय में हम 210 मैगावाट पानीपत की नई चालू यूनिट को शीघ्र स्ट्रीम में शामिल करने का प्रयास कर रहैं हैं जो हमारी स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ तथा स्थिर करेगी। मैं इस आश्वासन के साथ समापन करता हूं कि कृषि क्षेत्र को बिजली देना सुनिश्चित करने का हर प्रकार प्रयास किया जा रहा है।

स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया है कि 25 दिसम्बर के पश्चात जब संगरौली के थर्मल प्लांट में अचानक गड़बड़ हो गई तो सारे नौर्दर्न ग्रिड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रधेश में हर जगह बिजली का बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया और बारिश न होने के कारण ऐग्रीक्लचर सैक्टर में बिजली की डिमान्ड निरन्तर बढ़ती चली गई। हुमने हर प्रकार से इस समस्या पर काबू पाने की कोशिश की और मैं आकड़े दे रहा

हूं जिससे आपको भी और माननीय सदस्यों को पता लगेगा कि अब क्या हालत हो गई है और ऐग्रीकलचर सैक्टर में बिजली की कितनी खपत बढ़ गई है। पिछले साल 9–1– 1989 को हमने ऐग्रीक्लचर सैक्टर में 68.44 लाख यूनिट्स बिजली दी थी। अश्व 9– 1– 1990 को हमने 120.23 लाख यूनिट्स बिजली दी है। पहरने से डबल बिजली मुहैया करवायी गयी है। इसी तरह से 10–1– 1989 को हमने ऐग्रीक्लचर सैक्टर को 72.30 लाख यूनिट्स बिजली दी और 10–1–1990 को 112 लाख यूनिट्स बिजली दी गयी लेकिन तब से ही यह शोर मचा हुआ है। पिछले साल 11 तारीख को 77 लाख यूनिट्स और इस साल हमने 123 लाख यूनिट्स बिजली दी। 12 तारीख को केवल 80 लाख यूनिट्स और इस सात्र 12 तारीख को 139 करह यूनिट्स बिजली दी गई। इसी तरह से 14 तारीख को हमने 79 लाख यूनिट्स और इस साल 14 तारीख को 145 लाख यूनिट्स बिजली कृषि क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जोकि हाईऐस्ट फिगर है। मैं इस हाउस को यह जताना चाहता हूं कि बिजली की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और यह इन बात का प्रमाण है कि प्रदेश खुशहाली की ओर जा रहा है। इस साल किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में बिजली टोटल उपलब्धि को माता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी है ताकि किसानों को किरी प्रकार की परेशानी न हो। इंडस्ट्रियल सैक्टर मे चाहैं हमें कट लगानी पड़ी लेकिन हमने कृषि क्षेत्र में किसी मकार की ढील नहीं आने दी। इंडस्ट्रीज में दो तीन दिनों के लिए कट लग भी जाए तो कोई अन्तर नहीं पड़ता लेकिन

अगर किसान कौ फसल के मौके पर दिन भर बिजली नही मिलेगी तो वह उस घाटे को रिवाइव नहीं कर सकेगा। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि पिछले अडाई सालों में पहली बार ऐसा संकट आया है और बहुत जल्द ही इस संकट को समाप्त किया जाएगा और आगे के लिये मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली की सप्लाई करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि किसानों को किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले अढाई सालों में इस सरकार की बिजली की अच्छी उपलब्धि रही है परन्तु जब फसल का समय आता है तब प्रायः यह देखा गया है कि कहीं न कहीं कोई कमी आ जाती है। जैसे संगरौली का ग्रिड खराब हो जाता है या कोई और नई बात सामने आ जाती है जिसके कारण से बिजली की सप्लाई में विघ्न पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बजट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा बिजली पर खर्च करती है। इसलिये सरकार से हमारी यह प्रार्थना है कि सरकार इस बात का पहले ही से कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य कर लें ताकि आने वाले समय में फसल के समय पर किसानों को किसी प्रकार से भी बिजली की उपलब्धि न होने के कारण दुःखी न होना पड़े। इसके लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिये और यहां हाउस में इस के लिये आश्वासन देना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, नौर्दर्न ग्रिड में बहुत सारी स्टेट्स जुड़ी हुई हैं। संगरोली थर्मल प्लांट जोकि 2000 मैगावाट की कैपेसिटी का है उस पर हमारा काफी दारोमदार है लेकिन मशीन अगर चलती चलती बिगड जाए या कोई और गड़बड़ हो जाएं तो ज्य वक्त किसी प्रकार का कोई कदम उठाना असम्भव सा हो जाता हैं। फिर भी हमारी हरियाणा सरकार या जो०पर अब नई सरकार बनी है, वह इस बारे में काफी, चिन्तित है कि कृषि क्षेत्र में बिजली की पूरी सप्लाई मिले। इस बारे में हम दोनों सरकारें सही कदम उठा रही हैं। मेरे विचार में अब यह सिस्टम आगे से और सुदुढ होगा और पूरी बिजली की सप्लाई होती रहैंगी। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से कमी नहीं रहैंगी।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन इलाकों का हुस कत्ल अटैन्शन मोशन में उल्लेख किया है वहां पर कोई प्लांट नहीं है और उनका बिजली यहां से जाती है। बिजली न मिलने के कारण पिछले 15– 20 दिनों में वहां के किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है क्योंकि वहां पर सिंचाई का साधन टयूबवैल हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन इलाकों के लिए क्या बिजली का अतिरिक्त प्रावधान करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, राम विलास जी ने स्वयं माना है कि इस सरकार के आने के बाद बिजली की हालत बहुत सुधर गई है। ऐसा दिन तो कोई भी नहीं था कि किसान कौ एक घंटा भी बिजली न मिली हो। 4– 5 घंटे रोजाना बिजली किसान

को मिलती रही है। यह दूसरी बात है कि दिन में मिली है या रात को मिली है। इसलिए केवल उससे यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि किसानों की फसलें उस वजह से खराब हो गई या तबाह हो गई। जहां तक महैंन्द्रगढ़ जिले का ताल्लुक है, दरअसल बिजली की सप्लाई में कुछ जो खराबी आती है वह इसलिये भी आ जाती है कि हरियाणा प्रान्त का बहुत सारा हिस्सा बी० बी० एम० बी० के स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। बी० बी० एम० बी० की बजाए हम अपने स्टेशन बनाएं, इस बारे मैं पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हमने अब एक ऐक्शन प्लान बनाया है कि हम बी० बी० एम० बी० के सब–स्टेशनों से पीछा छुड़ा कर अपने सब–स्टेशन कायम करें। ऐसा करने से हमारी बहुत सारी तकलीफ दूर हो जाएगी लेकिन उसके लिये हमें कम से कम एक सौ करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर वह पैसा हमें मिल जाए तो हम. बी० बी० एम० बी० के चंगुल से निकल सकते हैं। वह सौ करोड़ रुपया हमें कितने सालों में उपलब्ध होगा इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अपने सब–स्टेशन कायम किए जाएं ताकि हम उनसे बिजली का सही वितरण कर सकें।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज हरियाणा में और विशेषकर महैंन्द्रगढ़ जिला में पीने का पानी भी बिजली पर आधारित हो गया है क्योंकि पानी का लैवल नीचे चला गया है। क्या मन्त्री जी कोई

ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब बिजली का संकट हो तो कम से कम लोगों को और पशुओं को पीने का पानी तो मिल जाए। क्या इस संकट को दूर करने के लिये बिजली की कोई अलग से लाइन बनाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक वाटर वर्कस का ताल्लूक है उनके लिए बाकायदा तौर पर बिजली दी जाती है। समय में जरुर गड़बड़ी हो सकती है लेकिन सारे हरियाणा में यह कही से भी शिकायत नही आई कि बिजली न होने के कारण वाटर वर्कस से लोगों को पीने का पानी नही मिला। बिजली देने के टाइम में गडबड हो सकती है वरना ऐसी कोई शिकायत नही आई श्री परमा नन्द स्पीकर साहब, मैंने अपने काल अटैशन नोटिस मैं यह कहा था कि बिजली की कमी के कारण तोरिया और सरसों आदि आयल सीड्ज की जो फसलें हैं, उन पर जो असर पड़ा है, उसका नुक्सान इस वक्त तो नहीं दिखाई पड़ता लेकिन आगे चल कर बहुत ज्यादा नुक्सान होता है। इसके साथ साथ मैंने यह कहा था कि जींद जिले में जो ट्यूबवैल्ज का एरिया है जहां पर नहरी पानी की बहुत कमी है, वहां पर बिजली बहुत कम माता में मिली है और इस समय भी उन किसानों को बिजली बहुत कम मिल रही है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन किसानों को बिजली पूरी मात्रा में सप्लाई की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जींद जिले में प्रोफैसर परमा नन्द जी का जो विधान सभा क्षेत्र है वह मेरे विधान सभा

क्षेत्र के साथ बिल्कुल मिलता हुआ क्षेत्र है। जिस इलाके की माननीय सदस्य चर्चा कर रहैं हैं, उस इलाके में मैं इलैक्शंज के दौरान और इलैक्शन्ज के पश्चात गया था। उस समय मैं एक गांव बरसोला भी गया था। वहां पर आस पास के काफी गांवों के लोग आए थे। उस इलाके में 6–7 गांव ऐसे हैं जिनमें कई सालों से पानी की बड़ी भारी समस्या है। उन गांवों के अलावा कुछ उचाना हल्के के गांव भी हैं जिनमें पानी की बड़ी भारी समस्या है। जिस समय मैं वहां पर गया उस समय चौधरी देस राज जी भी वहां पर मौजूद थे। मैं अपने साथ इंजीनियर्ज, एस० ईज० और एक्सीयन्ज को लेकर गया था। उस समस्या को पूरी तरह से ऐग्जामिन किया गया और उसके लिये हमने एक हल भी सोच लिया है। उसकी स्कीम बना कर, उसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बना कर बहुत जल्दी हम मुख्य मन्त्री जी के पास मंजूरी के लिए भेज रहैं हैं। हम बहुत जल्दी आने वाले सैकड़ों सालों के लिये उन गांवों की पानी की समस्या को दूर करेंगे। वाकई उन गांवों के अन्दर पानी की समस्या कई सालों से लटकी हुई है। उस समस्या को दूर करने के लिये हम योजना बनाएंगे और उस योजना को बहूत जल्दी मंजूर करवा करके उस पर काम शुरू करवाएंगे। जहां तक जींद एरिया में ट्यूबवैल्ज का ताल्लुक है शायद परमा नन्द जी कल परसों ही वहां से आए होंगे, उस एरिया में बिजली पूरी माता में किसानों को मिल रही है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, जींद जिले में जो ट्यूबवैल्ज का एरिया है, वहां पर किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। मन्त्री जी यह बात कैसे कह रहैं हैं कि वहां पर किसानों को पूरी मात्रा में बिजली मिल रही है। (शोर)

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, इनको तो हर बात पर बार–बार खड़ा हौने की आदत सी पड़ गई है। (शोर)

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, इनको ठीक ढंग से बोलना चाहिये। (शोर)

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह): स्पीकर साहब, इनको तो बोलने की आदत पड़ गई है इसलिये ये कुछ न कुछ बातें कहते रहते है। (शोर)

Mr. Speaker : Bhagi Ram Ji, this is not the way. Please take your seat. (Noise & interruptions)

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, इनके मुंह. पर जो कालस लगी हुई है, वह तो तेजाब से भी नही उतरेगी। (शोर)

Mr. Speaker : Bhagi Ram Ji, you are intentionally instigating the member. This is not proper. Please take your seat.

समाज कल्याण मन्त्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त में एक रिवाज है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मां, बहन उसके मुंह फर एक काला टीका लगा देती है

जिससे कहीं उसको नजर न लग जाए। इनके मुंह पर जो टीका लगाया गया था उसको इन्होंने मसल लिया होगा जिससे इनका मुंह काला हो गया। (शोर)

Mr. Speaker : Jagan Nath Ji, please take your seat.

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। यह कोई तरीका नहीं है। इनको ठीक ढंग की बातें कहनी चाहिएं। (शोर)

Mr. Speaker : Parma Nand Ji, please take your seat.

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इनकी ओर से यहां पर ऐसी बातें कही जा रही है। ये उस बात का मजाक उड़ा रहैं हैं और उसको अपना समर्थन दे रहैं हैं। ऐसी बेहूदा बातें कहते हुए इनको ..... आनी चाहिये। (शोर)

Mr Speaker : It is very bad. पुनिया साहब उस बातू का कोई समर्थन नहीं कर रहा। Please take your seat and let us proceed further.

नियम 22 (2) के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 22 (2) के तहत, प्रस्ताव पेश करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, beg to move—

That the discussion on Governor's Address be postponed in. favour of the discussion and decision on the Official Resolution regarding ratification of the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1939.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

That the discussion on Governor Address be postponed in favour of the discussion and decision on the Official Resolution regarding ratification of the Constitution (Sixty-seconds Amendment) Bill, 1989.

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of the discussion and decision on the Official Resolution regarding ratification of the. Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989.

The motion was carried

सरकारी संकल्प–

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 के अनुसमर्थन संबंधी

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर साहब औफिशियल रैजोल्यूशन पेश करेंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन भारत के उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (घ) की व्याप्ति में आता है तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the Purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Construction (Sixty-second Amendement) Bill, 1989, as passed by the two Houses of Parliament

श्री सूरज मान (मुलाना–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का स्वागत और समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह इशू एक नेशनल इशू है और यह कोई दलगत इशू नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करतार हूं कि हाउस के सब साथी इस संकल्प का स्वागत और अनुसमर्थन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ कड्वी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। पिछले साल भारत सरकार ने जब पार्लियामैंट तोड़ी थी तो हिन्दुस्तान के दलितों और आदिवासियों को उस वक्त की सरकार ने एक ऐसी मंझधार में छोड़ दिया जिसकी वजह से आज यह रैटिफिकेशन लानी पड़ी। वह सरकार और बहुत सारे रैजोल्यूशंज लाई लेकिन इसे नहीं लाई। यह प्रोवीजन कांस्टिच्यूशन में था कि इस इशू की मियाद 26 जनवरी 1990 के खत्म हो जाएगी। उस सरकार की इस

रैटीफिकेशन के बारे में नीयत साफ नही थी। अगर उसकी नीयत साफ होती तो वे पार्लियामैंट तोड़ने से पहले इस रैजोल्यूशन का लाते ताकि 10 साल के लिये यह मियाद और बढ़ जाती। उनकी नीयत साफ ही नही थी इसीलिये वे इसे नही लाये। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले साल ही उनकी नीयत इस बारे में साफ नहीं थी, बल्कि जबसे इसकी शुरूआत हुई तब से ही उनकी नीयत साफ नहीं थो। मैं इसके बारे में बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 330 में लिखा है कि शड्यूल्ड कास्टस और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगो के लिये लोक सभा में सीटें रिजर्व होंगी। धारा 331 में ऐंग्लो इंडियन के लिये यह व्यवस्था की गई है। धारा 332 के तहत स्टेट लैजिस्लेचर के लिये शड्यूल्ड कास्टस और शड्य्ल्ड ट्राइन्स की सीटें रिजर्व होंगी और धारा 333 के तहत विधान सभाओं में एंग्लो इंडियंज के लिये आरक्षण होगा। मैं बताना चाहूंगा कि संविधान की धारा 33 छ से लेकर 333 तक इसेकी टाईम लिमिट के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह कब तक रहैंगी, यह बदकिस्मती की बात है। जिन्होंने कांस्टिचुऐट असैम्बली डिबेट्स पढ़ी होंगी उनको इस बात की जानकारी होगी कि उस वक्त स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि मे रिजर्वेशन के हक में नहीं हूं। जब पण्डित जवाहर लाल नेहरू इस का विरोध कर रहैं थे तो इसके पास होने की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? स्वर्गीय बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर ने बावू जगजीवन राम को अलहदगी में कहा कि मैं कांस्टिच्यूशन ड्राफट कर सकता हूं, क्लाजिज ड्राफट कर सकता हूं लेकिन वोट तो मेरा

भी एक ही होगा। जब पण्डित नेहरू इसका विरोध कर रहैं हैं तो इसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। बाबू जगजीवन राम ने कहा कि चाहता तो मैं भी हूं कि यह पास हो लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हू? बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर ने बाबू जी को कहा कि आप मेरी यह बात महात्मा गांधी तक पहुंचाओ कि जब सैपरेट इलैक्टोरल की मांग थी तो मैंने सब चीजें खोल कर समझौता कर लिया था और आप जानते हैं कि पूना पैक्ट में रिजर्वेशन की मांग के क्या नतीजे निकले थे? क्या आजाद होने के बाद उस पूना पैक्ट को कैजुअऐलिटी बना लिया जाएगा। बालू जगजीवन राम ने यह बात महात्मा गांधी जी से कही। महात्मा गांधी ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू को बुलाया और कहा भई यह रिजर्वेशन तो रहनी चाहिए। पण्डित जी ने कहा कि रिजर्वेशन दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन न रहैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि रिजर्वेशन छूतछात के आधार पर सामाजिक अन–बराबरी के कारण है। यह छूतछात भी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क मे नहीं है और मैंने बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर से समझौता भी किया था। बहुत लम्बी बहस हुई और पण्डित जवाहर गल नेहरू ने मान लिया कि रिजर्वेशन रहैंगी लेकिन उसकी मियाद 10 साल रख दी जाए। महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि 10 साल में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह तो हजारों सालों की बीमारी है। आखिर में तय हुआ कि अगर जरुरत हुई तो 10 साल के बाद इसकी मियाद को बढ़ा लिया जाएगा। उस वक्त पण्डित नेहरू के शब्द थे कि यदिं जरूरत हुई

तो 10 साल बाद इसको बढ़ा दिया जाएगा। असैम्बली मे सब लोगों ने कहा था कि 10 साल का टाईम इस काम के लिये नाकाफी है। पण्डित नेहरू ने कहा था –

11.00 बजे।

"It was not inadequate if the leaders of this country put their head together to bring them up."

शडयूल्ड कास्ट्स और शडयूल्ड ट्राइब्ज को बराबरी का दर्जा देने के लिये सभी पार्टियों के लोगों को इकट्ठा हो कर मिल जुल कर काम करना चाहिए और हम 10 साल के टाईम में इन लोगों को बराबरी के दर्जे पर ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और समाज में उनको बराबरी का दर्जा नही मिल सका। अध्यक्ष महोदय, यह कड्वी सच्चाई है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू के अपने जीवनकाल में ही यह पीरियड 1960 में बढ़ाना पड़ा था। कांस्टिच्यूशन की धारा 331, 332, 333 तथा 334 पर डिस्कशन हुई और वे पास हो गई और उनके साथ 10 साल के पीरियड की बात भी पास हो गई। जिस समय धारा 335 डिस्कशन के लिये आई हमारी यह खुशकिस्मती रही कि उस समय चूंकि पण्डित जवाहर लाल नेहरू हाउस में मौजूद यी थे। इसलिये उसमें कोई टाईम लिमिट नहीं रखी गई और धारा 335 बगैर किसी टाईम लिमिट के पास कर दी गई। यह धारा सर्विसिज में रिजर्वेशन के बारे में थी। स्पीकर साहब, मैं कड्वी सच्चाई कह रहा हूं कि यदि पण्डित जवाहर लाल नेहरू उस वक्त हाउस में

होते तो इस धारा में भी टाईम लिमिट रख दी जाती। स्पीकर साहब, यह बड़ी बदकिस्मती की बात है। सवाल उठता है कि रिजर्वेशन अब तक क्यों है और यह रिजर्वेशन कब तक रहेंगी? अध्यक्ष महोदय, ''रिजर्वेशन क्यों'' का मैं जवाब देना चाहता हूं। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना की याद आती है। मैं कालेज में पढ़ता था और होस्टल में रहता था। सर्दी केदिन थे। मेरे साथ होस्टल में रहने वाले दो विद्यार्थी थे। उनमें से एक विद्यार्थी०ंची जाति से था और दूसरा दलित जाति से था। ये दोनों विद्यार्थी एक ही कमरे में रहते थे।०ंची जाति के विद्यार्थी ने दलित जाति के विद्यार्थी से कहा कि इस बार छुट्टियों में मेरे साथ मेरे घर में चलना और मेरे साथ रहना। दलित जाति का विद्यार्थी मान गया। छुट्टियां हुई और वे दोनों विद्यार्थी गांव में पहुंचे। घर पहुंचने के बाद घर का माहौल देख कर०ंची जाति के विद्यार्थी ने दलित जाति के विद्यार्थी से कहा कि मैं तो तेरा दोस्त हूं लेकिन मेरे माता–पिता और परिवार के सदस्य पुराने ख्यालों के हैं इसलिये तुम बुरा मत मानना। तुम्हारे लिये खाना तो मेरे घर में बनेगा लेकिन तुम्हारे लिये बर्तन मुझे दलितों की बस्ती से लाने पड़ेंगे। दलित जाति का विद्यार्थी यह जहर पी गया। उसके बाद०ंची जाति के विद्यार्थी ने कहा कि तुम्हें सोने के लिये मैं घर से बिस्तर नहीं दे सकूंगा और तुम्हारे लिये बिस्तर भी दलितों की'' बस्ती से ला दूंगा। उस दलित जाति के विद्यार्थी ने यह भी चूपचाप सह लिया।०ंची जाति के विद्यार्थी ने फिर कहा कि मजबूरी है कि तुम मेरे घर के कमरों में नहीं सो सकते। स्पीकर साहब,

उस दलित जाति के विद्यार्थी को घर के कमरो में नही सुलाया गया बल्कि उसका बिस्तर उस कमरे में लगा दिया जहां पशु बांधने के लिये जगह थी।

इत्तफाक से उसी रात को घर में आग लग गई। शोर मचा कि आग लग गई। वह भागा भागा उस दलित जाति के विद्यार्थी के पास आया कि चलो मेरे घर में चूंकि आग लग गई है इस लिए आप मेरी मदद करो। दलित जाति के विद्यार्थी ने गुस्से से कहा कि जिस घर के बर्तनों को मैं हाथ नहीं लगा सकता, जिस घर के बिस्तरों को छू नहीं सकता, जिस घर के मेन कमरे में सो नहीं सकता वह घर जल कर बेशक राव हो जाये, मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बैकग्राउन्ड थी जिसके कारण रिजर्वेशन दी गई। सभी को पता है किं आज के दिन दलितों की क्या हालत है? किसी ने कहा है–

कागज के बेजा टुकड़ों से इंसान का लहु सस्ता है यहां।

ऋषि मुनियों का देश ये, कुत्तों से भी बुरा इंसान है यहां।।

स्पीकर साहब, हमें इंसान होते हुए भी इंसान नहीं समझा गया और हिन्दु होते भी हिन्दू नहीं समझा गया। किसी ने ठीक ही कहा है –

गुनाहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ।

सजा को जानते हैं पर खुदा जाने खता क्या है।।

खुदा ही जाने कि हमने कौन सी रहता की थी जिसकी हमें सजा दी जा रही है। यह हमें किसी ने भी नहीं बताया। यहां हकूमतें बदलीं, लोग आये और चले गये लेकिन हमारी हालत में सुधार बहुत कम हुआ। मैं यह कहने को मजबूर हूं–

हर चारागर को चारागिरी से गुरेज था।

वरना हमारा मर्ज कोई ला दवा नहीं था।।

स्पीकर साहब इसका इलाज तो हो सकता है लेकिन करना नही चाहते। अध्यक्ष महोदय, आप इसी बात से देख लीजिए कि आज रिजर्वेशन को लागू किये हुए कितने साल बीत गये लेकिन उसकी क्या अचीवमैंट है, वह आपके सामने है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट का कोई डिपार्टमैंट ले लीजिए, कही भी रिजर्वेशन पूरी नही है। हिन्दुस्तान की किसी स्टेट का कोई. भी डिपार्टमैंट छाती पर हाथ रख कर यह नहीं कह सकता है कि रिजर्वेशन का कोटा पूरा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी केवल अकेली पार्टी थी जिसने सन् 1981 में अवनी नेशनल कौंसिल की मीटिंग में एक रैजोल्यूशन पास किया था कि रिजर्वेशन के प्रोविजन को इम्पलीमेंट करने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट को कानून बनाना चाहिए। आज तक किसी भी पार्टी ने इस किस्म का रैजोल्यूशन पास नहीं किया। उसी रैजोल्यूशन का सहारा लेकर मैंने सन् 1984 में प्राईवेट मैम्बर बिल पार्लियामेंट में पेश किया था। वह मैंने इसलिए पेश किया था कि शायद उस सरकार को बिल की

ड़ाफटिंग न आती हो। यह काफी लम्बा चौड़ा बिल था। मैंने उसमें एक पीनल क्लाज का प्रोविजन जान–बूझ कर रखा था कि अगर कोई आदमी रिजर्व सीट के अगेन्सट रिजर्व कैटेगरी के आदमी को नही लगाता है तो उसको 15 दिन की कैद हो और 500 रुपये जुर्माना हो। उस बिल पर बोलते हुए सभी लोगों ने मेरी मदद की थी और सिफारिश की थी कि यह ठीक और सही बिल है लेकिन सन् 1984 में जो हकूमत थी उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता। उस समय कौन हाकिम थे यह सब जानते हैं, लेकिन उस बिल पर जब वोटिंग का टाईम आया, तो हकूमत वाली पार्टी के एक–एक मैम्बर ने उस बिल के खिलाफ वोट डाला और उस बिल को पास नहीं होंने दिया था। स्पीकर साहब, आज कड्वी सच्चाई यह है कि रिजर्व पोस्ट के अगेन्सट रिजर्व कैटेगरी के आदमी को लगाना नही चाहते।

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, this is not the point at issue. यहां पर जो इशु है वह पार्लियामैंट और असैम्बली में दस साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने के रैजोल्यूशन से सम्बन्धित है। Service matters are not at issue. You please confine to the resolution only.

श्री सूरज भानः मैं आपसे सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि उस तक ही कन्फाइन रहूं लेकिन देश में रिजर्वेशन का विरोध हो रहा है। इस देश में जब तक यह पोलिटिकल रिजर्वेशन खत्म नही होगी तब तक यह मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पोलिटिकल

रिजर्वेशन की वजह से लोग असैम्बली और पार्लियामैंट में आते हैं औरे सर्विसिज में रिजर्वेशन इम्पलीमैंट न होने के कारण क्वैश्चन करते हैं जिसकी वजह से बाहर विरोध होता है। इसीलिए आज बाहर जो विरोध हो रहा है वह सर्विसिज के नाम पर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह रैटिफिकेशन हो जाये और होगी भी लेकिन हमने जो विरोध करना है, वह जात–पात के नाम पर करना चाहिए। हम से कुछ लोग पूछते हैं कि रिजर्वेशन कब तक है तो मेरा यही जवाब होता है कि बीमार को जब तक दवाई की जरूरत है। जब तक कोई बीमार ठीक न होगा तब तक लाजमी तौर पर उसे दवाई देनी पड़ेगी। इसलिए अगर विरोध करना है तो जात–पात का विरोध करो। You abolish caste system today in India and take away reservation tomorrow. जाति पाति के आधार पर ही रिजर्वेशन की बात है। गरीबी तो और कौमों में भी है। मैं जव यहां पर मंत्रिमंडल में था तब मैंने अपने विभाग में एक आर्डर किया था कि रैवेन्यू विभाग में किसी जगह पर भी और किसी सिलसिले मे भी किसी सै उसकी जाति नहीं पूछी जायेगी। मैंने इसके लिये यह कदम उठाया था। मैं यह चाहूंगा कि खास तौर पर पुलिस विभाग में और आम तौर पर हरियाणा के सभी विभागो में ऐसी ईस्ट्रक्शन्ज इशू की जाये जिससे जाति–पाति खत्म हो सके। जब जाति–पाति खत्म हो जायेगी तब दरख्त के सूखे हुए. पत्ते की तरह से यह रिजर्वेशन खुद–ब–खुद झड जायेगी। इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य सभा में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? अपर हाउसिज में क्यों

रिजर्वेशन नहीं है? अभी बड़ी मुश्किल से इस बार मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार जनरल सटि पर कामयाब होकर आया है। जनता दल के दो साथी जनरल सीट पर उड़ीसा से कामयाब होकर आये हैं। अगर यहां पर रिजर्वेशन हो तो. बड़ी आसानी से यह लोग कामयाब होकर आयेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबको दलगत राजनीति से०पर उठकर काम करना चाहिए। केवल यह रैजोल्यूशन पास होना ही काफी नही है बल्कि बाहर जो आज जहर फैलाया जा रहा है, रिजर्वेशन के विरुद्ध जो ऐजीटेशन चल रही है, वह खत्म होनी चाहिये। यह देश को तोड़ने वाली ऐजीटेशन है। इसको खत्म करना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता' पार्टी ही पहली पार्टी थी जिसने यह पहल की थी। इलैक्शन के तुरन्त बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण अडवानी जी ने सबसे पहले यह मांग की थी कि हमें तुरन्त पार्लियामैंट का सैशन बुलाना चाहिये और इसको आगे 10 साल के लिये बढ़ाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस का हर सैक्शन इसका समर्थन करेगा।

श्री अध्यक्षः मैं हाउस के सब माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि एक तो वे रैजोल्यूशन तक ही कन्फाईन करें और दूसरी बात यह है कि वे टाईम का भी ख्याल रखें। We are to finish it within 45 minutes

श्री किरपा राम पुनिया (बड़ौदा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संविधान में संशोधन जायज है, उचित है, और ठीक बात भी है। श्री सूरज भान जी ने ठीक ही कहा है कि दलगत राजनीति से०पर उठकर सभी को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये। सूरजभान जी ने कई कड़वी सच्चाइयां भी कहीं हैं। आज के दिन हमारे समाज में क्या हालत है, स्पीकर साहब, इस बारे में आपको खूब अच्छी तरह से मालूम है। सारे सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है। 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, उसके बाद संविधान बना। संविधान बनने के बाद पहली बार आजाद हिन्दुस्तान में अन–टचेबल्ज को बराबरी का दर्जा दिया गया। कानूनी तौर पर अन–टचेबिलिटी खत्म की गयी। मगर हिन्दू समाज में आज भी हमार। समाज जाति–पात में बंटा हुआ है। जिन लोगों को हम शूद्र या शड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उनके बारे में यह सारा प्रावधान आया है। शड्यूल्ड कास्ट्स में एक नहीं कई कौमैं थीं, जो बड़ी अन–टचेबल थी, अछूत थी। इनके साथ इन्सान नजदीक लगना तो क्या, उसकी छाया तक से भी पौल्यूट हुआ समझा जाता था। यह हमारे समाज का ढांचा था। उस समाज में यहां तक जहर घुला हुआ था। जिस तरह से सूरज भान जी ने बताया, जिस छप्पड़ से जिस तालाब से या जिस जौहड से पशु पानी पीते थे, उसी में पेशाब करते थे, वहां से भी इन अछूतों को पीने का पानी तक लेने की इजाजत नहीं थी। यह हमारे समाज का ढांचा था जिसमें सदियों तक उनका शोषण होता रहा है। शिक्षा ग्रहण करने

के मामले में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर तरह से उनको कुचला गया और स्पीकर साहब, यही बैकग्राउन्ड थी कि 1931 मैं जब लन्दन में राउन्ड टेबल कांफ्रेन्स हुई और जिसकी अध्यक्षता उस समय के प्रधान मन्त्री मैक डोनाल्ड ने की, उस कांफ्रेन्स मे डा० अम्बेदकर उपस्थित थे। उन्होंने इन अछूतों का पक्ष पेश किया था और उन्होने ' बहुत काबलियत के साथ यह पक्ष पेश किया। जिस तरह से मुसलमानों को सैपरेट इलैक्टोरेट दिया था और सिखों को सैपरेट इलैक्टोरेट दिया था उसी तज से अछूतों को भी संपरेट इलैक्टोरेट दिया गया था। यह 1932 की बात है। सैपरेट इलैक्टोरेट देने के समय उस राउन्ड टेबल कांफ्रेस में महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। इस सैपरेट इलैक्टोरेट के बारे में महात्मा गांधी ने विरोध प्रकट किया था। क्योंकि उनका ऐसा मत था कि सिख भाई, मुसलमान भाई और ईसाई भाई तो सारे जीवन और सदियों तक इसी धर्म में रहैंगे लेकिन अछूत भाई हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और सामाजिक तौर पर तथा आर्थिक तौर पर जब उठ जाएंगे तो हिन्दुओं से अलग नहीं हो सकते। इस तथ्य को लेकर उस सैपरेट इलैक्टोरेट का महात्मा गांधी ने विरोध किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में अनशन किया। अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और यर्वदा जेल में उनको बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने वहां पर भी अपन। व्रत रखा। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने शड्यूल्ड कास्ट्स के लिए यह अनशन रखा था। उस समय महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए जो हिन्दू लीडर थे, जिनमें पण्डित मदन मोहन मालवीय, राज

गोपाल आचार्य, सप्रू साहब और डा० राजेन्द्र प्रसाद शामिल थे, उनमें यह तय हुआ कि 1932 का जो पूना पैक्ट है उसमें से सैपरेट इलैक्टोरेट का प्रोविजन हटवा दिया जाना चाहिए, अछूतों को रिप्रेजेन्टेशन देनी चाहिए और इसके लिए रिजर्वेशन की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह उस समय का एक बहुत ह्वीं पायस कान्ट्रेक्ट था और इसको लाइटली नही लिया जाना चाहिए। यह बहुत ही पायस कान्ट्रैक्ट था और महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए डा० अम्बेदकर ने यह प्रस्ताव पेश किया था तथा मदन मोहन मालवीय जी ने साईन किया था। उसके बाद यह प्रोवीजन डाला गया। 1935 में जब फर्स्ट टाईम गवर्नमैंट औफ इडिया का ऐक्ट बना उसमें शड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन हुई और इसके साथ ही साथ हरिजनों की जो अन्य जातियां थीं उन सब को शड्यूल में डाला गया। हुसके बाद हिन्दुस्तान आजाद हुआ और देश का संविधान बना। उस संविधान में सारा प्रावधान किया गया। इस सम्बन्ध में सारी चर्चा श्री सूरज भान जी कर चुके हैं। मैं उसमें ज्यादा नही जाना चाहूंगा। सारे का सारा प्रावधान धारा 330,331 332 और 333 में दिया गया है। धारा 330 और 332 में शड्यूल्ड कास्ट्स के लिए प्रावधान है और बाकी में ऐंग्लो इंडियंज के बारे में है। स्पीकर साहब, आखिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो अछूत सदियों से कुचले गए, दबाए गए और जैसा कि श्री सूरज भान ने कहा कि क्या आज वह स्थिति पैदा हो गई है और क्या शड्यूल्ड कास्ट्स समाज की मेन धारा में शामिल हो गए है कि अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। अधयक्ष महोदय,

चालीस वर्ष बीतने के बाद भी आज के दिन हरिजनों पर किस तरह से ऐट्रोस्टीज होती है, जुल्म होते हैं और हरिजन महिलाओं के रेप होते हैं, यह सबके सामने है।

Mr. Speaker : I request you not to go out of the context.

Shri Kirpa Ram Punia : I am not going out of the context at all.

I am not talking about Haryana or any other particular place.

I am talking in general about whole of the country.

Mr. Speaker : This point is not at issue.

Shri Kirpa Ram Punia : It is very much relevant, Sir, and I will explain it. स्पीकर साहब, पिछले दिनों मैंने एक आल इंडिया कंवेन्शन औन रिजर्वेशन पौलिसी बुलाई थी। यह कंवेन्शन 21 अगस्त 1988 को बुलाई थी। मैंने उस वक्त एक टीम अप्वायंट की थी यह जानने के लिए कि आज रिजर्वेशन की क्या स्थिति है? उसकी रिकमैन्डेशंज मैं पढ़कर सुनाता हू–

"One of the purpose of providing the reservation was to enable the Scheduled Castes/Scheduled Tribes to voice the grievances of the oppressed sections of -the society in general and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in particular. They were expected to bring pressure on the Governments with a view to rectify the injustice done to these communities. However, they are facing a big dilemma.. if thy ventilate the

grievances of these communities and come to their rescue and help in the event of difficulty, they are branded and dubbed as the leaders of these communities which is in a narrow and derogatory sense."

स्पीकर साहब, पिछले दिनों लोक सभा में जो डिबेट हुए वह मे पढ़ रहा था। लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्ताव के बारे में श्री रामधन जी के जो व्यूज थे, उन्हैं मैं देख रहा था। कितने शर्म की बात है कि हमारे समाज में, आज के दिन भी इस सारी बैकग्राऊंड के होते हुए भी शड्यूल्ड कास्ट्स लीडर श्री रामधन जी ने अपने बारे में खुद कहा कि दो तीन सारन पहले लोकसभा में जब शड्यूल्ड कास्ट्स के मामले को मैं टेकअप कर रहा था तो पीछे से एक सदस्य की आवाज आई कि चमार के बच्चे बैठ जा। इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया। स्पीकर साहब, यी केवल श्री रामधन जी की ही बात नही है औरों के साथ भी ऐसी खराब हरकतें हुई हैं। यह कोई साधारण सा मामला नहीं है। सूरज भग्न जी ने भी अपने व्यूज रखे मैं उव बान में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल शड्यूल्ड कास्ट्स व बैकवर्ड क्लासिज के सम्बन्ध में ही चर्चा करता. हू। डाक्टर बाबा साहब अम्बेदकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर स्टेज पर उनका निरादर किया गया। हर मामले में उन्हैं जलील किया गया। यही हालत बाबू जगजीवन राम जी के साथ भी हुई। यहीं बात वी०पी० मौर्य साहब व श्री रामधन जी के साथ भी हुई। जब भी उन्होंने फोर्सफुली इस मामले को अपनी पार्टी में उठाया तो उन्हैं पार्टी से

धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह से श्री रामविलास पासवान जी के साथ भी हुआ। आज वे केन्द्र में मन्त्री के पद पर विराजमान हैं। वे बड़े स्ट्रोंग आदमी है। जब उन्होंने इस तरह का मामला कहीं उठाया तो उनको कंडम ओर जलील किया गया। इसी प्रकार से श्री राम लाल कुरीन साहब के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। चौधरी चांद राम जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब भी उन्होंने शडयूल्ड कास्ट्स का मामला टेकअप किया उनके साथ भी ऐसा ही बुरा व्यवहार किया गया। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हरियाणा के अन्दर मैंने यह शडयूल्ड कास्ट्स वाला मामला टेकअप किया तो अपको पता ही है कि यहां पर क्या हुआ? इस तरह का व्यवहार सरकार द्वारा किया गया जिसको सहन नहीं किया जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब बहुत ही संजीदा बहस चल रही है, इसमें इस प्रकार से शोर शराबा ठीक नहीं है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण अमैडमैंट पर चर्चा कर रहैं हैं इसलिए अगर हाउस शान्ति से चले तो ठीक है।

श्री किरपा राम पुनिया: बड़े ही अफसोस की बात है.....

..

श्री अध्यक्ष: पुनिया, साहब, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, इसलिए आप रैजोलूशन तक ही कनफाइन रहैं। वैसे तो आपका टाइम ओवर हो चुका है।

श्री किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, शर्म का बात यह है कि हमारे प्रान्त में जब कोई शडयूल्ड कास्ट्स का लीडर या वैकवर्ड क्लास का लीडर कोई बात टेकअप करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर उसका विरोध करें तो किस तरह की बेहुदा बातें होती हैं वे पिछले दिनों आपने देखीं .....
..

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए। पुनिया साहब, अब आप बैठे। (शोर)

समाज कल्याण मन्त्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, व्यक्तिगत बातें तो ऐसे ही चलती रहती हैं। पुनिया साहब मेरे पर गुस्से हो रहैं थे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि सूत के दिनों में मां अपने बेटे को काला टिक्का लगा देती थी ताकि इसको नजर न लग जाए। इसी तरह से इनको भी किसी ने टिक्का लगा दिया होगा और इन्होंने उसको रगड़ लिया होगा जिससे इनका मुंह काला हो गया होगा। (शोर)

श्री अध्यक्षः जगन नाथ जी आप रैजोल्यूशन पर ही बोलें। (शोर)

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान की असैम्बलीज में यह अमैंडमैंट का प्रस्ताव आएगा और सभी को इसको पास करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव उधर बैठे भाइयों को भी पास करना पड़ेगा और हमें भी पास करना पड़ेगा। इसलिए हम

इसका स्वागत करते हैं। यह प्रस्ताव हर दस साल के बाद आता है। इसका कारण यह है कि आजादी प्राप्त करने के बाद इस पर बहस हुई। डा० अम्बेदकर, श्री जय प्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेन्द्र दैव जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि राजनैतिक आजादी तो आ गई लेकिन लोगों को जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी नही मिलेगी तब तक राजनैतिक आजादी बे–मायने होगी। इसलिए सामाजिक और आर्थिक आजादी पर जोर दिया जाए। इस देश के अन्दर सब से ज्यादा जात–पात का भेद भाव रहा है। पुनिया साहब के तीन ब्राहमण समर्थक बैठे हैं लेकिन ये अब तक इसको खाट पर भी बैठने नहीं दे रहैं हैं। (शोर) अध्यक्ष' महोदय, मैं यह कहता हूं कि समाज में असमानता बहुत ज्यादा है उसको मिटाना चाहिए। (शोर)

श्री किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, आन ए प्यायंट आफ आर्डर सर। (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat. (Interruptions)

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि समाज में जो असमानता है वह दूर होनी चाहिए। (शोर)

श्री किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जिस समय हमारी तरफ से थोड़ी सी बात आई थी, उस समय चौधरी वीरेन्द्र सिंह एकदम खड़े हो गए थे और कहने

लगे कि आप ठीक बात कहैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब ठीक बात कही जा रही हैं?

Mr. Speaker : Shri Jagan Nath Ji, please be relevant.

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं तो यही कहना चाहता हू कि समाज में जो असमानता है वह मिटनी चाहिए। मैं किसी जाति विशेष का नाम नही ले रहा हूं। आज भी हरियाणा प्रान्त के अन्दर और हरियाणा प्रान्त में ही नही बल्कि सारे देश के अन्दर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जातियों को समाज के अन्दर असमानता की दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई उच्च जाति का 20 साल का लड़का है तो वह अनुसूचित जाति के 70 साल के बुजुर्ग आदमी की खाट पर सरहाने का तरफ बैठने की कोशिश करता है। आपने उच्च जातियों के नौजवान लड़के किसी चमार की खाट पर पाइंतों की तरफ बैठे हुए नहीं देखे होंगे चाहैं वह चमार 8० साल का बुजुर्ग भी क्यों न हो। (शोर) यह असमानता समाज का खोनाश करने वाली है। इसको मिटाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि किसी भी मैम्बर को बोलने के लिए पांच मिनट से ज्यादा टाईम नहीं मिलेगा और पार्टी के हिसाब से बोलने के लिए टाईम मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए हमारी पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने के लिए ज्यादा टाईम मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का अब तक केवल एक ही मैम्बर बोला है।

श्री अध्यक्षः मैंने यह भी कहा है कि पार्टी के हिसाब से मैम्बर्ज को बोलने के लिए टाईम मिलेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज (अम्बाला कैन्ट): अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान का यह 62वां संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राज्य विधान सभाओं मैं अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है। (शोर)

श्री योगेश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ..... (शोर)

Mr. Speaker : This is not to be recorded.

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और माननीय सदस्य बहुत शोर शराबा कर रहैं हैं। इस शोर शराबे में हमारी बात गुल हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यो से कहना चाहूंगी कि इस तरह से शोर शराबा न करें। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान का यह 62वां संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राज्य विधान सभाओं के अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है। इसीलिए आज हमारी

राज्य विधान सइम मैं उसके अनुसमर्थन की चर्चा चल रही है। संसद के दोनों सदनों के माध्यम से भारतीय संविधान की धारा 334 का संशोधन किया गया है। इस धारा में जहां पहले 40 वर्ष लिखा गया था उसको 50 वर्ष लिखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि इस संशोधन का क्या प्रभाव है, क्योंकि कुछ भ्रामक तथ्य इसके साथ जुड़ गए हैं। श्री सूरजभान जी ने एक बात यह कही कि सदन से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहैं है और वह आन्दोलन लोग नौकरियों में, प्रोमोशन में और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को ले कर कर रहैं हैं लेकिन इन तीनों तरह के आरक्षण का इस संशोधन से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। यह संशोधन न तो नौकरियों के आरक्षण को बढ़ा रहा है और न ही प्रोमोशन के आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है और न शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश के समय आरक्षण होता है उसके बारे में कोई शब्द कह रहा है। इस संशोधन का केवल इतना मात प्रभाव है कि संविधान बनाते समय यह तय किया गया था कि लोक सभा के लिए और राज्य विधान सभाओं के लिए कुछ ऐसी सीटें अलग से रख दी जाएंगी जिन पर समाज की अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ सकें और कुछ ऐसी ही सीटों पर समाज की अनुसूचित जन जाति के लोग चुनाव लड़ सकें। ऐसा ही एक प्रावधान और किया गया था कि ऐंगलो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व नौमिनेशन के रूप में लोक समा में दिया जा सके। साथ मे यह प्रावधान भी किया गया था कि यदि राज्य विधान सभाएं भी ऐसे लोगों को

प्रतिनिधित्व देना चाहैं तो वे ऐसे लोगों के प्रतिनिधियों को नौमिनेट कर सकती हैं। धारा 330 से लेकर 332 तक में यह प्रावधान किया गया था। उस के बाद धारा 334 में यह जो पोलिटिक्ल रिजर्वेशन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और ऐंगलो इण्डियन के लिए दुई थी उसमें एक समय सीमा लगा दी थी। 1949 में यह समय सीमा तय की गई थी और उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि यह राजनीतिक संरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। 1959 में फिर इसकी समीक्षा की गई और इसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया यानि धारा 334 में 1 ं वर्ष की जगह 20 वर्ष कर दिए गए। 1969 में इसकी फिर समीक्षा की गई और, धारा 334 में 20 वर्ष की जगह पर 30 वर्ष कर दिए गए। 1979 में इसकी फिर समीक्षा की गई और 30 वर्ष की जगह पर 40 वर्ष कर दिए गए। आज फिर 1989 के अंत में जब इसकी समीक्षा की गई तो यही निर्णय लिया कि इस राजनीतिक संरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिए ही यह संशोधन कर रहैं हैं। केवल माल इतना ही प्रभाव इस रैटिफिकेशन का है और इसीलिए यह संशोधन इस हाउस में भी लाया गया है। इसको बढ़ाने के लिए जब समीक्षा की गई तो यही तय किया गया कि जो यह राजनीतिक संरक्षण दिया जायेगा, इसके तहत 10 साल के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जायेंगी। जिस समय यह आरक्षण शुरू मैं दिया गया था उस समय इसकी पृष्ठभूमि यही थी कि उस वक्त एक वर्ग को अछूत कहा जाता था। हालत इतनी बदतर थी कि अगर ऐसा कोई अछूत सामने आ जाए तो दूसरे को घर जा कर

नहाना पड़ता था। उस समय लोभ अछूत को देखना अधर्म समझते थे। ऐसी हालत थी कि हरिजन पंगत मैं साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकते थे। इतना ही नहीं गांव के सांझे कुएं से उन्हैं जल लेने का अधिकार नहीं था। उस समय इन सब कारणों के ध्यान में रखते हुए यह सोचा गया कि अगर इन वर्गो के लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ाना है या आर्थिक स्तर बढ़ाना है तो पहले इनको राजकाज में भागीदार बनाने का प्रावधान करें और इन्हैं राजकाज में बराबर का हिस्सा दे। अगर ऐसे वर्ग के लोगों को जनरल सीट से खड़ा कर दिया जाये तो एक भी चुनाव जीत कर न आए। ऐसा सोच कर ही कुछ विशेष प्रावधान करके ही कुछ सीटों पर पाबंदी लगा दी कि ऐसी सीटों पर स्वर्ण जाति के लोग खड़े नहीं हो सकते। अगर ऐसी सीटों पर मुकाबला हो तो दो हरिजनों में ही हो। अगर सीट शिड्यूल्ड ट्राईब्ज के लिए है तो वहां पर मुकाबला दो शिड्यूल्ड ट्राईब्ज में ही हो। जब ये लोग राजकाज में भागीदार होगे, लोकसभा में ये अपना प्रतिनिधित्व करेगे और विधान सभाओं में जाकर बैठेंगे तो अपने लोगों के हितों के सवाल उठा सकेंगे और सामाजिक दायित्व के साथ साथ इनकी सामाजिक समानता भी बढ़ेगी। जब ये एक साथ सीटों पर बैठेंगे तो अपनी बात कह सकेगे और पिर इनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी। यी सोच कर यह राजनीतिक संरक्षण दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, आज इसकी समीक्षा करें कि अगर इस तरह के वातावरण का निर्माण हो गया है कि जो हरिजन हैं या जो इसरी जन जाति के लोग हैं वे जनरल' सीटों से जीत कर

आ सकते हैं तब तो मैं समझती हु कि इस राजनीतिक संरक्षण को समाप्त करने के लिए सोचा जा सकता है और हम कह सक्ते हैं कि हमने इन लोगों के लिए कुछ किया है। आक हम भी यहां पर 90 की संख्या में बैठे हुए हैं। हममें से कोई भी अपनी आत्मा को साक्षी मान करके और अपने मन पर हाथ रख करके यह कह सकता है कि क्या इस देश में एक ऐसे राजनीतिक वातावरण का निर्माण हो चुका है कि एक हरिजन जनरल सीट से जीत कर भी आ सकता है? इक्का–दुक्का बात को छोड़ दीजिए। बिहार में श्री राम सुन्दर दास रिजर्व उम्मीदवार होते हुए केवल एक बार जनरल सीट से चुनाव जीत कर आए थे। इसी प्रकार से वी० पी० मौर्य जी जनरल सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। हमारे साथी जगन नाथ जी भी एक बार 1962 में जनरल सीट से चुनाव जीत कर आए थे। आपको ऐसे इक्का–दुक्का ही केस मिल सकेंगे जहां पर हरिजन जाति के लोग जनरल सीटों से चुनाव जीत कर आए हों। आज जितनी भी सीटें हरियाणा विधान सभा में हरिजन सदस्यो के लिए आरक्षित है, क्या हम दृढ़ता के साथ यह कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक आरक्षण समाप्त कर दिया जाये तो इतनी ही संख्या में या एकाध की कमोबेश की संख्या में ये लोग चुनाव जीत कर आ सकते हैं नहीं, कदापि नही आ सकते। इसलिए जरूरत है इस आरक्षण को बढ़ाया जाये और मैं समझती हू कि क्या अब तक किसी राजनीतिक दल ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है? क्या किसी भी पार्टी ने किसी भी हरिजन को जनरल सीट से खड़ा करके अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यह निर्देश जारी किए हैं कि

हमें फलां जनरल सीट से जनरल उम्मीदवार नहीं बल्कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चुनाव जिता कर लाना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां सदन में एक बात बताते हुए गर्व है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार जनरल सीट से जिताया है। जनता दरर के लौग उड़ीसा से दो अनुसूचित जाति के उम्मीद्वारों को जनरल सीट्स से जिता कर लाये हैं। यह एक पहल हुई है, एक नई शुरूआत हुई है। मैं सदन में बता देना चाहती हूं कि अभी यह इब्तदा ही है और यदि हम पूरी समीक्षा करें तो पाएंगे कि आज भी देश में उस वातावरण का निर्माण नहीं हो पाया है जिससे अनुसूचित जाति के लोग, हरिजन, जनरल सीटों से जीत कर आ सकें। जब तक ऐसे वातावरण का निर्माण न हो जाए तब तक इस राजनैतिक आरक्षण की आवश्यकता पड़ती रहैंगी। (व्यवधान) इस वातावरण का निर्माण न होने देने के लिए वे लोग स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार हैं जिनके हाथ में देश के शासन और प्रशासन की बागडोर रही। जिन लोगों ने 40 वर्ष तक देश के शासन और प्रशासन को सम्भाला इस स्थिति के लिए वही उत्तरदायी हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके लिए समय की सीमा किस लिए रखी जाए। अध्यक्ष जी, यह समय सीमा भी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम किसी काम को सिरे चढ़ाना चाहते हैं तो उसको समय बद्ध करना पड़ेगा। जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो लोग उस कार्यक्म के पूरा होने का समय पूछते हैं, यहां तक कि तिथि, दिन भी पूछते हैं कि किस तिथि तक पूरा होगा, किस दिन तक पूरा होगा, किस महीने शुरू

होगा और कब खत्म होगा। इसलिए समय सीमा जो 10 वर्ष इसके लिए रखी गई है वह भी बहुत ही आवश्यक है ताकि हम प्रयासों और यत्नों में गति लाएं। हम उस वातावरण को तैयार करने में तीव्रता लाए। हमारे प्रयत्न इतने ज्यादा हों कि हम यह देखें कि इस काम के लिए हमारा जो लक्ष्य है, वह 10 साल से आगे न बढ़ने पाए। जैसे कि श्री सूरज भान जी ने कहा कि यदि जाति सिस्टम खत्म हो जाए तो रिजर्वेशन वापिस ले लीजिए। आज आप ऐसे वातावरण का निर्माण कर दीजिए कि जनरल सीटों से हरिजन लोग जीत कर आ सकें और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। वह तभी होगा जब कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति उनको वोट देते हुए नहीं झिझकेगा और उसका हाथ वोट देते हुए नहीं रुकेगा तथा वह कतई यह महसूस नही करेगा कि वह एक हरिजन को वोट दे रहा है। जिस दिन देश में ऐसे राजनैतिक वातावरण का निर्माण हो जाएगा उस दिन राजनीतिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहैंगी। अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र में नई सरकार आई है, नया वातावरण बना है और नये प्रयास आरम्भ हुए हैं। जहां हम 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ा रहैं हैं वहीं सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह ऐसे वातावरण का निर्माण करे कि 10 साल के बाद ऐसे आरक्षण की आवश्यकता ही न रहैं। अध्यक्ष महोदय, इस लांछन, लानत और प्रताड़ना को समाप्त न कर सकने की जिम्मेदारी पिछले 40 साल के शासन और प्रशासन पर आती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि कम–से–कम हम तो अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को निभाते हुए इस लांछन और प्रताड़ना

के भागीदार न बनें। जिस दृढ़ सकल के सय 'हम इत आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा रहैं हैं उसी संकल्प– शक्ति के साथ हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि जाति–पात का भेद समाप्त हो जाए और जनरल सीट्स से हरिजन उम्मीदवार जीत कर आ सकें। ऐसा वातावरण न बनने देने के लिए जो लांछन पुरानी सरकार पर लगते रहैं हैं हम तो उन लांछनों से कम–से–कम बरी हो जाएं। यह 10 वर्ष का समय बढ़ाना हमारे लिए एक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करता शै कि इस समय में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ कार्य करने को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बहन जी, अब आप वाइंड अप करिये।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट का समय और लूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि इस आरक्षण में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जगन नाथ जी आप यह क्या करते हैं? आप बीच में क्यों बोल रहैं हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, सीटों का जो आरक्षण है वह राजनैतिक संरक्षण है जो कि अनुसूचित जातियों को चाहिए लेकिन जो सीटें एक बार आरक्षित हो जाती हैं उनमें अदला–बदली का प्रावधान करना चाहिए। एक सीट जो आरक्षित हो गई है वह सदा के लिए आरक्षित नहीं रहनी चाहिए बल्कि कभी

किसी सीट से और कभी किसी दूसरी सीट से आरक्षण देना चाहिए ताकि विभिन्न सीटों से हरिजन उम्मीदवार चुन कर आ सकें। यदि ऐसा होता है तो वहां के लोगों में किसी प्रकार की हार्ट बर्निंग नहीं होगी। इसलिए यह अदला–बदली का प्रावधान हमें करना चाहिए ताकि सभी सीटों से कभी हरिजन उम्मीदवार और कभी जनरल कैडिडेटस चुने जाएं। आज समय का तकाजा है, समय की मांग है, ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि यह जो राजनैतिक संरक्षण है इसे बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। जिस संकल्प शक्ति के साथ यह बिल इस सरकार द्वारा सदन में लाया गया है उसी संकल्प शक्ति से हम ऐसे वातावरण का निर्माण भी करवाएं कि इस आरक्षण को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अब श्री बनारसी दास जी बोलेंगे। यह इनकी पहली स्पीच है इसलिए जरा इनका ध्यान रखें।

श्री बनारसी दास चौशाला (कलायत–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नही बोलूंगा मैं तो दो टूक बात हौ कहा करता हूं। हमारे पुनिया साहब ने बयान दिया है कि मैं जाटों के विरुद्ध नहीं हूं मैं तो श्री चोटाला का विरोधी हुं। स्पीकर साहब, पुराने मुकर मन्त्री चौधरी देवी लाल जी ने तो इनको तिजोरी की ताली सौंप दी थी (विघ्न) लेकिन हमारे नये मुख्य मन्त्री जी मे एक कमी है कि उन्होंने तिजोरी की चाबी इन्हैं नहीं सौंपी। (विघ्न) श्री

ओम प्रकाश चौटाला जी को पैसों का बांटना आता है इसलिए उन्होंने इन्हैं तिजोरी की चाबी नहीं दी। पुनिया साहब अब ऐसे मुख्य मन्त्री की तलाश में हैं जो इन्हैं तिजोरी की चाबी दे दे। स्पीकर साहब, एक बात मुझे और कहनी है.. (विघ्न)

श्री अध्यक्षः नहीं, आप कृपया बैठें। अब आर्य साहब बोलेंगे। आर्य साहब, कृपया टू दी प्वायंट और वैरी ब्रीफली अपनी बात कहैं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय बड़े खेद की बात है कि आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए 40 वर्ष हो गये हैं लेकिन फिर भी छुआछूत वाली बातें खत्म नहीं हो पायी हैं। 40 साल पहले संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों तक अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन–जातियों के लिए राजनैतिक आरक्षण होगा। यह प्रावधान इसलिए किया गया था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनमें जो कमी है, उन्हैं बराबरी का दर्जा दिया जा सके। लेकिन उसके बाद कई बार इस समय को निर्धारित किया गया। आज इस बात को दस–बीस साल ही नहीं बल्कि चालीस साल बीत गये है, वह कमी आज तक तक पूरी नहीं हुई है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद चालीस साल तक सारे हिन्दुस्तान में लगभग एक पार्टी का ही शासन रहा लेकिन आज तक वह गैर–बराबरी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह गैर–बराबरी केवल जात पात के कारण ही नहीं शै बल्कि यह

सदियों के संस्कारों के कारण से हैं। मैं इस बारे में हाउस में एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। कुछ समय पहले की बात है, हमारे हरियाणा प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो केन्द्र में रक्षा मन्त्री भी रहें हैं उन्होंने इस छुआछूत के सदियों पुराने संस्कारो के कारण ही बाबू जगजीवन राम जो देश के बहुत बड़े नेता रहें है, उनके बारे में कहा था कि मैंने उनसे छः महीने पहले हाथ मिलाया था लेकिन आज तक उस हाथ की वास नहीं गई है। ऐसे कांग्रेसी नेताओं के कारण ही देश के लोगों की. यह स्थिति रही है। अध्यक्ष महोदय यह बात जाहिर करती है कि उस सरकार ने किस प्रकार से सारे देश के वातावरण में गैर–बराबरी को दूर करने के लिए कितना प्रयत्न किया है? इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 334 के अनुसार ऐंगलो इंडियज की नोमी– नेशन की अवधि हाउसिज औफ पार्लियामैंट और विधान सभा में बढ़ाने के लिए भी कांस्टिज्यूशन में अमैंडमेंट होना जरूरी है। इसीलिए यह रैजोल्यूशन रैटीफिकेशन के लिए लाया गय। है।

अध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष बात की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज सारा देश जातियों में बंटा हुआ है क्योंकि वर्ण व्यवस्था देश में पहले से ही चली आ रही है। एक जात दूसरी जात से नफरत करती रही है। देश में लगभग अढ़ाई लाख जातियां है। रिजर्वेशन के हिसाब से 75 प्रतिशत शड्यूल्ड कास्टस, शड्यूल्ड ट्राईब्ज और बैकवर्ड है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत लोग बनते हैं। उन लोगों की

सर्विसीज के बारे में कोई चर्चा का विषय नहीं है लेकिन उनकी परसैटेज औफ सर्विसीज को देखें तो बहुत कम प्रतिशत लोग इनमें हैं। अब देखना है कि इस प्रकार की चीजो का निवारण किस प्रकार से हो, यह असमानता किस प्रकार से दूर हो? स्पीकर साहब, इस असमानता को दूर करने के लिए देश में शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

अध्यक्ष महोदय पिछली सरकार ने सारे देश में 423 नवोदय स्कूल प्रारम्भ किये थे। उन 423 स्कूलों के लिए 500 करोड़ रुपया मंजुर किया गया था और उसके मुकाबले में सारे देश में पचास हजार सरकारी स्कूल है उनके लिए केवल 100 करोड़ मंजूर किया गया था। 423 नवोदय स्कूल जो खोले गये हैं, उनमें 02 प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या आती है। इस प्रकार से आकड़े देखें तो जैसे नैनीताल में बड़े–बड़े पब्लिक स्कूल हैं उनमें सन् 1993 तक रिजर्वेशन हो गई है। यह सब अपने बच्चों के ऐडमिशन के लिए करते हैं।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब –आपने अभी अवर्नर एड्रैस पर बोलना शै और मार्च मैशन में भी बोलने का मौका मिलेगा। अब तो आप रैटिफिंकेशन पर ही बोले।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, हम संविधान में चुंकि अमैंडमैंट कर रहैं हैं इसलिए उस समस्या का निवारण करने के लिए हमें विचार तो करना ही है। हमें विचार करना है कि किस

प्रकार से इन समस्या का निवारण किया जा सकता है जब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक जात के नाम से जात का नेतृत्व करने वाले नेता, लोगों के साथ ठगी करते रहैंगे। इसलिए इसका निवारण करना आवश्यक है। कोई कितना ही बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो लेकिन जब वह जात का सवाल उठाता है तो समाज में जात के नाम पर तकलीफ हो जाती है और जात का सवाल पैदा हो जाता है। अगर किसी जाति में कोई साधारण आदमी है, उसकी कोई चिन्ता नहीं करता। इस पर हमें बैठकर विचार करना होगा कि इस प्रकार के जो नेता हैं, जो देश में जाति के नाम पर हमारे समाज में कलंक हैं, उनको दूर करने के लिये किया किया जाये? इस देश में अगर कही पर किसी०ंची जाति का गरीव है, उनके लिये भी हमें सोचना होगा। जैसे कोई वीमार हो, उसका इलाज करना जरूरी है, उसको डाक्टर के पास ले जाना जरूरी है उसी तरह से अगर इसका कोई इलाज है, तो उस इलाज को करना भी जरूरी है। समाज में अगर कोई भूखा आदमी है, वह कहां चला जायेगा ?

श्री अध्यक्षः कहां रैटीफिकेशन का सवाल है और आप कहां कहां पर जा रहैं हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रैटीफिकेशन है, जिसका पार्लियामैंट में, लोक सभा और राज्य सभा में पारित किया हुआ बर्गन आज हुमारे पास आया है, सारी स्थिति को देखते हुए पिछले 40 साल

के सरकार के निकम्मेपन को साबित करता है। पिछले चालीस वर्ष में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी कारण उनकी आज यह स्थिति हो रही है। मैं अन्त में इसका समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमती मेधावी कीर्ति (झज्जर–अनुसूचित जाति): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। किन्तु ऐसी कई बातें हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस प्रस्ताव से जोड़े जा सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आरक्षण के बारे में इस सदन में हुई हैं। बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे महानुभावों का जिक्र किया है जिनका इस देश के इतिहास में प्रबल प्रमुण योगदान रहा है। बाबा साहैंब अम्बेदकर और बाबू जगजीवन राम ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम चाहैं स्वर्ण जाति के हों या अनुसूचित जाति के हों, गर्व से ले सकते हैं, गरिमा से उनका नाम ले सकते हैं। बाबा साहैंब अम्बेदकर हमारे संविधान के निर्माता रहैं हैं। संविधान के निर्माण में भागीदार रहैं हैं। बाबू जगजीवन राम अनुसूचित जाति से होते हुए भी हर तरह से अपनी नैतिक जिन्दगी में भी और राजनैतिक जिन्दगी में भी सबसे प्रबल रहैं, सबसे आगे रहैं। उन्होंने इस देश के निर्माण में ही अपना जीवन नहीं लगाया बल्कि अपनी आयु के 50 वर्ष इस देश के निर्माण में रंग भरने में लगा दिये। सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिये ही उन्होंने योगदान नहीं दिया बल्कि स्वर्ण जातियों के लिये भी उतना ही योगदान दिया। ऐसे लोगों की गणना उन लोगों में

करना जिन्होंने कोई योगदान नहीं दिया हो, यह बड़े खेद की बात है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो इन्सान किसी भी क्षेत्र में योगदान करेगा,. उसको कीर्ति मिलेगी, उसको यश मिलेगा और उसका नाम वर्षो तक इतिहास में अंकित रहैंगा। बात यह उठायी गयी कि कुछ लोग जो अनुसूचित जाति के हैं, उनको आरक्षण उन क्षेत्रों में सिर्फ इसलिये दिया गया क्योंकि उन सीटों को बैकवर्ड डिक्लेयर किया जा चुका है। ऐसा सिर्फ इसलिये कहा जा रहा है क्योंकि ये सीटें सुरक्षित हैं। किस लिये सुरक्षित हैं, सुरक्षित की परिभाषा क्या है यह बात भी सदन में लायी गयी। इस बात पर चर्चा मैं इसलिये कर रही हूं क्योंकि सुरक्षित की परिभाषा यही' है कि वहां पर वर्ग विशेष के लोगों की वोटे ज्यादा मिलती हैं। लेकिन यह बात सिर्फ इसी महत्व से अंकित नहीं रह सकती है, यहीं तक सीमित नहीं रहैं सकती है। चाहैं कोई जनरल वोटों से जीता हो या अनुसूचित जाति के वोटों से जीता हो, सवाल यह है कि वहां पर उस ने कितना योगदान दिया है औत उसका कितना प्रभाव है, कितनी शक्ति है। आज जाति के नाम के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण उन सब को दिया जाए जो आज गरीब हैं और काफी वर्षो से शोषित हैं (तालियां)। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो हर क्षेत्र में और हर तरह से पिछड़े हैं और जिनका शोषण किया गया है, जिनको कलंकित किया गया है। क्योंकि यह एक सामाजिक कलंक है इसके लिए एक व्यक्ति को भागीदार ठहराना गल्त है। यह पूरे समाज पर एक कलंक है। इस कलंक को दूर करने का हम सब

को प्रयत्न करना चाहिये। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिये, यह केवल अनुसूचित जातियों को ही नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके साथ अन्याय होता रहा है और जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं इस संवैधानिक संशोधन का समर्थन करती हू

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। स्पीकर साहब, जिस वक्त यह सविधान संशोधन लोक सभा में पेश किया गया था, उस समय राम बिलास पासवान ने कहा था कि जिस मकसद के लिये यह आरक्षण रखा गया था वह मकसद पूरा नही हुआ है। जो दलित वर्ग है, जो हरिजन है, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स है उनकी हालत चूंकि अभी तक भी पिछड़ी हुई है इसलिये हमें रिजर्वेशन की और मियाद बढ़ाने की आवश्यकता है स्पीकर साहब, हम चौथी बार रिजर्वेशन के लिये मियाद बढ़ा रहैं हैं। हमें आखिरकार इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि चालीस वर्ष हौने के बावजूद यह काम पूरा क्यों नहीं हुआ और क्या हम अगले 10 वर्षो में इसको पूरा कर पाएंगे। अगर हम समीक्षा नहीं कर सकते तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। स्पीकर साहब, आरक्षण इसलिये रखा गया था कि शड्यूल्ड के साथ और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ जो अन्याय होता था, उनका जो पिछड़ापन था और उनके साथ जो सामाजिक और आर्थिक अन्याय होता था वह दूर हो सके। हमें

पास्ट से सबक लेना चाहिए और नतीजा निकालना चाहिए। आज यह समाज आर्थिकता पर टिका हुआ है और किसी व्यक्ति की जो पोजीशन समाज में आर्थिकता के क्षेत्र में हैं वही पीजीशन उस व्यक्ति की समाज में और राजनाति में है। इसलिये आर्थिक ढांचे में तबदीली किए बगैर हम हरिजनों को०पर नहीं उठा सकते। शड्यूल्ड कास्टस और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लौंग जो आर्थिक रूप सें पिछड़े हुए हैं वे अपने पांव पर तब तक खड़े नहीं हैं। सकेंगे जब तक कि हम आर्थिक ढांचे में कोई बड़ी सबदीली नहीं करेंगे। उन हरिजनों को०पर उठाने के लिये हमें आर्थिक क्षेत्र मैं तबदीली करनी होगी। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान मे शड्यूल्ड कास्ट्स के 95 प्रतिशत लोग ऐसे है जो खेती के साथ सम्बन्ध रखते हैं। उनको०पर उठाने के लिए भूमि सुधार एक सब से बड़ा सवाल था। पिछले चालीस साल के अन्दर जमीन छोटे–छोटे टुकड़ों में बंट गई। जमीन के छोटे टुकड़े हो गए लेकिन आज भी बड़े–बड़े जमींदार बहुत ज्यादा भूमि कई तरीके से अपने पास रखे हुए हैं। इन चालीस सालों में हमारे पास जो सरप्लस भूमि थी वह शड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं दी गई। बार बार ऐलान किया जाता था कि सरप्लस जमीन हरिजनों मे बांटी जाएगी लेकिन उनको नहीं दी गई। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर काफी सालों तक कांग्रेस की सरकार रही और उनकी तरफ से बार बार कहा जाता था कि सरप्लस जमीन की अलौटमैंट हरिजनों को की गई है लेकिन उनका कब्जा उस जमीन पर नहीं हुआ। उनके पास यह जमीन नहीं गई। स्पीकर साहब, मैं

अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजनों को०पर उठाने के लिये हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि जींद में एक मवाना गांव है। (शोर एवं व्यवधान) वहां पर चार सौ मुजारों का सरप्लस जमीन अलौट हुई थी। यह कहा गया कि वह जमीन हरिजनों को दो गई है लेकिन असलियत यह है कि उस जमीन पर उनका कब्जा ही नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान) हमारे प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा है कि जो भूमि सुधार के कानून हैं उनमें सुधार लाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्षः आप कहां से कहा चरने गये। यह तो रैटिफिकेशन का प्रस्ताव था इसमें भूमि सुधार की बात कहां से आ गई?This issue is not under discussion at this stage. I am sorry, I would not permit you to speak like this. आप सीनियर मैम्बर है आप कहां से कहां चले गए? (शोर एवं व्यवधान) अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री हरनाम सिंहः यह मुवाना गांव की बात है जो जींद डिस्ट्रिक्ट में है। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। आप जो कह रहैं हैं यह रैटिफिकेशन से सम्बन्धित नहीं है। आप कहां से कहां 'चले गए। मैं आपको बोलने की इजाजत नही दूंगा। क्या सबजैक्ट था और आप क्या बालने लग गए। (शोर' एवं व्यवधान) डा० साहब यह

कोई प्वायंट नही है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं। आप समझदार है। अगर आपने –जपना मन बनाया हुआ है कि आपने बोलना ही है तो मैं आपको इररैलेवैन्ट नहीं बोलने दूंगा। Dr. Sahib you are speaking out of track today. I am 'softy to say कि आप जैसे आदमी भी इररैलेवैन्ट बात करे। बात रैटिफिकेशन कीं है। आप कहां से कहां चले गए। (शोर एवं व्यवथान) This is very sad and very unfortunate. अब आप कृपया बैठिए।

12.00 बजे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरदार हरनाम सिंह जी ने लैन्ड रिफार्मज की बात इस लिये कह दी क्योंकि मौजूदा नैशनल फ्रन्ट की सरकार ने यह फैसला किया है कि लैन्ड रिफार्मज को हम शड्यूल 9 में डाल रहैं हैं। पिछली कांग्रेस सरकार लैन्ड रिफार्मज के बारे में कुछ नहीं कर पाई और हैंरा फेरी चलती रही जिन लोगों के पास पहले ही सरप्लस लैन्ड थी उन्हीं के नाम ही उसको हैंराफेरी करके डालते रहैं। इसी बात की जानकारी देने के लिये सरदार साहब ने यह बात यहां पर कही है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, यह बात कहने का यह कोई टाईम तो नहीं था।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, कत तो आपकी सही है लेकिन जो बेहतरीन फैसला लैन्ड रिफार्मज के बारे में नैशनल

फ्रन्ट की सरकार ने किया है, वे तो केवल उसी को ही यहां कह पे थे।

श्री अध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप सिंह जी आप बोलिये।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 62 वां आरक्षण सम्बन्धी जो सशोधन आया है, उसके अनुसमर्थन में यह बहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर गहराई से देखा जाए तो यह बहस का मुद्दा बड़ा ही गम्भीर है और महत्वपूर्ण भी है लेकिन इस को आप बदकिस्मती ही कहसकते हैं कि बहस का काफी समय आपस मेरा जनीतिक दृष्टिकोण का रंग देने में ही चला गया है व आपस में कई बार छोटी मोटी तलखी भी पैदा हुई जो कि नहीं होनी चाहिये थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि शायद सरकार ऐसे महत्वपूर्ण व गम्भीर विषय को साधारण रूप से ही ले रही है और इसके प्रति चिन्तित नही है। हम इसे एक रस्मी ढंग से ही ले रहैं हैं। अगर विधान सभा इसको पास न भी करे तो भी कुछ समय बाद हम सब का इस बारे में समर्थन ही मान लिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)।

Shri Verender Singh : Speaker Sir, we are very serious about this matter and this ratification.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि कई बार ऐसा नजर आने लगता है कि कुछ साथी मैम्बर मूल भावना व वास्तविकता से हट कर गलत आरोप, प्रत्यारोप

बारने लगते हैं। यह गलत परम्परा डाल रहैं हैं। वे सोच समझ कर कोई तजवीज या संशोधन की बात जरूरी हो तो अवश्य दें। लेकिन यहां पर जो घटनाएं हुई हैं वह बड़ी ही शर्म व बदकिस्मती की बात है जोकि नही होनी चाहिये थी। अध्यक्ष महोदय, बहन सुषमा जी ने अपने भाषण मे कहा के इसके प्रति एक श्रम सा पैदा हो गया है। इसमें कोई दो राय नही हैं। यह संशोधन खाली लोक सभा और विधान सभा की सीटों के मुताल्लिक जो आरक्षण 40 से 50 साल करने का है, उससे सम्बन्धित है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि आरक्षण कीं जरूरत क्यो हुई और क्यों हम इस आरक्षण को पिछले 40 सालों में पूरा नही कर पाये। इसके०पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी प्रकट किये और अपने सुझाव भी दिये। अब देखने की बात यह है कि इसको आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि हजारों वर्षों की जो हमारी गुलामी, हमारी खली सड़न हमारे समाज में रही है और उससे अपेक्षित वर्ग जो पैदा हुए है, वे इससे प्रभावित होते रहैं हैं। लेकिन इन सब बातोंके होते हुए भी हमारे कई माननीय साथियों ने इस आरक्षण नीति को मुद्दा बनाकर कई प्रकार के दोषारोपण भी लगा दिये जोकि नही लगाने चाहियें थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, में इतना अवश्य कहूंगा कि इस आरक्षण नीति की जरूरत के पीछ मूल कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जाये। कुछ साथियों ने कांग्रेस पर गलत आरोप लगाया है। कांग्रेस के०पर इसलिए दोषारोपण किया जा सकता है कि पिछले चालीस वर्षों मे ज्यादातर शासन उसने किया है लेकिन सरकार कितने भी कानून

बना ले वे तब तक लागू नही हो सकते जब तक उनको सामाजिक मान्यता और भावनात्मक रूप नहीं मिल पाता। इस समस्या को हजारों वर्षो से हमने झेला है, इसको जातिगत बना दिया गया है। उस समय हमारे ऋषि मुनियो और महापुरुषों ने व्यवस्था को थी कि काम का बंटवारा कैसे किया जाए। धीरे धीरे उस व्यवस्था ने धर्म और जाति पाति का रूप धारण कर लिया। इसमें सब से बड़ी बात यह है कि इसका हम क्रियात्मक रूप देखें। ऐसा नही किया गया इसलिए चालीस साल का समय बीत गया। वैसे चालीस साल का समय बहुत ज्यादा भी नही है क्योंकि जिस समाज के उपेक्षित वर्ग को हजारो साल जुल्म झेलते हो गए उसके लिए चालीस साल अधिक नही हैं। जब तक हमारे दिमाग की जहनियत नही बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे एक साथी ने पंडित जी के बारे में यहां कुछ बातें कह दी। उन्होंने लोक सभा की डिबेट से हवाला दिया। पता नही उन्होंने उस बात को राजनैतिक रंग क्यों दे दिया.. (विघ्न) चाहैं ऐसी बात किसी कांग्रेस के मैम्बर ने की हो या दूसरे ने, मैं इसका विरोध करता हूं। (शोर) मैं उन पर दोषारोपण नहीं कर रहा कि उन्होंने वह बात कहां पढ़ी लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही। मुख्य मन्त्री जी और वीरेन्द्र सिंह जी यहां पर बैठे हैं। इन्होने नेहरू जी के विषय में पढ़ा होगा। वे एक ऐसी शख्सियत थे जो जाति पाति से बहुत०ंचे व्यक्ति थे। वे तो अपने नाम के साथ पंडित जी लगाना भी पसन्द नहीं करते थे। वे कहा करते थे कि मैं जाति पाति को नहीं बल्कि मानवता' और इन्सानियत को मानता हूं। तो अध्यक्ष

महोदय, उस व्यक्ति के प्रति अगर ऐसी बात हम सोचते हैं तो उनके प्रति यह न्याय नहीं है। गलत आरोप लगाने वालों का उस महान व्यक्ति के साथ कोई मुकाबला नहीं है। मुझे उनके जीवन की एक घटना याद है।

Mr. Speaker : Mahender Pratap Ji, please come to the resolution under discussion.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय कैम्पों में अल्पसंख्यक मुसलमान भाई थे। हमले हो रहैं थे, मारकाट हो रही थी। जब उन मुमलमान भाईयों को कैम्पों में लाय। गया तो जो अड़ोस–पड़ोस के लोग थे उनमें उस वक्त ऐसी भावना पैदा हो गई थी कि उन पर हमला करने के लिए चल दिए। इस बात की नेहरू. जी को रिपोर्ट मिली तो नेहरू जी बिना किसी सिक्योरिटी के, हालांकि पटेल जी ने उसके बाद आदेश जारी किये., वहां से कार लेकर निकल पड़े और उन्होंने यह कहा कि यदि मुसलमान भाईयों को इस तरह से मार दिया गया तो, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब भीड उमड़ रही थी तो नेहरू जी अपने हाथ में एक सोटी लेकर उस भीड़ पर टूट पड़े, उनके दिल में अल्पसंख्यकों, गरीब मजदूरों व शोषित वर्ग के लिए पीड़ा की भावना थी। जहां तक आरक्षण की मूल भावना का ताल्लुक है, उसका हम समर्थन करते हैं। यह आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक हमारे सिर पर जो मानवता का कलंक, जो हुमारे बुजर्गों के सिर पर, भी रहा होगा, उसको

नहीं हम धो देते। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ आज हमारे देश के अन्दर जो तूफान उठ रहा है, उसके लिए भी हम उदासीन नहीं रह सकते, उसको हम मूक दर्शक की भांति नहीं देख सकते। यही कारण है कि इस आरक्षण के जरिए हम उन उपेक्षित जातियों को बराबरी का आधार प्रदान करने के लिए, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहैं हैं। उपेक्षित जातियों को बराबरी का आधार प्रदान करने के लिए चाहैं हमें—कोई भी योजना बनानी पड़े और चाहैं कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वह अपनाएं लेकिन यह भी विचार करना होगा कि कही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग एक नई उपेक्षित जाति की जगह तो नही ले रहैं। अध्यक्ष महोदय, जब तक हम ईस आरक्षण नीति फा गहराई से मनन नही करेंगे तब तक सही—रूप से फायदा नहीं होगा जिनको इसका फायदा मिलता चाहिए वे इससे वंचित रहैंगे। आज जो आवाज उठ रही है उसके लिए एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, जिसमें सामाजिक संगठन, अच्छे धार्मिक संगठन और सभी पार्टियों के लोग शामिल हों और उस पर गहराई से विचार करें ताकि आगे आने वाले भारत में कहीं यह जातिवाद का रूप धारण न कर ले और खाना जंगी हालात पर न पहुंच जाए। मैं आरक्षण के बारे में कोई विरोध नही कर रहा। मेरा तो. उस व्यवस्था के प्रति विरोध है जिसकी हमें संशोधन व सुधार की जरूरत है। यह तभी होगा जब हम राजनीति से०षर उठ कर अमानवता विरोधी दृ ष्टिकोण अपनाएंगे। मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश जी को बड़ी हिम्मत के साथ यह बात कह देनी चाहिए कि अगर कोई आर्थिक

आधार जो किसी उपेक्षित जाति की जगह ले रहा है और उसके लिए यदि किसी आरक्षण की जरूरत है तो उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। इसकेलिए सभी पार्टीज के लोगों को त्याग करना पड़ेगा कि जनरल सीटस पर सारी पार्टीजमिल कर इस आरक्षण की आडू न ले करके आरक्षित कैडीडेट्स को आपस में चुनाव लड़ाए तो उससे उनके अन्दर एक अच्छी भावना पैदा होगी। इसके लिए हम सब को त्याग केरना चाहिए कि अगर हमको दो चार दफा– विधान सभा के चुनावों में आरक्षण मिल गया उसको स्वेच्छा से छोडू दें जिससे दूसरे उपेक्षित को इसका फायदा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हू।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): स्पीकर साहब, मैं सविधान के 62 वें संशोधन के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ सैं और खुद की तरफ से इस संशोधन का समर्थन करता हू। स्पीकर साहब, क्या कारण थे जिनकी वजह से यह रिजर्वेशन रखी गई, उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है लेकिन मैं इसका आर्थिक पहलू जरूर उठाना चाहूंगा कि किन कारणों से आज उत्पीड़न है। आज भो आन्दोलन चलते हैं कि हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश करने दिया जाए या नहीं। एक तरफ तो आन्दोलन चलाया जाता है कि हरिजनों को मंदिरों के अन्दर प्रवेश करने दिया जाए, यह आन्दोलन इसलिए चलाया जाता है ताकि उनसे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके।

दूसरी तरफ यह आन्दोलन चलता है कि हरिजनों का मन्दिरों के अन्दर प्रवेश नहीं होना चाहिये। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अगर हरिजनों के लिये दो दो एकड़ जमीन दिलाने के लिये अन्दोलन चलाया जाए तो मेरे ख्याल में इसका सौल्यूशन और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस राजनीतिक पार्टी से मैं संबंध रखता हूं, वह पार्टी इस जातिगत राजनीति से दूर रही है। हम जाति प्रथा के खिलाफ लड़ते भी हैं। हम आज तक किसी जाति विशेष के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। मुझे एक माननीय सदस्य की बात सुन कर बड़ा अफसोस 'हुआ कि उत्पीड़न के कारण आज भी बिहार के अन्दर सैकड़ों लोग जिंदा जला दिए गए। वहां के बड़े बड़े जमींदारों द्वारा यह कहना बड़ा गलत है कि मेरे खेत के अन्दर काम करो उसके बदले तुम्हें दो रुपए पगार मिलेगी, अगर काम नहीं करोगे तो झोपड़ियों में जिंदा जला दिए जाओगे। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे आर्थिक कारण है। आज इस देश के अन्दर 95 प्रतिशत लोग हरिजन व बैकवर्ड जातियों के रूप में रह रहैं हैं। जमीन के बंटवारे का मामला 40 साल से लगातार चल रहा है और इस अवधि में कांग्रेस पार्टी ने शासन को चलाया है। (विघ्न) यह सिर्फ वोटों के लिये ही उसने ऐसा किया है। (विष्य)

श्री राम विलास शर्मा: आरन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। ये रुमानिया में फैल हो गए और इससे पहले चीन में इनकी पोल

खुली है। अब ये हिन्दुस्तान में आर्थिक आधार की बात कर रहैं हैं।

कामरेड हरपाल सिंहः कांग्रेस पार्टी ने' राजनीतिक तौर पर इसका फायदा लेने के लिए 40 साल से इसे लागू तो कर रखा है लेकिन इस अवधि के दौ–रान एक वर्ष भी उन्होंने भूमि सुधार के काम को सीरियसली नहीं किया। बैस्ट बंगाल के अन्दर जहां पूरे हिन्दुस्तान की 4 फीसदी जमीन है वहां पर वामपंथी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद 95 फीसदी लोगों में जमीन का वितरण किया है। सारे देश हैं यही एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसने इसको पूरी तरह से लागू किया है।

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब, आपको ये बातें तो गवर्नर एड्रैस पर और बजट पर भी सुन लेंगे। इस समय तो आप सिर्फ इस रैटिफिकेशन की ही बात करें। आपने इसका समर्थन करना है तो समर्थन करें और अगर अपोजीशन करनी हो तो आपोजीशन करें। आप तो भूमि सुधार की तरफ चले गए। यहां पर इस समय भूमि सुधार वाली कोई बात नहीं है। यह रैटिफिकेशन रिजर्वेशन को 10 साल मियाद बढ़ाने के बारे में है और उसी की बात यहां पर हो रही है।

कामरेड हरपाल सिंहः सीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो विशेष जातियों के लोग सदियों से उत्पीड़ित है और जिन पर उत्पीड़न शुरू से ही इस आधार पर किया जाता है कि वे

विशेष जातियों के अन्दर पैदा हुए हैं, उनके लिये विशेष आरक्षण देना बहुत जरुरी हो जाता है। आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक इनमें आर्थिक बदलाव नहीं आ जाता। हमारे संविधान के अन्दर जो इनकी मियाद 10 साल के लिये बढ़ाई गई है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से इसका समर्थन करते हुए आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय से एक ओर बात कहूंगा कि हरियाणा के अन्दर जो सरप्लस जमीन डिक्लेयर हौ चुकी है उस जमीन का वितरण हरिजन जातियों और बैकवर्ड. जातियों के लोगों में किया जाये। ऐसे लोगों को स्पेशल संरक्षण दिया जाये। आज भी सैकड़ों एकड भूमि बड़े बड़े लोगों के नाम है लेकिन वे उस पर हल नहीं चला पाते जिसकी वजह से न तो उनको और न हो किसी और को उस जमीन की पैदावाउ मिल पाती है

श्री अध्यक्षः अब आपने इस रैटिफिकेशन को अपना समर्थन दे दिया है, इसलिये आप बैठिए। अब सी० एम० साहब बोलेसे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण रैटिफिकेशन पर हाउस के सभी सदस्यों ने, हरेक दल के सदस्यों ने और हर घटक के लोगों ने, अपने अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय चौधरी सूरज भान ने बडे भावानात्मक लहजे से समाज के शोषित–पीड़ित लोगों का जिक्र किया और उनकी हालत दर्शाई। उसी को आधार मान कर देश के आजाद होने से लेकर आज तक यही कोशिश रही है कि इन

लोगों को किसी न किसी तरह का सहारा देकर०ंचा उठाया जा सके। इन लोगों को समान दर्जा दिया जा सके इसके लिए संविधान में रिजर्वेशन की गई। मैं समझता हू कि ऐसा करते समय शायद यही सोचा था कि 10 सालों में इन लोगों का दूसरे लोगों के बराबर लाया जा सकता है इसीलिये इन्हैं राजनीतिक संरक्षण मिला। लोक सभा में और विधान सभाओं में इस आधार पर कि कही समाज के उच्च वर्ग के दबाव की वजह से वंचित न रह जाएं इसीलिए यह रिजर्वेशन उस वक्त रखी गई थी। वे अपनी आवाज बुलंद कर सकें इसीलिये यह रिजर्वेशन शुरू में की गई थी। लेकिन इस देश की बदकिस्मती कहैं या यह कहैं कि इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सके, 40 साल के बाद भी यह मामला ज्यों का त्यों है। आज 'भी समाज में इस किस्म के लोग हैं जो पूरे तौर पर अपना वोट भी कास्ट नहीं कर सकते। देश के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिनमें उन से वोट डालने का अधिकार भी छीन लेते हैं। पहली दफा इस देश के लोगों में भावना पैदा हुई है और गरीब तथा आम आदमी को संरक्षण मिला है। एक ऐसी सरकार केन्द्र में बनी है जिसने न सिर्फ राजनैतिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी समाज के गरीब वर्गो को०पर उठाने का सकल लिया है। रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करने पर हमारी पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध है। जब रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाएगा तो यह जो राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर अलग अलग बातें होती हैं, ये सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। हरियाणा सरकार को यह श्रेय जाता है क्योंकि चौधरी

देवी लाल जी ने हरिजनों के उत्थान के लिये इस प्रकार की कई योजनाएं विशेष तौर से राजनैतिक जागरुकता पैदा करने के लिए बनाई जिनकी वजह से उन्हैं सहास मिल सके और समाज में भी मान–सम्मान मिल सके। समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिये घर नहीं है, जो घूमते फिरते लोग हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है जिस कारण वे अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। ऐसे लोगों के बच्चों को एक रुपया फी बच्चे के हिसाब से हर रोज देने का निर्णय केवल हरियाणा की प्रगतिशील सरकार ने जो चौधरी देवी लाल जी की रहनुमाई में चलती थी, लिया। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो उन लोगो को वोट का अधिकार मलता है और दूसरे उनके बच्चे शी क्षत होतै हैं। जब ये लोग एक जगह टिकेंगे, जमेंगे और उनके बच्चे राजनैतिक तौर पर सी क्षत होंगे तो असमानता की बा त अपने आप खत्म हो जाएगी। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने समाज के इन शोषित और पीडित वर्गो को थोड़ा और०पर उठाने के लए तथा उनमें और मजबूती लाने के लए ही रजन मी हलालों को पहले और दूसरे बच्चे के लये 300 रुपये जापे के देने की घोषणा की है। इससे जहां बच्चे ह्रष्ट पु ष्ट होंगे वहां जच्चा भी स्वस्थ रहैंगी इससे समाज के वे लोग जो आपस में कुछ मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, वे एक दूसरे के नजदीक भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी हरियाणा सरकार ने एक और भी महत्वपूर्ण नर्णय लया है कि शहरों और कस्बों में जो लोग झुग्गी–झोंपडियों में बसते हैं उन्हैं भी०ंची जाति के अमीर वर्ग के लोगो के समा न

सारी सुख – सुविधाएं मले। इसके लये सरकार स्लम डवैल्पमैंट बोर्ड का गठन करके उन्हैं सुव्यवस्थित मकान देने का भी फैसला कर चुकी है। केन्द्र सरकार के स्तर पर हम सरकार ने रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लया है। मैं बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ कह सकता हूं कि अगली दफा रिजर्वेशन की मांग करने वाला इस देश में शायद कोई न रहै। जब रोजगार के मौलिक अधिकार में शामिल कर लया जाएगा तो उससे लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और गरीबी और अमीरी का भेदभाव अप ने आप खत्म हो जाएगा। इसी लये मैं इस हाउस के सभी सम्मानित सदस्यों से यह अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से०पर उठकर हमें इस प्रस्ताव को मन्जूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस रैजोल्यूशन के सर्व सम्मति से मन्जूर कया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और अपील भी करना चाहूंगा। हम जो लोग यहां बैठे हुए हैं, हम से चूंकि दूसरे लोग कुछ सीखना चाहते हैं इसी लये हाउस के डैकोरम को हमें पूरी तरह से का यम रख ना चाहिये। हमें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये जिससे लोग यह समझें कि हमारे चुने हुए प्रतिनीधियों की सदन में यह हालत है। हमें अपने आपको संयम में रखना चाहिए। तथ्यों के आ धार पर मुद्दे उठाने चाहिए और उसी बात को उठाना चाहिये जो हाउस के सामने विचारा धीन हो। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी बात कहने

से पहले, वे सीधी कहने की बजाय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहैं। मैं विशेष तौर से जनता दल और उनके सहयोगी साथियों से एक और भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ लोग अगर बौखालहट में कुछ बात करते हों तो उन बातों का नोटिस नही लेना चाहिए। कल इस हा उस में जस प्रकार के हालात हुए उस बात से मुझे बहुत पीडा हुई, तकलीफ हुई कि ऐसे प्रस्तावों पर जहां संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी वहां पर बहुत भद्दा प्रदर्शन किया गया। इस हाउस की बदकिस्मती कहिए कि कुछ अराजनैतिक लोग किसी न किसी ढंग से इस हाउस में दाखिल हो गये हैं। वे सारी सीमाओं को लांघ कर घुसे हैं। वे इस प्रकार की बात– करने लगे हैं जो उन्हैं नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्य आपकी रहनुमाई में इस हाउस को ठीक ढंग से चलाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हू

Mr. Speaker : I would not allow you. Please take your seat.

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब .....

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, ...

Mr. Speaker : Please sit down. Nothing is to be recorded.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को पुनः दोहराना चाहूंगा, सच्ची बात हमेशा कड्वी लगती है। मैं इस बात पर बल दे कर कहूंगा और समय आने पर तथ्यों के साथ तथा प्रमाण सहित यह साबित भी करुंगा कि कुछ लोग चोर दरवाजे से इस हाउस में दाखिल हो चुके हैं। ये लोग अराजनैतिक हैं, जिनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है (तालियां) अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में सभी सदस्यगण से अनुरोध करूंगा, इल्तजा करुंगा कि इस रैजोल्यूशन को बिल्कुल पूरी तरह से दलगत राजनीति से०पर उठ, कर मंजूर करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989, as passed by the two Houses of Parliament.

The motion was carried.

आवाजें: स्पीकर साहब, यह यूनानिमसली पास हुआ है।

Mr. Speaker : Yes this has been passed unanimously.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन होगी। श्री भगवान सहाय रावत जी अपना मोशन मूव करें।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये–

''कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 15 जनवरी, 1990 को सदन में देने की कृपा की है।''

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, सदा के सम्मानित सदस्य भली भांति जानते हैं कि प्रजातंत्र प्रणाली के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण हर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम दिन होता है। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों का द्योतक होता है। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रतिपादित किया है अथवा प्रकाश डाला है। अब तक की जौ हमारो उपलब्धियां रही हैं और भविष्य में हमारी क्या योजनायें हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्यक्रम हैं उनसे अगात कराया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारी वर्तमान सरकार ने

प्राथमिकताएं तय की हैं। वह किसी आवश्यक विषय पर ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों के लिये और विशेषकर पिछड़े हुए वर्ग और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए उसमें विशेष प्रावधान रखा गया है। आज हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की है। देश में आज एक बदले हुए समीकरण में इन 43 सालों की आजादी के सुख भोगने के बाद भी आज हम भली भांति जानते हैं कि राजनैतिक आजादी के अतिरिक्त हमने कई दूसरे क्षेत्रों में भी आजादी हासिल करनी हैं। आर्थिक दृष्टि से जब तक आजादी नहीं होगी, सामाजिक दृष्टि से जब हम आजाद नहीं होंगे तब तक केवल मात्र राजनैतिक आजादी हासिल करने का कोई अर्थ नही रह जाता है। आज इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में और हमारे हरियाणा प्रान्त में उन लोगों की सरकार है, जो धरती से जुड़े हुए हैं। उन नेताओं को आगे आकर काम करने का अभी बहुत कम समय मिला है। 43 सालों तक लगातार आपने देखा, उन्हींने क्या किया है। केवल दो महीने का समय हमारी इस नयी केन्द्रीय सरकार को हुआ है। हमारी इस सरकार का उन पर जो प्रभाव पडा है, नयी नीतियां जो इस सरकार में राजनैतिक वातावरण को आगे बढ़ाने के लिये इस देश और प्रदेश में देखने मे आ रही हैं, उनमें पहली बार अन्तर देखने को मिलेगा। सदियों से चली आ रही उस मांग पर, जिसके बारे में पिछले 43 साल से दुरुपयोग होता रहा था, इस सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। हमारे यहां रेडियो, टैलीविजन को आजादी नही थी। इस देश के राष्ट्रीय माध्यमों को अपने राजनैतिक लाभ के लिये इस देश में

प्रयोग किया जाता रहा है। इस देश में अब तक रेडियो और टैलीविजन को एक कलंक के रूप में एक राजनैतिक दल द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। वास्तविक स्थिति में जनमानस का कोई वैयक्तिक अस्तित्व नहीं रह गया था। देश में मौजूदा सरकार ने आते ही भारत के इन संसाधनों को स्वतन्त्रता प्रदान करने और एक बोर्ड या कारपोरेशन या एक इंडीपैडेट इंस्टीच्यूशन कायम करने का जो वायदा अपने मैनीफैस्टो में किया था उसका पालन करने के लिये सरकार ने कदम उठाया है। इसके साथ ही काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल कराने की बात भी कही गयी थी। इसके आर्थिक पहलू भी हैं। यह सबसे ज्यादा इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मौजूदा सरकार ने अपने मैनीफैस्टो में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की जो बात कही थी, उसको भी इम्पलीमैंट करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो जो बातें मैनीफैस्टो में कही गयी थीं, उनका पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज इस देश के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। 43 साल के शासन के दौरान राष्ट्रीय व्यय का केवल 20 प्रतिशत ही इन पर खर्च किया जाता रहा है। इस लिये इनको चगुल से निकालना जरूरी था। जब 80 प्रतिशत लोगों के०पर इस देश की आर्थिक आय का केवल 20 प्रतिशत खर्च किया जाता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण व्यक्ति आज इसके खिलाफ हैं। इस बात के अलावा अगर उनके दूसरे पहलुओं के लिये और देश के उत्थान के लिये भी खर्च किया जाती तो उसका कुछ

थोड़ा बहुत असर होता लेकिन केवल 20 प्रतिशत खर्च करना कहां तक जायज है? अगर मैं सच्च कहूं तो इस देश में आज तक जो इससे पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उनमें कुछ समय को छोड्कर केवल 5 प्रतिशत ऐसे लोगों का बाहुल्य रहा है जो निश्चित रूप से पहले ही अमीर थे। अपने गद्दी पर आने के कारण वे और अमीर होते चले गये। गरीब और अमीर में अन्तर लगातार बढ़ता ही चला गया। उसी का परिणाम है कि सबसे पहले हमारे हरियाणा प्रांत के माननीय सदस्यों ने अभी–अभी सर्वसम्मति से यह जो 62वां संविधान संशोधन पास किया है, यह उसी का कारण है। 10 साल के बाद ही नही बल्कि 40 साल के बाद भी हमने यह आवश्यक समझा है। मैं यह नहीं समझता कि इस को कितने साल और आगे तक बढ़ाया जायेगा लेकिन जब तक हम इसको उचित समझेंगे, हम आगे बढ़ायेंगे और हिचकेंगे नही। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हरियाणा प्रांत की सरकार की मौजूदा नीतियों को भविष्य के कार्यक्रमों में भली भांति से उद्धृत करके अपने माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है। उसकी प्राथमिकताएं उन कदमों पर टिकी हुई हैं जिनको चौधरी देवी लाल ने निर्धारित किया था। चौधरी देवी लाल सैयोगवश हरियाणा में पैदा हुए और संयोगवश हरियाणा के मुख्य मन्त्री बने और आज वही चौधरी देवी लाल संयोगवश केन्द्र में शिखर पर पहुंचने के बाद देश को भी हरियाणा के पैट्रर्न पर एक नई दिशा दे रहैं हैं। हरियाणा के लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हरियाणा का एक

सपूत आज देश की राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ है और देश को एक नई दिशा दे रहा है। हरियाणा के लोगों का सौभाग्य है कि हरियाणा प्रांत जो एक छोटा सा प्रान्त है उसका एक सपूत देश की राजनीति में शिखर पर पहुंच कर देश को एक नई दशा दे रहा है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के। और हरियाणा के हर नागीरक को इस बात का गर्व होना चाहिए। आज इस प्रांत को बहुत बड़ा सम्मान मला है कि उसका एक सपूत देश को०चा उठाने में लगा हु आ है। पछले चालीस साल में देश की स्थिति बहुत भंयकर रही है। देश का वातावरण बहुत खराब रहा है और वह वातावरण आज तक नहीं सुधर पाया है। हमारा समाज अलग अलग समुदायों में बंट गया था। छोटे दुकानदार, छोटे मजदूर और छोटे कसान की तरफ आ ज तक सोचा नहीं गया। देश इन चालीस साल में टूटने के कगार पर खड़ा हो गया। देश में सभी जगह अराजकता फैल गई। आज के बदले हुए वातावरण में अब लोग इक्ट्ठे हुए हैं और देश के हर क्षेत्र में एक बदला व आ या है। आज केन्द्र में उन लोगों की सरकार कायम हुई है जो जनता की सेवा करना चाहती है और देश को०चा उठाना चाहती है। हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवी लाल के पद चिन्हों पर चम कर हरियाणा को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिये चौधरी ओम प्रकाश जी ने सब से पहले यह घोषणा की कि हमारी सरकार की वही नीति होगी जो चौधरी देवी लाल की सरकार की थी। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर काम करेंगे। जे रास्ता चौधरी देवी लाल ने दिखाया था हम उसी रास्ते पर

चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि साल के प्रथम दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने कहा कि हम सब से पहले उन चीजों को प्राथमिकता देंगे जौ हमारी बुनियादी जरुरतें हैं। हम उनको पहले तय करना चाहैंगे। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के लिये पीने के पानी की सब से पहले व्यवस्था करना आवश्यक है। आज हरियाणा प्रदेश पानी के अभाव को महसूस करता है। हमारे यहां कभी सूखा पड़ जाता है और खेती के लये पानी नहीं मलता। आज पीने का पानी सभी गांवों में उपलब्ध नहीं है। इसीलिये हमारी वर्तमान सरकार आगामी योजना में पचास करोड़ रुपये पीने के पानी को मुहैया करने पर खर्च करेगी जससे कि हर गांव में खेती के लये और पीने के लये पानी उपलब्ध हो सकें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जसने कतने ही क्षेत्रों में देश कों एक नई दशा दी है। हरियाणा ने हर क्षेत्र में चाहैं वह औद्योगिक क्षेत्र है, चाहैं टूरिज्म का क्षेत्र है और चाहैं खेती का क्षेत्र है सभी क्षेतरों में देश के लये, एक उदाहरण पेश किया है। आप टूरिज्म को ले। आज हमारा टूरिज्म देश में पहले नम्बर पर है लोइ कन हमारी सरकार ने इसको पीछ रखकर मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकता है उसको प्राथमिकता दी है और इसका जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय के आभिभाषण में भी है और उसकी प्रति हम सब के सा मने पड़ी है। उसमें औकडों को देखने से पता लगता है कि हमारी सरकार मूलभूत समस्याओ के प्रति कितनी जागरूक है। हमारी सरकार की ऐसी नीतियां हैं जन पर चलने से हमारा प्रान्त और भी प्रगति करेगा। कृषि के क्षेत्र

में हरियाणा का उदाहरण देश के सामने रखा जाता है। हमारे देश का किसान सदियों से पीड़ित रहा है लेकिन हमारा प्रान्त. सब से पहला प्रान्त है जिसने देश में गन्ने का भाव अपने किसान को सब से ज्यादा दिया है और ऐसा करके देश को एक नई दिशा दी है। आज हरियाणा के अन्दर जो चीनी मिले हैं वे बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रहीं हैं और तीन शूगर मिलें और स्थापित होने जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रान्त इस क्षेत्र में प्रथम या द्वितीय स्थान पर आकर नाम रोशन करेगा। चौधरी देवी लाल की नीतियों पर चलकर और चौ–बरी ओम प्रकाश की रहनुमाई में काम करके सभी के सहयोग से यह हरियाणा प्रान्त एक दिन प्रगति के शिखर पर पहुंच जाएगा और इसको जल्दी ही प्रथम राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रान्त खेती के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहां पर गन्ने –का मूल्य सब से ज्यादा दिया गया है और जनता की भलाई के बहुत सारे कदम चौधरी देवी लाल के समय में उठाए गए थे। बेरोजगारो को बेरोजगारी भत्ता सब से पहले यहां पर दिया गया है। बूढ़ों को पैन्शन दी गई। विधवाओं के भत्ते की दर बढ़ाई गई। इस भत्ते के लिये आयु की सीमा में बढ़ौतरी की नई। ये कदम इस प्रकार के हैं जिनको देखने से मालूम होता है कि हमारी सरकार प्रगतिशील नीतियों पर चल रही एं और उन नीतियों का उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभि–भाषण में किया गया है। अवसर का लाभ उठाते हुए. मैं राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण में जो हमारी सरकार की प्रगतिशील नीतियों का अलग अलग विषयों के रूप में वर्णन किया गया है उनमें से कई विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, निश्चित रूप से दूसरे राज्यों से बेहतर है हालांकि हरियाणा प्रदेश उस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है जहां पर पिछले कई सालों से लगातार अप्रिय घटनाएं घटती रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि जब पड़ौसी राज्य व समाज या पड़ौस में रहने वाले किसी व्यक्ति के घर में कुछ अप्रिय घटनाएं घटेगी तो उस का असर अवश्य ही पड़ौसी, राज्यों व साथ के घरों में रहने वालों पर पड़ना स्वाभाविक ही होगा। इसी' वातावरण से प्रेरित होकर कुछ असामाजिक व अपराधी तत्वों ने हरियाणा राज्य में भी अशान्ति फैलाने का प्रयत्न किया है लेकिन इसको बड़ी सफलता के साथ आज की वर्तमान सरकार ने बड़ी बखूबी से रोका ही नहीं बल्कि ऐसे ठोस कदम भी उठाए हैं ताकि आगे के लिये ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। इसी के साथ –साथ उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सुरक्षात्मक दल हैं, जिनके०पर सारे राज्य की सुरक्षा का भार है, चाहें वह पुलिस है, अर्ध सैनिक बल है या दूसरे बल है जैसे होम गार्डज आदि दूसरे उन सब के लिये यह निर्णय लिया गया है कि उनके लिये आवास कालोनीज बनायी जाए व दूसरी हर प्रकार की सुविधाएं जुटायी जाएं जिससे उनके हाथ और मजबूत हो सकें। आर्थिक दृष्टि से भी उनको पूरी तरह से सम्पन्न किया जा रहा है

ताकि वे हर प्रकार से निश्चिन्त होकर राज्य का सुरक्षात्मक भार संभाल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में भी हर प्रकार की आर्थिक सुविधाएं दी गई हैं। कहीं सब–सिडी के रूप में सहायता दी गयी है। कहीं पर वन–विन्डो सर्विस उपलब्ध करवा कर उद्यमियों को इस तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे विचार से कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसको इन सुविधाओं से वंचित रखा गया हो। कहीं पर मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का गठन किया गया है जिसका बजट लगभग 3 करोड़ रुपये होता है। ऐसा करके हरियाणा के सब से पिछडे हुए इलाके को राहत दी गयी है। कल ही हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय जी की अध्यक्षता में पांच वर्ष के बाद एक बैठक हुई थी और आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सत्ता संभालते ही सभी विभागीय अध्यक्षों, सारे अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की मींटिंग बुला–कर के प्राथमिकता के आधार पर इस इलाके के लिये एक वहुत बड़ी राशि उपलब्ध करवा करके सारी स्कीम्ज को शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिये ठोस कदम उठाने के लिये कहा है ताकि इस इलाके की सही तरीके से तरक्की हो सके। यह एक सही और सराहनीय कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदरणीय' मुख्य मन्त्री महोदय व इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यो का आभारी हूं और मैं अपने आपको बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हू कि सभी महानुभावों ने मेरे विचारों को बड़ी शान्तिपूर्वक सुना है और मेरी

हौसला अफजाई की है। उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह कर्तव्य बनता था कि मैं हर सही बात का यहां पर उल्लेख करूं। बस मैं एक दो आवश्यक बातें कह करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र में हमारी इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही सराहनीय काम किये है जिसका जिकर किये बगैर मैं नहीं रह सकता। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार ने पिछले साल कितने ही स्कूलों को दूसरे क्षेत्रों की तरह बराबर का प्रतिनिधित्व देकर के अपन्ग्रेड किया है। प्राईमरी से मिडल, मिडल से हाई, हाई से 10 + 2 व सीनियर सैकण्डरी स्कूल्ज में परिवर्तित करके एक नया रास्ता दिखाया है, एक नई नीति को दर्शाया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। हरियाणा के अन्दर यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हरेक की मांग को पूरा करके शिक्षा नीति को नई दिशा दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों की इमारतों को पूरा करने के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहैं है। इसी तरह से आचार्य, प्रधानाचार्य व अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च किया जा रहा है और उन खाली स्थानों की पूर्ति करके शिक्षा संस्थानों को एक नया दर्जा दिया जा रहा है जिससे कि लोगों को एक नई दिशा दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अम्बाला व यमुनानगर के पहाड़ी क्षेत्रों की उन्नति के लिये भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है. और इन क्षेत्रों की उन्नति के लिये आवश्यक पग उठाये जा रहैं हैं व एक नये बोर्ड का गठन किया गया है। आदरणीय मुख मन्त्री महोदय आज बोलते हुए यह बता रहैं थे कि झूग्गी झोपड़ी व गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये सरकार एक स्लम बोर्ड का गठन करने जा रही है। मैं यह कहना चाहता हू और महसूस करता हू कि हरियाणा सरकार आज किसी एक साइड को आख बंद करके नहीं देख रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा ही एक पहला प्रान्त है जहां वर्तमान सरकार और चौधरी देवी लाल की सरकार ने एक नया रिकार्ड कायम है। इस रिकार्ड को हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। जैसे वृद्धावस्था पैन्शन दें–कर हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, आज की वर्तमान सरकार उसका दिलो दिमाग से पालन करके उसे आगे बढ़ा रही है। आपको मालूम है कि बेरोजगारी के कारण हो ओज पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद पनपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो बेरोनगार युवकों को सता दिया जाता है उसमें संशोधन करके इसका स्कोप और बढ़ाया जाए। पिछली सरकार ने बूढ़ों की एक सौ रुपए महीना पैन्शन लगाई। जब सरकार सौ रुपया महीना देने के लिये सामर्थ है तो विधवाएं जो समाज में निरस्कृत होती रहती है उनकी पैन्शन भी 75 रुपए महीना से बढ़ा कर 100 रुपए कर दी जाए। ऐसा करने से समानता होगी। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहना हूं कि पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान करने के लिये

जो जिलों का नया पुनर्गठन किया गया है यह भी प्रजातान्त्रिक पद्धति में विश्वास को व्यक्त करता है। आज सरकार ने 12 जिलों से बढ़ा कर यहां पर 16 जिले बनाए हैं, कुछ नए मंडल बनाए हैं, कुछ उप मण्डल बनाए हैं और कुछ तहसीलें और बना कर उनकी वृद्धि की गई है। हरियाणा चाहैं छोटा प्रदेश है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। विकास के काम में हरियाणा सरकार की बराबर की दृष्टि को देखते हुए लोदी सरकार की प्रशंसा कर रहैं हैं। लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि हुमारे मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का तीन करोड़ रुपए साल का बजट शै। मैं वहां का विधायक होने कें नाते एक सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने वह इलाका स्वयं देखा है। क्योंकि ये कई बार उस इलाके का दौरा कर चुके हैं। जब एस० वाई० एल० का पानी हरियाणा मैं आ जाएगा तब भी उस इलाके को इसका पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मुख्य मन्त्री जी मेवात कैनाल और आगरा कैनाल के सिस्टम को देख चुके हैं। वहां के लोग पानी के लिये सदियों से उपेक्षित हैं। चौधरी छोटू राम जी ने आगरा कैनाल का इशु रि–ओपन किया था लेकिन वह सुलझ नहीं पाया था। जैसे हरियाणा के लोगों की निगाहैं एस० वाई० एल० कैनाल के पानी की तरफ हैं उसी तरह से जिला फरीदाबाद के लोगों की निगाहैं आगरा और मेवात कैनाल्ज की ओर लगी हुई हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने अपनी सभाओं में कहा था कि अब वक्त आ गया है जबकि केन्द्र में भी हमारी सरकार होगी। वह वक्त आ गया। आज हम सौभाग्यशाली है कि केन्द्र में जनता दल की

दूसरी पार्टियों के सहयोग से बनी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी जनता दल की सरकार है और हरियाणा प्रान्त में भी जनता दरर की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी सरकार है। ऐसा शुभ अवसर कभी नहीं आ सकता। अगर आगरा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा के हाथ में दे दिया जाए तो हमारे उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों' के लिये यह एक वरदान 'साबित होगा तौर उस क्षेत्र की जनता हमेशा इस सरकार को याद रखेगी। दूसरे क्षेत्र में हरियाणा सरकार की नीतियों के बारे मे मैं थे गदा इसलिये नहीं कहना चाहता क्योंकि हरियाणा सरकार उन नीतियों के बारे में पहले से ही काफी जागरूक है। आज की हरियाणा सरकार चौधरी देवी लाल जी के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में अपना अभिभाषण दे करके हमें अनुगृहीत किया है। देस पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के उपरान्त उनके लिये धन्यवाद प्रस्ताव पास करेंगे और उनके लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता है।

चौधरी किशन सिंह सांगवान (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, कल गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण दिया उस पर बहस के लिये रावत साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हू। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश पहले पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा अलग बनने

के बाद लगातार जितनी भी सरकारें आई, वे सभी सरकारें पंजाब सरकार की पौलिसियो का, पंजाब सरकार के प्रोग्रामों का और पंजाब सरकार के फैसलों का अनुसरण करती रही हैं।। लेकिन 1987 में जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार हरियाणा में बनी और०न्होंने जो प्रोग्राम बनाए, उन्होंने जो नीतियां तय कीं और उन्होंने जो फैसले किए उनको अमल में लायन गया और उनको केवल हरियाणा में ही अमल में नहीं लाया गया बल्कि भारत देश के दूसरे सभी प्रान्तों की सरकारो ने उनका अनुसरण किया। चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश को एक विकासशील प्रदेश बनाया है, एक उदाहरण बनाया है। सभी प्रदेशों की सरकारें चौधरी देवी लाल जी द्वारा तय किए गए प्रोग्रामों का अमल करने लगी हैं। उपाध्यक्ष महोंदय, यही कारण है कि सारे देश मैं जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसमें चौधरी देवी लाल जी की मुख्य भूमिका है। चौधरी देवी लाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन देने की जो नीति बनाई वह एक बहुत बड़ी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के बड़े से बडे देश जो बहूत अमीर है जिनके यहां करोड़ों और अरबों टन अनाज पैदा होता है, हानी अनाज– पैदा होता है जिसको वे समुद्र में भीं फैक देते हैं, ''उन देशों की सरकारें भी अरने देशों पे वृद्धावस्था पेंशन नही कर सकी हैं। आदरणीय चौधरी देवी लात जी ने हरियाणा के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दे कर, उनको 'मान सम्मान दिया हैय चाहैं कर्जा माफी की बाद दुई, चाहैं बेरोजगारी भत्ते की बात हुई, अनेकों ऐसे समाज कल्याण के काम हुए है गिनको वजह से आज हरियाणा सारे देश

के लिए एक उदाहरण बन गया दै और सभी प्रदेश हरियाणा प्रदेश का अनुसरण करने लगे हैं। उपाध्यक्ष्र महोदय, मेरे साथी रावत साहब ने गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय हरियाणा सरकर ने हर क्षेत्र में जो जो काम किए हैं, जाए जो कार्यक्रम बनाए है और जो–जो नितियां तय की हैं, उनके बारे में बड़े विस्तार से बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस सरकार ने यानि मौजूदा चौधरी आम प्रकाश जी की सरकार वे उन सेभी वायदों, सभी कामों और सभी नीतियों को जो हमारे आदरणीय चौधरी देवी खांत जी अधूरे छोड़ गये थे, पूरा करने का संकल्प लिया है। यह गवर्नर महोदय के अभिभाषण से स्पश्ट है कि अनेक क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है और कितनो प्रगति हुई है। अब क्योंकि सैन्टर में विपक्ष की सरकार आई है यह हमारे लिये और भी खुशी को बात है। जितनी रुकावटें पहनी सरकार के समय यानी चौधरी देवी लाल जो के रास्ते मे सैन्टर की तरफ से आया करती थीं, वे अब नही आयेगी। अब हमें अपना पूरा हक भि–लेगा। अब हंमें अपने नये प्रोजैक्ट्स को स्वीकृति मिल गई है जैसा कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण से ज्ञात होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हरियाणा में 85 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। चौधरी देवी लाल रवी ने बिजली और पानी का जो नारा दिया था वह यूं का यूं मौजूद है और यह सरकार उस पर अमल कर रही है। बिजली का संकट जो चन्द दिनों के लिये आया था उसका साफ जवाब

आदरणीय चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने दें दिया है। एस० वाई० एल० नहर का मामला सबके सामने है। हरियाणा के किसानों के लिए एस० वाई० एल० नहर का बनना अत्यन्त जरूरी है और यह हमारे लिये जीने–मरने का सवाल है। अब यहां पर चौधरी आभ प्रकाश जी की सरकार बनने पर और केन्द्र में विपक्ष की सरकार बी० जे० पी० व दूसरी पार्टियों के सहयोग से बनने के बाद एस० वाई० एल० नहर के काम में कुछ तेजी आई है। हुमारे मुख्य मन्त्री, सिंचाई व बिजली मन्त्री और अनेक अधिकारियों ने मौके पर जाकर नहर का निर्माण कार्य देखा है। इस नहर का निर्माण कार्य देखने के बाद हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार के प्रयत्नों से जल्दी ही इसका निर्माण होगा और हरियाणा के किसानों को पानी मिलेगा व हरियाणा के चप्पे–चप्पे को पानी मिलेगा जिससे हरियाणा का और ज्यादा विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि पहली केन्द्रीय सरकार ने इस सरकार के कार्यों में रुकावटें डाली थीं और हमारी सरकार के रास्ते में रुकावटें अटकायीं। इस संबंध में मैं करनाल रिफाइनरी. का जिक्र करना चाहता हूं। करनाल रिफाइनरी का उदघाटन स्वयं भतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, ने अपने हत्थों से किय। था। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि राजनीतिक कारणों से बाद में इसे नामंजूर कर दिया गया था और वहां पर जो कन्सट्रक्शन हो रही थी उसको रोक दिया गया था लेकिन आज हमें खुशी है कि हमारी नई सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्री ने इस कारखाने को प्राथमिकता के तौर पर शुरू करने के लिये केन्द्रीय मंत्रियों और केन्द्र सरकार से सलाह मशविरा

किया है और अब इसका काम जल्दी ही दोबारा शुरू होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की स्थिति के बारे में जैसा मैंने बताया यह सबसे जरूरी है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बिजली के बारे में बताया है कि 840 मैगावाट का एक थर्मल प्लान्ट यमुना नगर में बनाने की स्कीम है और वह बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से पानीपत में 210 मैगावाट का एक यूनिट शुरू हो चुका है और इसी प्रकार से 210 मैगावाट की एक स्कीम मंजूर हो चुकी है। अगर ये पूरे यूनिट जल्दी ही बन जायें तो बिजली की स्थिति और संतोषजनक हो सकती है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा सरकार पहली सरकार है जहां पर बिजली अढ़ाई साल से लोगों को लगातार मिल रही है। इसके लिए मैं बिजली और सिंचाई भली, श्री वीरेन्द्र सिंह जी, की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि इनकी अनथक मेहनत से और बिजली बोर्ड के जो सारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके सहयोग से जो हमारे मौजूदा बिजली के प्रोजैक्ट्स हैं उनसे ही हमने सारे हरियाणा प्रदेश के लोगों का बिजली दी है।

13.00 बजे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर गवर्नर महोदय के ऐड्रैस में दी गई अन्य सराहनीय बातों का जिक्र करूं तो बहुत संमय लगेगा। इस सरकार द्वारा सबसे अच्छा पग जो उठाया गया है वह है बेरोजगारों को आयु में छूट देना। सरकार का यह कदम एक बहुत भारी तोहफा है जो कि चौधरी ओम प्रकाश जी की सरकार

ने प्रदेश के लोगों को दिया है। गांवों मे जब हम लोग जाते हैं तो बड़ी भारी संख्या मे बेरोजगार लड़के बार–बार मिलते थे कि कोई नौकरी दिलवाइये, उम्र निकलती जा रही है, टाईम निकलता जा रहा है। इस सरकार ने उन बेरोजगार लडकों को यह बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि सरकारी नौकरी में आने की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है ताकि इन बेरोजगार लड़के और लड़कियों को 5 साल और मौका मिले कि वे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देश में पहली सरकार है जिसने इस प्रकार आयु की सीमा को बढ़ाया है। इसके इलावा मौजूदा सरकार बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह ऐलान किया है कि इसी वर्ष यानी वर्ष 1990 में सारे हरियाणा में जो एक हजार गांव ऐसे हैं जहां आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नही है उनमें पानी की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए टाईम बाउंड प्रोग्राम का ऐलान किया है। सारे हरियाणा को पानी प्राप्त हो, इस काम के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है। पुरानी सरकार ने 40 साल की आजादी के बाद भी लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करवाया है इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सक ती है? हमारी मौजूदा सरकार ने एक हजार से अधिक गांवों को पानी 'उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। इसके साथ हरियाणा देश का पहला राज्य हो जाएगा जहां सभी गांवों में पेयजल की व्यवस्था होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेक ऐसी बातें हैं जो सराहनीय हैं। जैसे सेल्ज टैक्स और ऐक्साईज में इस सरकार ने व्यापारियों को बड़ी भारी राहतें प्रदान की हैं। व्यापारी पहले भ्रष्ट अफसरों से बहुत तंग थे 1 सीमेंट को छोड़ कर अनुसूची ''क'' की सभी चीजों पर सेल्ज टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी है। इसके अतिरिक्त कई और वस्तुओं पर सेल्ज टैक्स की दर घटाई गई है और इस सेल्ज टैक्स का सरलीकरण कर इसके भुगतान को आसान बनाया गया है ताकि सरकार की आमदनी बढ़ सके। वे व्यापारी जिन्हैं भ्रष्ट अफसरों को माहवारी देनी पड़ती थी अब भ्रष्ट अफसरॉ कें चुंगल से बच सकेंगे। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इसके अतिरिक्त कम्बलों तथा खाण्ड को सेल्स टैक्स से बिल्कुल ही माफ कर दिया गया है। यह भी अत्यन्त सराहनीय पग है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सवाल. है, भाई रावत जो ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह सारी बातें आपके सामने रखी हैं। आज हरियाणा प्रदेश सारे देश में एक ऐसा प्रान्त है जहां सबसे ज्यादा अमन और शांति है। वैसे छोटी–मोटी वारदातें तो हो ही जाया करती हैं लेकिन इतना बढ़िया अमन और चौन मौजूदा सरकार ने कायम किया है कि सारे प्रान्त में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई फिसाद नही है। प्रशासन को अधिक कुशल एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सरकार ने हरियाणा में 4 जिलों के अतिरिक्त पांच उप–मण्डल,

सात तहसीलें और छरू नये विकास खण्ड भी बनाए हैं। हमें उम्मीद हए कि इस थोड़े समय में जो उल्लेखनीय कार्य इस सरकार ने किये हैं उनमें और बढ़ौतरी होगी। प्रशासन के लिए एक अधिकारी के पास जितना कम क्षेत्र होगा अधिकारी उस पर उतने ही प्रभावी ढंग से नियन्त्रण रखते हुए विकास कार्यो को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। सरकार ने जो नये जिले बनाए हैं उनसे हरियाणा के प्रशासन में बड़ा भारी सुधार होगा। यह धड़ा सराहनीय काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जौ सबसे बढ़िया और प्रमुख कार्य किया है वह है समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए विशेष पग उठाना। समाज में वृद्धावस्था पेंशन देना इस सरकार का सबसे अधिक सराहनीय कार्य है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। इस बारे में भाई रावत जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवाओं को पेंशन आदि की योजनाएं हरियाणा की मौजूदा सरकार की तरफ से प्रदेश वासियों के लिझ तोहफा है। उपाध्यक्ष महोदय पहले पचास रुपये विधवाओं को पेंशन मिलती थी लेकिन अब यह पेंशन पचास रुपये से बढ़ा –कर पचहत्तर रुपये कर दी गई है। मैं रावत साहब की इस बात से भी सहमत हूं कि आगे यह पैन्शन 75 रुपये से और भी ज्यादा बढ़ा दी जाये तो और भी अच्छी बात होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, सभी को पता है कि विंकलाग कुछ नही कर सकते इसलिए आपके माध्यम से रावत साहब कीं बात का समर्थन करते

हुए यह प्रार्थना करूंगा कि यह पैन्शन 75 रुपये से 100 रुपये बढ़ा दी जाये तो अच्छी बात होगी। एक और दिक्कत विकलांगों को आती थी जो आयू सीमा के बारे मे थी। जिन लोगों को पहले पैन्शन मिलती थी उनकी आयु सीमा 21 वर्ष रखी हुई थी। अब 21 वर्ष की सीमा निर्धारित नही है। अव विकलांग छोटी आयु से ले कर बड़ी आयु तक पैन्शन का अधिकारी होगा। लेकिन एक बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शर्त लगायी हुई है कि हैंडीकैप्ड बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज होना चाहिए। इस तरह के अनेक बच्चे है जो स्कूल मे नही जा सकते, उनको हमारे सामने गांव में लाया जाता, है कि ये स्कूल में नही जा सक्ते. इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि स्कूल वाली शर्त भी 'समाप्त होनी चाहिए ताकि उन्हैं भी पैन्शन का फायदा मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसे सरकार ने शहरों के विकास के लिए म्यूनिसिपल कमेटियों का बड़ा अच्छा ध्यान रखा है। साढ़े चार करोड़ रुपया अभी रिलीज किया है। कांग्रेस के शासन में 20 साल तक ऐडमिनिस्ट्रेटर लगे रहैं। यह पहली सरकार है जिसने म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव करवाये। चुनाव के बाद वहां पर सी० ई० ओ० का पद समाप्त किया और लोकतन्त्र को मजबूत करन के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को शक्ति दी। मुझे विश्वास है कि सभी म्यूनिसिपल कमेटियों मे बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। हमारे नये मुख्य मंत्री ने कहा है कि जो इलाके

झुग्गी झोंपडियों वाले हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं उनके लिए नयी कालोनियां बनायी जायेंगी, उन्हैं नये मकान दिये जायेंगे ताकि वे गन्दी बस्तियों में न रहैं और उनको अन्य लोगों की भांति सभी सुविधायें मिल सकें। जहां तक इस प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था का सवाल है उस बारे में गवर्नर ऐड्रैस में स्पष्ट तौर पर सारी बातें लिखी हुई हैं। उसका सैन्ट्रल आइडिया यह है कि आज हम विकास की तरफ बढ़ रहैं हैं। हमारी पर–कैपिटा इन्कम बढ़ रही है। 25 परसैन्ट की वृद्धि काफी उत्साहजनक वृद्धि है।

एक बात मकान अलौट करने के बारे में भी आयी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि हाउसिंग बोर्ड कि कालोनी में जितने भी मकान बनाये जायेंगे उनमे से 70 प्रतिशत मकान रिजर्व होंगे जो हरिजन, बैकवर्ड क्लासिज और छोटे कर्मचारियो को दिये जानेंगे। 70 परसैन्ट मकान गरीब लोगों के लिए होंगे। यह बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कृमि हमारे प्रदेश के लोगों का मुख्य धंधा है। हरियाणा सरकार तो किसानों की सरकार कही जाती है। आज केन्द्र में जौ मौजूदा सरकार है वह भी किसानों की सरकार कहलाती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खाद, बीज और दवाइयों के लिए 277 लाख रुपये की राशि अलौट की है। खेतों मे जो बीमारी फैल जाती है उसको दूर करने में इस पैसे से बड़ी भारी मदद मिलेगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। रावत साहब ने गन्ने के भाव की बात की। चौधरी देवी

लाल ने सारे हिन्दुस्तान मे सब से ज्यादा गन्ने के भाव हरियाणा के किसानों को दिये हैं। उसके बावजूद भी जहां पहले साढ़े पांच करोड़ रुपया हरियाणा के शूगर मिलो में घोटा हुआ था, वहां इस सात साढे पांच करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है हालांकि हमने सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा में किसानों को दिया है। हमारी सैटर मे सरकार बनने के बाद यू० पी० में मुलायम सिंह जा की सरकार बनी। मुलायम सिंह जी ने हमारा अनुसरण करते हुए 40 रुपये को बजाये 41 रुपये का भाव कर दिया। कई कांग्रेसी प्रान्तों में बुढ़ापा पेंशन का ऐलान हो गया। कहीं पर कर्जे माफी की बात आ गयी है। यह कांग्रेसी भाई उस समय कहा करते थे कि कर्जे तो माफ हो ही नहीं सकते। लेकिन आज वही लोग कर्जे माफ कर रहैं हैं। चौधरी देवी लाल का अनुसरण सारे देश में हो रहा है। उन्होंने ऐसा सामाजिक प्रोग्राम, ऐसा आर्थिक प्रोग्राम सारे देश को दिया है जिसका आज देश के सारे लोग अनुसरण कर रहैं हैं। गन्ने की बात के बारे मैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका भाव हालांकि गवर्नमैंट ने 40 रुपये का तय डिग हुआ है लेकिन कुछ आदमी 40 की बजाये 41 रुपये को दर से यानी एक रुपया प्रति क्विंटल ऐडीशनल भाव दे रहैं हैं।,

कैप्टन अजय सिंह यादवः औन ए प्वायंट औफ आर्डर सर। अभी उन्होंने कर्जे माफी की बात कहा है। क्या वे यह बतायेंगे कि कितने कर्जे माफ किये हैं?

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्यांयट औफ आर्डर नही है। आप बैठिये। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। (शोर व व्यवधान)

चौधश्री किशन सिंह सांगवानः कुछ मिलों ने जो 41 रुपये का भाव दिया है, यह सारे देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा हमारे यहां पर 3 मिलो का उद्घाटन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। जैसाकि आपके मालूम है, चौधरी ओम प्रकाश जी की सरकार बनने के बाद इन्होंने 4 नई शूगर मिलें लगाने की तजवीज पेश को है। महकमे को कागजात तैयार करने के लिये हुक्म दिया गया है। मैं अपने हल्के के बारे में यह अर्ज करूंगा कि यह वहां की बहुत पुरानी मांग है। गोहाना में भी शूगर मिल अवश्य लगनी चाहिये। आपके माध्यम से मैं चौधरी साहब से यह अनुरोध करूंगा कि इन चार मिलों में गोहाना का नाम भी शामिल होना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस मिल को वे जल्दी से जल्दी मंजूर करवा कर वहां पर लगाने की कृपा करेंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, वह उद्योगों के बारे में है और उसे गवर्नर ऐड्रैस में स्पष्ट किया गया है। आज एक सावाल भी आया था कि हमारे कुछ सैडल इंडस्ट्रियलो बैकवर्ड क्षेत्र होते हैं और कुछ स्टेट के इंडस्ट्रियली बैकवर्ड क्षेत्र होते हैं। पिछली सरकार ने हमारे हरियाणा प्रान्त के अन्दर जो सैंट्रल इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज होते थे और जिनमें 25 प्रतिशत ग्रान्ट मिलती थी, उस 25 प्रतिशत ग्रान्ट पर रोक लगा दी थी, वह बन्द कर दी थी।

लेकिन चौधरी ओम प्रकाश जी मुख्य मन्त्री, की सरकार ने आने के. बाद, जो स्टेट के इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियज है और सैट्रल इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं जिनमें सैंटर ने 25 प्रतिशत सबसिडी रोक दी थी, ऐलान किया है कि हम उनको अपनी तरफ से 25 प्रतिशत की पूरी सबसिडी देंगे चाहैं वह सैंट्रल इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं या स्टेट इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र मैं विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, नये–नये प्रोजैक्ट्स, जैसा कि गवर्नर ऐड्रैस से जाहिर है, सैक्शन हो रहैं हैं, मंजूर हो रहैं है। इससे बड़ा भारी औद्योगिक क्षेत्र में कीच हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने देश के लिए एक उदाहरण पेश किया था कि सारे देश के मुकाबले हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी दी जाती है। इंडस्ट्रियल लेबर को 800 रुपया महीना दिया जाना है जोकि सारे देश मैं सबसे ज्यादा मजदूर है और केवल हारेयाणा में ही मिल रही है। ऐग्रीकल्चरल लेबर का रेट भी इसमें दिया हुआ है वह 31 रुपये 80 पैसे पर–डे के हिसाब से हरियाणा में फिक्स किया हुआ धै। ऐग्रीकल्चरल लेबर का रेट भी हरियाणा में देश के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि इतने ज्यादा विषय हैं? जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा सकती है लेकिन दूसरे साथियों ने भी बोलना है इसलिए रावत साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है सभी साथी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और जो विकास के काम

हुए हैं उनकी सराहना करेंगे तथा जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सुझाव देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रस्ताव का फिर समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

'कि गवर्नर साहब को एक ऐड्रैस फौलोइंग टर्मज मैं प्रेजैन्ट किया जाए –

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he, has been pleased to deliver to the House en the 15th January, 1990."

डा० मंगल सैन (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। कल यहां इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे। जैसा कि मेरे आदरणीय माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है कि नए वर्ष में जब कभी भी हम इकट्ठे होते हैं तो पहला सब उनके भाषण से आरम्भ होता है। उपाध्यक्ष महोदय, वे यहां पधारे और उन्होंने भाषण दिया। जो कुछ उन्होंने भाषण दिया वह भाषण इस सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य था। 'मेरी सरकार' जो ये शब्द वे कहते हैं उनको ऐसी भाषा कहनी पड़ती है लेकिन सरकार तो उन लोगों की है जो चुने हुए हैं और जिनका बहुमत है। राज्यपाल के भाषण पर डिस्कशन का एक ऐसा

मौका होता है जब सदस्य अपनी बात कह सकते छैं। उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि हम अभी चुनाव से निपटकर आए हैं। सारे देश में लोक सभा के चुनाव हुए और वे चुनाव हरियाणा में भी हुए। इसके परिणामस्वरूप हमारे कई सदस्य लोक सभा में चले गए.। चौधरी देवी लाल भी लोक सभा में चले गए और उनकी, जगह चौधरी ओम प्रकाश आ गए। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले देश भर में एक माहौल बना था औंर लोक सभा में यह बात आई थी कि बोफोर्स तोप सौदे में दलाली ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त सरकारी महकमे के एक अफसर ने कहा था कि इस मामले में सरकार दोषी है। उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के इतिहास मैं और इस देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोक सभा के सदस्यों ने रिजाइन किया हो यह पहला मौका था। राजीव गाँधी उस वक्त कहते थे कि ये लोग बुजदिल हैं और कायर है इसलिए लोक सभा से भाग गए। हम कहा करते थेकि वक्त आने दो, पता लग जाएगा कि कौन कायर है। नवीं बार इस देश में लोक सभा के चुनाव हुए और अभूतपूर्व चुनाव हुए। हमने कई चाटूकारो को कहते हुए सुना कि इस देश का प्रधान मन्त्री वही बनेगा जो नेहरू वंश से होगा। हम सोचते थे कि ऐसा कहने वाले तो केवल डूम और मीरासी हैं। इनको द्रुम क्या कहैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह बात सत्य सिद्ध हुई और हमारे वी० पी० सिंह भारत के प्रधान मन्त्री चुने गए। वे काफी सुलझे हुए आदमी हैं। यह इसी से जाहिर होता है कि आसन पर बैठते ही पंजाब की समस्या, जो बहुत उलझी हुई

है, के सिलसिले में वे अमृतसर सदभावना सन्देश लेकर गए। पिछले दिनों लोक आयुक्त नियुक्त करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लोक आयुक्ति की परिधि में शामिल किया जाए। मैं पब्लिक लाइफ को क्लीन देखना चाहता हूं। हमने कहा कि आज कोई मां का लाल तो हुआ है जिसने इस प्रकार की बात की हो। इसके विपरीत उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्दिरा गांधी को, जगमोहन सिन्हा, जो हाई कोर्ट के जज थे, ने अपदस्थ कर दिया तो उस समय कुछ चाटूकारों ने कहा कि प्रधान मन्त्री के खिलाफ इलैक्शन पैटीशन नहीं हो सकती (शोर एवं व्यवधान) चाहैं कितनी ही अनियमितताएं वे करें, कितने ही गल्त काम वे करें और कानूनों को पांव तले रौद दें लेकिन प्रधान मन्त्री के खिलाफ कोई इलैक्शन पैटीशन नहीं हो सकती यह उनका विचार था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : No interruptions. please.

डा० मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाह रहा हूं कि लोकतन्त्र का जनाजा नेहरु खानदान के कन्धों गर निकला। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान अमेठी में क्या हुआ? श्री संजय सिंह को किस प्रकार से गोलियों से भून डाला गया लेकिन०पर वाले की यह इच्छा थी कि के बेचारे वच गये, नहीं तो वे तो उनको मार कर फैंक ही गये थे। भिवानी और हिसार के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ? डिप्टी स्पीकर साहब, फरीदाबाद कें अन्दर चुनाव' के दौरान जब

हम गये तो हमारे इसी हाउसे के एक माननीय सदस्य जोकि उस कुर्सी पर बैठा करते थे और फरीदाबाद से लोकसभा के चुनाव लड़ रहै थे वे कहने लगे कि मेरे से बड़ा कोई गुन्डा नहीं होगा। मैंने कहा कि मन्त्री होते हुए आपके लिये यह शोभा नहीं देता कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें लेकिन मैं इस लम्बी चौडा बातों मे क्यों जाऊं? मैं तो इतना ही बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान किस तरेह से पानी की भांति पैसा बहाया गया। लाखों नहीं, हजारों नही, बल्कि करोड़ों की शक्ल में पैसा क्हाया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैंने जब 1957 में चुनाव लड़ा था उस वक्त मेरा केवल 12 हजार रुपया खर्च हुआ था। उसमें से जा 2000 रुपया मेरे०पर कटी रइ गया तो मुझे नींद नहीं आती थी लेकिन आज जो नजारा कांग्रेस सरकार ने लोगों को दिखाया है ऐसे लोगों के कारण इस देश का लोकतन्त्र कहां जाएगा, इसका सही अन्दाजा तो आप लगा ही सकते हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि भिवानी और हिसार के अन्दर क्या हुआ? रिगिंग और गोली बारी के बावजूद भी हमने 10 में से 6 सीटें जीती हैं। रोहतक से हमारे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चुनाव लड़ रहैं थे। एक महानुभाव, जिनका मैं कई बार इस हाउस के अन्दर जिक्र कर चुका है, उनकी प्रशंसा भी कर चुका हूं, उनके बारे में, मैंने तो चौधरी देवीलाल जी को कहा भी था कि मत लो ऐंसे भले आदमी को अपनी पार्टी में लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि एक आध तो भला आदमी ऐसा होना ही चाहिये। अब डिप्टी स्पीकर साहब, आप कहोगे कि भला शब्द भी अनपार्लियामैन्टरी है।

(हंसी) उसने किस तरह से रोहतक के अन्दर चुनाव के दरमियान रिगिंग की बूथों पर हमले किये, बक्से भी तोड़े और उल्टा हम पर यह इलजाम लगा दियॉ गयो कि ग्रीन ब्रिगेड आई थी। इस तरह के शर्मनाक दृश्य सारे हरियाणा के अन्दर देखने को आये। कितनी शर्म की बात है। मैंने क्हा कौन सी ग्रीन ग्रिगेड आई थी? तुम आये थे भगवे कपड़े पहन कर। उन्होंने सौ तिकडमें की और सौ हैंरा फेरी की लेकिन जनता जानती थी कि वोट किसको देनी है। कुछ बातें ऐसी ना–गवार हो गई, कुछ हमारे साथी हमारे से बिछुड़ कर उधर चले गये। अच्छा होता वे ऐसा न करते। मैं इस मामले पर ज्यादा कमैंट नहीं करना चाहता क्योकि वे मेरे मित रहैं हैं। वैसे जो आदमी किसी का साथ देता है उसको मुश्किल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का लाभ दुश्मन ने उठाना चाहा लेकिन जनता मैं इस बात को लेकर प्रतिक्रिया आ गई। चुनाव कें बाद का दृश्य आपके सामने हीं है,। पहले हैंम सुबह शाम रोज सुना करते थे कि हम देख रहैं हैं और देखेगे। अब पता नहीं वे कसको देख रहैं हैं। हो सकता है इटली से अपने रिश्तेदारों को आते देखते होगे क्योकि जनता ने तो उनकी छुट्टी कर दी है। हिन्दुस्तान की सत्ता में परिवर्तन का यह दूसरा अवसर है। पहली बार 1977 में परिवर्तन आया था जब राजीव गांधी की मम्मी हारी थीं। इस बार राजीव गांधी तो चुनाव जीत गया लोइ कन उनकी पार्टी हार गई। नई सरकार बनते ही हमारे प्रशसनीय प्रधान मन्त्री जी पंजाब की समस्या हल करने के लए पहले अमृतसर गए और फर लुधियाना गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि

जबकि इस समस्या को हल करने के लए कोशिश चल रही है तो पंजाब में हत्याएं और बढ़ रही हैं। गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर बोलत हुए मैं चाहता हूं कि भगवान करे कि हमारे प्रधान मन्त्री को उनके सहयोगियो का पूरा समर्थन मले और पंजाब की समस्या का हल हो।। कल राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में करनाल के नजदीक तथा पंचकूला कालका सड़क पर सूरजपुर सीमेंट कारखाने के समीप हुंई उग्रवादी घटनाओं का जिक्र कया। इसी तरह इससे पहले पेहवा, कैथल और कुरुक्षेत्र में भी लोग मारे गए थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हरियाणा पुलिस की तारीफ कए बगैर नहीं रह सकता। यहां पर जो भी उग्रवादी आया या तो वह मारा गया या जिन्दा पकड़ा गया। इसी तरह से दरियापुर में जो कांड हुआ था उसके मुलजिमो को हमारी पुलिस पंजाब से पकड़ कर लाई। मुझे और भी कई बातों का पता है जो मैं नहीं कहना चाहता, कहीं मु कदमें में उनका इस्तेमाल न हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा की पुलिस ने बड़ी तनदेही से और सावधानी से काम कया है। हमारी पुलिस के०पर बड़ा भारी प्रैशर था उसके बावजूद भी चुनाव के समय यहां ठीक– ठाक रहा। जनता ने अपना फैसला दिया कि केन्द्र में बदलाव हो। केन्द्र में तो क्या सारे संसार में बदलाव की हवा चल रही थी। मेरे दो कामरेड सा थी यहां बैठे हैं, वे मुझे माफ करेंगे कि कम्यूनिस्ट कंट्रीज में भी बदलाव हो रहा है। यह एक अच्छा लक्षण है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि पंजाब की जी टल समस्या का समाधान होना बहुत आवश्यक है वरना हरियाणा को भी तंग होना पड़ेगा।

हरियाणा की पुलिस को सतर्क रहन पड़ेगा और इस वजह से हरियाणा के उपर अनावश्यक खर्च का बोझ पड़ेगा। जैसे भी हो प्रधान मन्त्री जी पंजाब समस्या का हल करें। लेकिन एक बात जरूरी है कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः डा० साहब, आप कल कटिंन्यू करेंगे। अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न कया जाता है।

13.30 बजे।

(तत्पश्चात सदन बुधवार, 17 जनवरी, 1990, प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)